IAS GS World PCS
Committed To Excellence

खण्ड शिक्षा अधिकारी
(BEO)

भारतीय राजव्यवस्था

प्रारम्भिक परीक्षा

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

विषय सूची

1. भारत में संवैधानिक विकास - (Constitutional Development In India)
2. संविधान का निर्माण - (Making of Constitution)
3. संविधान की विशेषताएं - (Features of Constitution)
4. भारतीय संविधान के स्रोत, भाग और अनुसूचियाँ - (Source, Part & Schedule of Indian Constitution)
5. संविधान की उद्देशिका - (Preamble of Constitution)
6. संघ और राज्य क्षेत्र - (Union and the teritories)
7. नागरिकता - (Citizenship)
8. मूल अधिकार - (Fundamental Rights)
9. राज्य की नीति के निदेशक तत्व - (Directive Principles of State Policy)
10. मूल कर्त्तव्य - (Fundamental Duties)
11. संघ - कार्यपालिका - (The-union-Executive)
    (i) राष्ट्रपति - (President) (ii) मंत्रिपरिषद - (Council of Ministers)
    (iii) उपराष्ट्रपति - (Vice President) (iv) प्रधानमंत्री - (The prime minister)
12. संघीय विधान मंडल-संसद - (The Union Legislative - Parliament)
13. राज्य कार्यपालिका - (The States - Executive)
    (i) राज्यपाल (The Governor) (ii) मंत्रिपरिषद (Council fo Ministers)
    (iii) मुख्यमंत्री (Chief Minister) (iv) राज्य विधान मंडल (State Legislative assembly)
14. न्यायपालिका (The Judiciary)
15. केन्द्र राज्य संबंध (Centre state relation)
16. संवैधानिक निकाय (Constitutional Body)
    (i) वित्त आयोग (Finance Commission)
    (ii) वित्त मंत्रालय (Finance Ministery)
    (iii) भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India)
    (iv) भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India)
    (v) राज्य का महाधिवक्ता (The Advocate General for the state)
    (vi) निर्वाचन आयोग (Election Commission) (vii) लोक सेवा आयोग (Public Service Commission)
    (vii) प्रशासनिक अधिकरण (Administrative tribunals)
17. संविधानेत्तर निकाय- (Extra Constitutional Body)
    (i) नीति आयोग (Planning Commission)
    (ii) राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council - NDC)
    (iii) केन्द्रीय सर्तकता आयोग (Central Vegilence Commission CVC)
18. राजभाषा आयोग (Official Language)
19. कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध (अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग तथा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, आंग्ल-भारतीय समुदाय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग) (Special Provision Relating to certain class-the scheduled & tribal Commission, Anglo Indian Community, National minorities-Commission)
20. स्थानीय स्वशासन (Local Administration)
21. संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन (Union teritories and its Administration)
22. अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन (Administration of scheduled & tribal areas)
23. आपात उपबन्ध (Emergency Provisions)
24. संविधान संशोधन (Amendment of the Constitution)

Downloaded From www.studymasterofficial.com

भारत में संवैधानिक विकास
Constitutional Development In India

अध्याय 1

- भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है, जिसे सन **1600 ई. का राजलेख** कहा गया। इसके माध्यम से **महारानी एलिजाबेथ प्रथम** ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया।
- 1757 ई. का प्लासी युद्ध तथा 1764 ई. का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया इसलिये शासन को अपने अनुकूल बनाये रखने के लिए अनेक अधिनियम/चार्टर की आवश्यकता महसूस की गई।
- 1765 ई. में इलाहाबाद की संधि मील का पत्थर साबित हुई।
- गवर्नर के अतिरिक्त 24 अन्य सदस्य शामिल थे, जिन्हें 'गवर्नर' और उसकी परिषद' की संज्ञा दी गई।
- ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य सूरत से प्रारंभ किया।
- 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित 'भारत का संविधान' के पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा कई ऐसे अधिनियम/चार्टर पारित किये गये थे, जिन्हे भारतीय संविधान का आधार कहा गया है।

- *ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियमों चार्टरों/योजनाओं को मूलतः दो भागों में बाँटा गया है:-*
  - कम्पनी के मामलों में प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने के लिए अथवा कम्पनी का शासन (1773 से 1858 तक) → केन्द्रीकरण
  - साम्राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए अथवा ताज का शासन (1858 से 1947 तक) → विकेन्द्रीकरण

1. **1726 का राजलेख** – कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसीडेंसियों के गवर्नर एवं उनकी परिषद को "विधि बनाने की शक्ति" प्रदान की गयी थी।

   – पहले यह इंग्लैण्ड के निदेशक बोर्ड में निहित थी।
2. **1773 का रेग्युलेटिंग ऐक्ट** – तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लार्ड नार्थ (गुप्त समिति) द्वारा 1772 में गठित संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर यह ऐक्ट पारित किया गया था। यह प्रथम प्रयास था जिसके माध्यम से भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी गयी।

- मद्रास तथा बम्बई प्रेसीडेन्सी को बंगाल प्रेसीडेन्सी के अधीन कर दिया गया।
- पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत हुआ।
- बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसीडेन्सियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। शासन की समस्त सिविल तथा सैनिक शक्ति गवर्नर जनरल तथा उसके चार सदस्यीय परिषद को सौंपा गया।
- प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेंस्टिंग को बनाया गया। इसी एक्ट के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया।
- व्यापार के लिए लाइसेंस जरुरी कर दिया गया।
- कलकत्ता मे उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया। यह अभिलेख न्यायालय था। इसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता नगर के नागरिकों तक सीमित था।
- सुप्रीम कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना, तथा धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्त थी।
- 1774 में भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गयी। इसमें मुख्य न्यायधीश के अलावा तीन अन्य न्यायाधीश थे।
- सर एलिजाह इम्पे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
- तीन अन्य चैम्बर्स, लिमेंस्टर एवं हाइड थे।

ऐक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 – यह रेग्युलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था।

कलकत्ता सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि बना सकती थी। यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन था।

पिट्स इण्डिया एक्ट 1784 – ऐक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट का विस्तृत रूप ही पिट्स इण्डिया एक्ट था। यह अधिनियम कम्पनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था।

युद्ध एवं संधि करने से पूर्व कम्पनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया।

- *कंपनी के शासन को दो भागों में बाँटा गया–*
  - राजनैतिक → 6 सदस्यीय नियंत्रक मण्डल का गठन
  - व्यापारिक → कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा

- गवर्नर जनरल तथा उनके सदस्यों की संख्या तीन कर दी गई।
- कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।
- भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैण्ड में एक कोर्ट की स्थापना की गई।
- गवर्नर जनरल को प्रान्तीय सरकार बर्खास्त करने का अधिकार।

1786 का राजलेख

- इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया और गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां प्रदान की गयी।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

1793 का राजलेख –

- इस एक्ट को ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक्ट 1793 भी कहा जाता है।
- कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षो के लिए बढ़ा दिया गया।
- ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गयी।
- मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल परिषद का स्वत: सदस्य होने का अधिकार समाप्त कर दिया गया।
- सभी कानूनों एवं विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालयों को दिया गया।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल (नियंत्रण मंडल) के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। इसमें कर्मचारियों तथा सदस्यों का भी वेतन शामिल था।

1813 का राजलेख –

- कम्पनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को बनाये रखा गया है।
- कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को (राजस्व नियंत्रण) 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
- ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा प्रदान की गयी।
- भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रूपये की वार्षिक धनराशि व्यय का प्रावधान किया गया।
- स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया है।

नोट– *भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत चोल काल में हुई।*

1833 का चार्टर अधिनियम (सेंट हेलेना अधिनियम)–

- बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
- व्यापारिक दर्जा समाप्त अब केवल प्रशासनिक निकाय मात्र रह गई।
- भारत के प्रशासन का केन्द्रीकरण कर दिया गया।
- लार्ड विलियम बैंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
- संपूर्ण देश के लिए एक बजट की व्यवस्था की गयी।
- भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया जिसके आधार पर 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया।
- भारत में सभी प्रचलित रूढ़ियों तथा प्रथाओं को संहिता बद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया । इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष लार्ड मैकाले थे।
- चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
- गवर्नर जनरल तथा उसके सदस्यों की संख्या जो पिट्स इण्डिया एक्ट द्वारा घटाकर तीन कर दी गई थी उसे चार कर दिया गया।

1853 का चार्टर अधिनियम–

- 1852 ई. के सेलेक्ट कमेटी को आधार बनाकर
- कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गयी।
- नियंत्रक बोर्ड की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। जिसमें 6 सदस्य नामित होंगे।
- गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 6 विधान परिषद के सदस्यों, 4 गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों तथा एक सेनापति द्वारा की जाती थी।
- 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध मे मैकाले समिति नियुक्ति की गई।
- इस अधिनियम द्वारा गर्वनर जनरल की परिषद के विध ायिका और प्रशासनिक कार्यो को अलग कर दिया गया। जिसके तहत भारत में पृथक भारतीय विधान–परिषद् का गठन हुआ। जिसका मुख्य कार्य देश के लिए विधि बनाना था।

राज्यों में विधान परिषद् गठित	
राज्य	**वर्ष**
बंगाल	1862
उत्तर–पश्चिम प्रांत	1866
पंजाब	1897

- भारतीय केन्द्रीय विधान–परिषद् में (स्थानीय) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का समावेश किया गया।
- 1853 के अधिनियम ने सर्वप्रथम सम्पूर्ण भारत के लिए एक विधान–मण्डल की स्थापना की (All India Legislative council)।

भारत सरकार अधिनियम, 1858 – ब्रिटिश संसद की निम्न सदन हाउस ऑफ कामन्स द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए विधेयक तैयार किया गया जो अधिनियम बनकर प्रवृत्त हुआ।

- एक्ट फार द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया नाम से पारित किया गया।
- भारत में कम्पनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन इग्लैंड की साम्राज्ञी के नाम से किया जाने लगा।
- ब्रिटिश साम्राज्ञी की ओर से भारत राज्य सचिव का पद गठित किया गया।
- भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद का गठन किया गया।
- भारत राज्य सचिव को बैठकों में अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त था।
- भारत के गवर्नर जनरल पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया।
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को समाप्त कर दिया गया।
- भारत राज्य सचिव को ब्रिटिश संसद के समक्ष भारत के बजट को प्रतिवर्ष रखने का अधिकार दिया गया।
- वायसराय लार्ड केनिंग ने सर्वप्रथम 'विभाग प्रणाली' की शुरूआत की।
- देश के शासन में विकेन्द्रीकरण की शुरूआत हुई।

1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की विशेषता:–

- 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद् में मनोनीत किया।
- मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ देकर विकेन्द्रीकरण की प्रकिया शुरू की।
- केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed to Excellence

- लार्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई मंत्रालय प्रणाली को मान्यता दी गयी।
- भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नीव पड़ी।
- वायसराय को आपात काल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ।
- वायसराय को विधान सभा में भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गयी।
- 1873 का अधिनियम - 1 जनवरी, 1884 को ईस्ट इण्डिया कम्पनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।
- 1876 का शाही उपाधि अधिनियम- केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया तथा विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया।

1892 का अधिनियम-

- इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली।
- केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषद् के दो तिहाई सदस्यों को एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया जिसे निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। (विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगरपालिका)
- केन्द्रीय विधान परिषद ने न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 नियत की गई।
- विधान परिषदों के सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने तथा बजट एवं वार्षिक वक्तव्य पर बहस करने का अधिकार दिया गया किन्तु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया।
- कुछ हद तक भारत मे संसदीय व्यवस्था का प्रचलन प्रारम्भ हो गया।
- केन्द्रीय विधान परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ाई।

1909 के अधिनियम (मार्ले-मिंटो सुधार)-

- मार्ले भारत राज्य सचिव और मिंटो भारत का वायसराय था।
- अरूण्डले समिति के रिपोर्ट के आधार पर।
- केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गयी।
- विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गयी और किसी भी विषय पर प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तथा सामान्य और लोक हित सार्वजनिक मामलों पर बहस के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया।
- केन्द्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई जो पहले अधिकतम 16 थी। अब 69 सदस्य हो गये। 37 शासकीय, 32 अशासकीय।
- सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया।
- पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। स्त्रियों को मताधिकार नहीं प्राप्त था।
- लार्ड मिन्टों को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया।
- राजनीतिक दल के रूप में मुस्लिम लीग की स्थापना (1906 में) हुई।
- भारतीय विकेन्द्रीकरण आयोग की स्थापना की गयी।
- फूट डालो राज करो नीति का प्रार्दुभाव हुआ।

भारत शासन अधिनियम-1919 (मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार)-

इसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया जिनमें मांटेग्यू भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।

- केन्द्रीय विधान-मंडल में दो सदन थे।

विधायिका

- राज्य परिषद
  - सदस्यों की संख्या 60
  - (34 निर्वाचित, शेष नामित)
  - ↓ साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व
  - ↓ कार्यकाल 5 वर्ष
- केन्द्रीय विधान सभा
  - सदस्यों की संख्या 145
  - (104 निर्वाचित, शेष नामित)
  - कार्यकाल - 3वर्ष
  - ↓ प्रत्यक्ष निर्वाचन
  - ↓ पृथक निर्वाचन प्रणाली
    1. मुसलमान
    2. सिख
    3. यूरोपियों

- इस अधिनियम ने प्रान्तों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की।
- मताधिकार की अर्हता सम्पति के आधार पर निर्धारित थी। स्त्रियों को मताधिकार दिया गया किन्तु परिषदों की सदस्य नहीं बन सकती थी।
- प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गयी। अर्थात (राज्य सभा) उच्च सदन और निम्न सदन (लोक सभा) थे।
- केन्द्र और प्रान्तीय विषयों की सूची को पृथक कर दिया गया तथा प्रान्तीय विषय को दो भागों में बॉट दिया गया-

  (1) हस्तांतरित विषय, (2) आरक्षित विषय
- आरक्षित विषयों की श्रेणी में जेल, पुलिस, न्याय, वित्त सिंचाई तथा हस्तान्तरित विषयों में कम महत्व के विषय शिक्षा, खेती, स्थानीय स्वायत्त शासन आते थे।
- प्रान्तीय विधान परिषदों का कार्यकाल 3 वर्ष था तथा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कानून बनाने व बजट पारित करने का अधिकार था।
- अधिनियम के पारित होने के दस वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों की जाँच के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा।

1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया-

साइमन कमीशन-1927- नवंबर 1927 में गठित वैधानिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश की जिसमे दोहरी शासन प्रणाली, राज्यों का विस्तार की अनुशंसाएं की गई।

- सभी दलों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया क्योंकि आयोग में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था।

नोट- *इसके विरोध में नेहरु समिति गठित हुई। मोती लाल नेहरु समिति*

Downloaded From www.studymasterofficial.com

के विरोध में जिन्ना की 11 सूत्रीय मांगें थी।

सांप्रदायिक अवार्ड, पूना पैक्ट:- अगस्त 1932 में रैम्जे मैक्डोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना प्रस्तुत की जिसका गाँधी जी द्वारा विरोध हुआ और कांग्रेस नेताओं और दलित नेता भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट कहा गया।

भारत सरकार अधिनियम 1935-

- वर्तमान संविधान पर इस नियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है।
- 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास में यह सबसे बड़ा और जटिल अधिनियम माना जाता है।
- इस अधिनियम मे 14 भाग 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थी।
- साइमन आयोग 1927 के बाद कुछ ऐसी घटनायें घटी जो 1935 के अधिनियम का आधार बनीं।

(1) मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित कमेटी-10 अगस्त 1928

(2) जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय कार्यक्रम को पेश करना-29 मार्च 1929

भारत का संघ
- ब्रिटिश प्रान्तों 11
- कमिश्नरियों 6
- देशी रियासतों द्वारा (जो शामिल हो)

(3) गोलमेज सम्मेलन - प्रथम 1930, द्वितीय 1931, तृतीय सम्मेलन 1932, द्वारा श्वेत पत्र का प्रस्तुतीकरण।

महत्वपूर्ण विशेषता-

- भारत का संघ स्थापित करने का सुझाव दिया गया।
- *संघ और केन्द्रों के बीच शक्तियों का विभाजन अधिनियम की सातवीं अनुसूची में शामिल की गयी थी।*

- संघ सूची (59 विषय)
- समवर्ती सूची (36 विषय)
- प्रान्तीय सूची (54 विषय)

- किन्तु अवशिष्ट शक्तियों को गर्वनर जनरल को सौंपी गयी थी।
- केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना की गयी। आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। केन्द्रीय सरकार के विषयों को बाँट दिया गया।

केन्द्रीय प्रशासनिक विषय
- आरक्षित विषय — गवर्नर जनरल अपने परिषद के सहायता से तथा ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी
  - प्रतिरक्षा
  - वैदेशिक मामले
  - धार्मिक मामले
  - कबाइली क्षेत्र (जनजाति-क्षेत्र)
- हस्तांतरित विषय — मंत्रियों के परामर्श द्वारा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी

- *1935 भारतीय अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय विधानमण्डल के तीन अंग थे-*

गवर्नर - जनरल
- राज्य परिषद (उच्च सदन) (ब्रिटिश भारत + देशी राज्य) (156 + 104) = 260
- विधान सभा (निम्न सदन) देशी रियासते + ब्रिटिश भारत (125 + 250) =375

- राज्य परिषद एक स्थायी संस्था थी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय सदस्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से तथा विधान सभा के सदस्य निम्न सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मण्डलों के माध्यम से परोक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते थे।
- इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।
- धन विधेयक केवल विधान सभा में ही पेश किया जा सकता था।
- अधिनियम द्वारा संघ की राजधानी दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबन्ध किया था। जिनको संविधान की व्याख्या का प्राथमिक तथा पुनर्विचार का अधिकार प्रदान किया गया परंतु अंतिम निर्णय प्रिवी काउंसिल को प्राप्त था। 1937 में संघीय अदालत की स्थापना हुई।
- 1935 के अधिनियम में प्रान्तों से द्वैध शासन प्रणाली का अन्त कर स्वशासन (Autonomy) स्थापित की गई।
- 1935 के अधिनियम के द्वारा 6 प्रान्तों-मद्रास, बम्बई, बंगाल, बिहार संयुक्त प्रान्त तथा असम में द्विसदनीय विधान मंडल की स्थापना की गई थी।
- निम्न सदन (Legislative Assembly)अथवा विधान सभा तथा उच्च सदन (Legislative council) अथवा विधान-परिषद कहलाया। शेष प्रान्तों में एक सदन(11 प्रान्त) विधान सभा का गठन किया गया।
- विधान सभा के लिए चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से होने की व्यवस्था थी किन्तु मताधिकार के लिए कई मानक बनाये गये। अधिकतम महत्व सम्पत्ति को दिया गया।
- विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष और विधान परिषद स्थायी सदन जिसके सदस्य 9 वर्षों के लिए चुने जाते थे किन्तु विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे।
- प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गयी थीं।
- शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गाँधी की बुनियादी शिक्षा योजना को लागू करके प्रारम्भिक शिक्षा को सुलझाने का प्रयास किया गया।
- भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
- संघीय लोक सेवा स्थापित होने के अलावा प्रान्तों में राज्य लोक सेवा आयोग तथा दो राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना हुई।
- 1937 में प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनाव संपन्न हुए जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

भारत शासन अधिनियम के अधीन 1937 में विधानसभा चुनाव 11 प्रांतों में चुनाव

1. मद्रास, मुम्बई, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ स्थापित हुई।
2. पश्मिोत्तर प्रान्त, असम तथा सिंध मिली-जुली सरकार।
3. पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार गठित हुई।

कैबिनेट मिशन-1946: द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आयी और भारतीय समस्याओं के लिए मार्च 1946 मे कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इसमें तीन सदस्य लार्ड पैंथिक लारेन्स, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. एलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान सभा का गठन कर भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का कार्य आरम्भ करना था।

अन्तरिम सरकार का गठन-1946: 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन के कुछ सुझावों के आधार पर प्रथम अन्तरिम सरकार का गठन किया गया। 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का पुनर्गठन किया गया। जिसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को इसमें शामिल कर लिया गया और सरकार में मुस्लिम लीग की हिस्सेदारी बनी।

क्रम	मंत्री	विभाग
1.	पं. जवाहर लाल नेहरू	कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमण्डल
2.	सरदार बल्लभ भाई पटेल	गृह, सूचना तथा प्रसारण
3.	डा. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
4.	सी. राजगोपालाचारी	शिक्षा
5.	आसफ अली	रेलवे
6.	जगजीवन राम	श्रम
7.	डॉ. जॉन मथाई	उद्योग तथा आपूर्ति
8.	सी. एच. भाभा	बन्दरगाह तथा खान
9.	लियाकत अली खाँ	वित्त (मुस्लिम लीग)
10.	गजनफर अली खाँ	स्वास्थ्य (मुस्लिम लीग)
11.	जोगेंद्र नाथ मंडल	विधि (मुस्लिम लीग)
12.	अब्दुर-रब नश्तर	संचार (मुस्लिम लीग)
13.	आई-आई चुंदरीगर	वाणिज्य (मुस्लिम लीग)
14.	सरदार बलदेव सिंह	रक्षा

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम-1947: भारतीय साम्प्रदायिक दंगों को देखकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 1947 में लार्ड माउन्टबेटन को वायसराय नियुक्त कर सत्ता के हस्तांतरण के लिए भारत भेजा।

- 3 जून 1947 को माउंटबेटन की विभाजन योजना कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर ली। इस योजना को माउंटबेटन योजना कहा गया।
- माउंटबेटन योजना को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया।
- अधिनियम में दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गयी।
- वायसराय का पद समाप्त कर दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल का पद घोषित किया।
- भारतीय संविधान सभा को अपने देश का संविधान बनाने और दूसरे देश के संविधान को अपनाने की स्वतंत्रता थी।
- 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक औपनिवेशक राज्य का था।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

संविधान का निर्माण
Making of Consitution

अध्याय 2

संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389

292 प्रतिनिधि	4 प्रतिनिधि	93 मनोनीत प्रतिनिधि
ब्रिटिश भारत के 11 प्रान्तों से	चीफ कमिश्नरी के प्रान्त (दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलुचिस्तान)	देशी रियासतों से

- संविधान सभा विचार का प्रार्दुभाव सर्वप्रथम इंग्लैण्ड के समानतावादियों और सर हेनरी मेन ने किया था। इसको व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया।

संविधान सभा के गठन सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्य-

➢ सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग तिलक द्वारा 1895 ई. में की गई।

➢ भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के ठीक बाद 1922 में महात्मा गाँधी द्वारा व्यक्त किया गया कि "भारतीय संविधान" भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा।

➢ 1922 में श्रीमती एनी बेसेंट की पहल पर संविधान निर्माण के लिए केन्द्रीय विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई थी।

➢ 1924 में मोती लाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह माँग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाय।

➢ साम्यवादी नेता एम० एन० राय द्वारा 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया।

➢ 17 मई 1927 को, कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में मोती लाल नेहरू ने सभी राजनीतिक दलों से एक संविधान निर्माण करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। जिसे जवाहर लाल नेहरू ने 28 दिसम्बर 1927 को कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में स्वराज संविधान के रूप में प्रस्तुत किया।

➢ 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई जो देश के लिए संविधान बनाये जाने का प्रथम प्रयास था। जिसका प्रारूप डोमिनियन के सिद्धान्त पर आधारित था।

➢ 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई।

➢ संसदीय व्यवस्था की संकल्पना पर आधारित नेहरू रिपोर्ट को संविधान सभा ने लगभग सभी मुद्दों को स्वतन्त्र भारत के संविधान में समाहित कर लिया।

➢ 1937 फैजपुर तथा 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई।

➢ 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहर लाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतन्त्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा।

➢ ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को अप्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण शर्तों के साथ आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया।

➢ कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप 1946 में भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचन हुआ।

संविधान सभा का गठन-

➢ पूर्ण प्रभुता सम्पन्न लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों में जहाँ भी लिखित संविधान हैं उसका निर्माण जनता द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से किया गया है।

➢ कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवबंर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ।

➢ संविधान निर्माण निकाय में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर था। हर प्रांत व देशी रियासतें अथवा राज्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आंवटित की जानी थी। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया था।

➢ संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर होना था और मतदान समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होना था।

➢ ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य के अनुपात में किया जाना था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था।

➢ संविधान निर्माण-सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गयी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधि जो ग्यारह प्रान्तों से तथा 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से थे जो 562 रियासतें थी।

➢ संविधान निर्माण सभा में चार प्रतिनिधि मुख्य आयुक्तों के प्रान्त दिल्ली, अजमेर-मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से थे।

➢ ब्रिटिश प्रान्तों के 292 प्रतिनिधियों का साम्प्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ जिसमें सामान्य की 213 मुस्लिम की 79 तथा सिक्खों की 4 सीटें थी।

➢ जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुयीं।

➢ प्रान्तीय विधान सभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाना था।

Downloaded From www.studymasterofficial.com

- 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया।
- 3 जून 1947 की योजना के अनुसार पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित की गई।
- पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या विभिन्न प्रान्तों से 299 हो गयी थी जिसमें देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। विभिन्न प्रान्तों से 229 सदस्य प्रतिनिधि थे।
- संविधान सभा में संयुक्त प्रान्त का प्रतिनिधियों की संख्या 55 (यू0पी0) सर्वाधिक थी तथा देशी रियासतों में से हैदराबाद ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे थे।
- 3 जून 1947 देश के बँटवारे के आधार पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 रह गयी जिसमें 235 स्थान प्रान्तों के लिए और 89 देशी राज्यों के लिए थे।
- पंजाब और बंगाल के बचे हुए भारतीय क्षेत्रों का निर्वाचन नये सिरे हुआ।
- संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई थी जिसमें बिहार प्रान्त के वरिष्ठ सदस्य डा० सच्चिदानन्द सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
- 11 दिसम्बर 1946 को डा. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और एच. सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया।
- संविधान सभा को दो अलग काम सौपे गये थे।
  1. स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना।
  2. देश के लिए आम कानून बनाना और लागू करना था।
- सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो उसकी अध्यक्षता डॉ० राजेन्द्र प्रसाद करते और जब विधायिका के रूप में कार्य करती तो उसकी अध्यक्षता जी० वी० मावलंकर करते थे।
- सभा का संविधान सलाहकार सर बी० एन० राव को नियुक्त किया गया था।
- जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसंबर, 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया।
- सांविधानिक परामर्शदाता बेनेगल नरसिंह राव (बी. एन. राव) द्वारा तैयार पहले प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया।
- संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान कुल बारह अधिवेशन हुए थे।
- संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसम्बर 1946 से 23 दिसम्बर 1946 तक चला जो मुख्यत: प्रथम अध्यक्षीय भाषण से उद्देश्य प्रस्ताव पर केन्द्रित था।
- दूसरे अधिवेशन में एक संचालन समिति के निर्वाचन का निर्णय लिया गया।
- संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक चला जो समितियों के प्रतिवेदन पर केन्द्रित था।
- संविधान सभा का चौथा अधिवेशन 14 जुलाई, 1947 को प्रारम्भ हुआ, इसी दौरान भारतीय डोमीनियन के मुस्लिम लीग के सदस्य सभा में उपस्थित हुए। हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों को छोड़कर सभी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग लिया।
- चौथे अधिवेशन की महत्वपूर्ण घटना थी कि 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था।
- संविधान सभा का पाँचवा अधिवेशन 14 से 30 अगस्त तक चला जो 14 अगस्त 1947 की रात ग्यारह बजे वन्देमातरम् के गायन के साथ आरंभ हुआ जिसका पहला पद श्रीमती सुचेता कृपलानी ने गाया था। यह मुख्य रूप से प्रभुत्व शक्ति के दायित्व ग्रहण पर केन्द्रित था। संविधान सभा के संविधान निर्माण तथा विधि निर्माण के कार्य अलग-अलग हो गए।

प्रारूप समिति (मसौदा समिति या पाण्डुलेखन) के सदस्य

अध्यक्ष – ● डा० भीमराव अम्बेडकर

सदस्य – ● कन्हैया लाल मणिकलाल मुन्शी

● सैयद मोहम्मद सादुल्ला

● बी० एल० मित्र (कुछ समय पश्चात एन० माधव राव नियुक्त)

● एन० गोपाल स्वामी आयंगर

● कृष्णा स्वामी अय्यर

● डी० पी० खेतान (1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात टी० टी० कृष्णामचारी नियुक्त)

● (प्रारूप समिति के प्रारूप का परीक्षण करने वाली समिति के अध्यक्ष-अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे)

संविधन सभा की मुख्य समितियाँ

समिति	अध्यक्ष	सदस्य
संघ शक्ति समिति	पं0 जवाहर लाल नेहरू	9
मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल	54
कार्य संचालन समिति	डॉ० कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी	3
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल	25
संघीय संविधान समिति	जवाहर लाल नेहरू	15
नियम समिति	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद	1
संचालन समिति	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद	
झण्डा समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (झंडा समिति के अध्यक्ष जे.पी. कृपलानी नहीं थे)	
परामर्श समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल	
प्रारूप समिति	डॉ० भीम राव अम्बेडकर	
सर्वोच्च न्यायालय समिति	एस० वारदाचारियार	

- संविधान सभा के पहले अधिवेशन की पहली बैठक 17 नवम्बर 1947 को कौंसिल हाउस के असेम्बली चैम्बर में हुई जो वर्तमान में संसद भवन का लोक सभा कक्ष है। सदन का विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हुए थे।
- संविधान सभा के छठे अधिवेशन में 26 अक्टूबर 1948 को डा० भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के निर्णय से अध्यक्ष को

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

अवगत करा दिया।

- सातवें अधिवेशन में प्रारूप संविधान 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का एक महान प्रलेख बन गया।
- आंठवें अधिवेशन के दौरान स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन और जो 55वां अधिवेशन था जो जयपुर में 1948 में हुआ।
- 16 मई 1949 आठवाँ अधिवेशन के दौरान संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव में निश्चित किया गया कि राष्ट्रमण्डल स्वैच्छिक संगठन था जिसकी सदस्यता भारत द्वारा स्वीकार कर लेने से उसके स्वतंत्र सम्प्रभुता पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।
- दसवाँ अधिवेशन 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, इस दौरान दूसरा वाचन हुआ और प्रस्तावना अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया।
- ग्यारहवें अधिवेशन के दौरान तीसरा वाचन हुआ जो 7 नंवबर को आरम्भ हुआ और 26 नवम्बर 1949 को समाप्त हुआ। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अन्तिम रूप से पास किया गया। संक्रमण-कालीन उपबन्ध, नागरिकता, तथा परिभाषाओं संबंधी विषय तुरंत लागू हो जाएगें।
- संविधान सभा का बारहवाँ और अन्तिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसी दिन जनगणमन भारत का राष्ट्रगीत बना।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सचिव एच० वी० आयंगर जो भारत के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी थे। डा० राजेन्द्र प्रसाद को भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया।
- सांविधानिक परामर्शदाता ने प्रारूप समिति के विचार के लिए जो प्रारूप तैयार किया था उसमें 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा के सम्मुख जो पहला प्रारूप संविधान पेश किया गया उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी।
- संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा तथा संविधान के प्रारूप पर 144 दिन बहस हुई।
- 26 नवंबर 1949 को अन्तिम रूप से पारित संविधान होते समय 284 सदस्य उपस्थित थे और उसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुए और 26 नंवबर 1949 को अंगीकृत किया गया था।
- पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

नोट-

- *आस्टिन ने कहा था ''संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था''।*
- *भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलायें सदस्याएं थी।*

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS WORLD Committed to Excellence

संविधान की विशेषताएं
Features of Constitution

अध्याय 3

परिसंघात्मक और एकात्मक लक्षण:-

संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया है-

(i) एकात्मक संविधान:- इसके अन्तर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में समाहित होती है अर्थात केन्द्रीय सरकार और इकाइयों के प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार के अधीन उनके ऐजेंटों के रूप में कार्य करते हैं।

केन्द्रीय सरकार इकाइयों को जो प्राधिकार प्रत्यायोजित करते है इकाईयाँ उन्ही का प्रयोग करती है। *उदाहरण-* ब्रिटेन

उदाहरण स्वरूप- एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएँ, आपातकालीन उपबंध इत्यादि।

(ii) परिसंघात्मक या परिसंघीय- इस प्रकार के संविधान में शक्तियों का केन्द्र और राज्यों में विभाजन रहता है और केन्द्र और राज्य की सरकारें स्वतन्त्र रूप से अपने क्षेत्रों में कार्य करती हैं।

- संविधान के मूल ढ़ाँचे में कहीं भी परिसंघात्मक (Federal) या परिसंघ (Federation) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
- अमेरिका का संविधान विश्व के परिसंघ संविधानों में सन् 1787 में लिखित सर्वाधिक प्राचीन संविधान हैं।
- भारतीय संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। किन्तु कुछ संविधानवेत्ता प्रोफेसर व्हियर और प्रोफेसर जेनिंग्स भारतीय संविधान को संघात्मक मानने से इंकार करते हैं।

उदाहरण- लिखित संविधान, दो सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता इत्यादि।

संघात्मक संविधान के मुख्य लक्षण-

(i) केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच शक्तियों का बँटवारा रहता है। अर्थात् प्रत्येक सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में सर्वोपरि के साथ ही एक दूसरे की सहयोगी होती है। शक्तियों का सहयोगी संस्थाओं में विकेन्द्रीकरण होता है।

(ii) सरकार के सभी अंगों जिनमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है का स्रोत होता है जो उनकी शक्तियों पर नियंत्रण रखता है।

(iii) परिसंघीय राज्य का जन्म संविधान से होता है।

(iv) संघीय संविधान में केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा किया जाता है। विभिन्न सरकारें संविधान के उपबन्धों का अपने पक्ष में निर्वाचन कर सकती है। किन्तु मतभेद की स्थिति में निष्पक्ष और स्वतंत्र अन्तिम निर्णय देने का अधिकार संविधान की संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को दिया गया है।

(v) व्यवहारिक रूप से लिखित संविधान अनम्य (Rigid) होता है। किसी संविधान की अनम्यता और नम्यता (Flexible) उसके संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। जिस संविधान में संधोधन की प्रक्रिया कठिन होती है वह अनम्य और जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है वह नम्य संविधान कहलाता है। अर्थात् संविधान परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन शील होते है।

(vi) संघीय प्रणाली में दोहरी नागरिकता का विधान होता है।

- भारत का संविधान अनोखा है, यह न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और न शुद्ध रूप से ऐकिक। यह दोनों का संयोजन अर्थात् एक प्रकार से नए प्रकार का संघ या सम्मिलित राज्य है।

(vii) भारत के संविधान को अर्द्धपरिसंघीय (Quasi - Federal) कहा गया हैं जिसमें परिसंघीय और एकात्मक दोनों की विशेषताएं हैं।

(viii) भारत के संविधान में दोहरी राजव्यवस्था पद्धति है जिनमें-

(i) केन्द्रीय सरकार

(ii) प्रान्तीय या राज्य सरकार

- भारतीय संविधान देश की सर्वोच्च विधि और लिखित तथा प्रकृति में अर्द्ध-संघीय संविधान हैं।
- आपात उपबन्ध 352 से 360 अनुच्छेद भाग 18 तक संविधान के एकात्मक रूप दिया जा सकता है।
- संविधान को पेश करते समय प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉ० अम्बेडकर ने ''यूनियन ऑफ स्टेट्स'' पद का प्रयोग किया था।
- भारतीय संघात्मक व्यवस्था एक परिवर्तनशील व्यवस्था है और आवश्यकतानुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों ही रूप धारण कर लेती है।
- एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का मत है कि भारतीय संविधान परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढ़ांचा है।
- अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है जिसका अर्थ है किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और न ही भारतीय संघ राज्य के किसी समझौते का परिणाम है।

सरकार का गठन- संघात्मक संविधान के अन्तर्गत सरकार की स्थापना संसदीय तथा अध्यक्षात्मक प्रकार से की जा सकती हैं। संसदीय प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन का संविधान एकात्मक, अलिखित और वंशानुगत राजा वाला संविधान है।

- भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। सरकार का स्वरूप इंग्लैण्ड की सरकार के समान हैं क्योंकि 1919 और 1935 के भारतीय अधिनियमों के अन्तर्गत संसदीय शासन का अनुभव था।
- अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में समस्त कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अमेरिका की सरकार अध्यक्षात्मक होती हैं वहाँ मन्त्रिमंडल के सदस्य विधान मंडल के सदस्य नहीं होते हैं।
- संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में उत्तरदायी सरकार और मंत्री मण्डलीय सरकार के रूप में जाना जाता है। भारत में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है।
- भारतीय संविधान ने संसदीय प्रणाली को अपनाया तथा कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी हैं तथा भारत का अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति है जिसके नाम से सभी केन्द्रीय सरकार के काम होते हैं।

संसदीय प्रभुत्व बनाम न्यायिक सर्वोच्चता-

- ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में संसद प्रभुत्व संपन्न और सर्वोच्च हैं। न्यायपालिका को विधान का न्यायिक पुनरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं हैं।
- जबकि अमरीकी शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण होता है। वहाँ उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है।
- भारत में संसद और सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में अमरीकी न्यायिक सर्वोच्चता और ब्रिटिश संसद की प्रभुता दोनों का मिश्रण है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com

अध्याय 4

भारतीय संविधान के स्रोत, भाग और अनुसूचियां
Source, Part & Schedule of Indian Constitution

संविधान के स्रोत

सं.	देश	संविधान के अंश
1.	*1935 का भारतीय शासन अधिनियम*	*ये अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत रहा। अधिनियम की लगभग 200 धाराएं ऐसी हैं, जिन्हें साधारण परिवर्तन करके संविधान में स्थान दिया गया।*
2.	*ब्रिटेन*	*संसदीय शासन पद्धति, संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, संसद एवं विधान मण्डलों की प्रक्रिया, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति।*
3.	*संयुक्त राज्य अमेरिका (1789)*	*मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धान्त, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग। हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना।*
4.	*फ्रांस (1946)*	*गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श।*
5.	*कनाडा (1946)*	*संघीय शासन व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यपालों की नियुक्ति।*
6.	*दक्षिण अफ्रीका*	*संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन।*
7.	*जर्मनी (1933)*	*आपात-उपबन्ध।*
8.	*सोवियत संघ (1936)*	*मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक) न्याय का आदर्श।*
9.	*आयरलैण्ड (1937)*	*राज्य की नीति के निदेशक तत्व राष्ट्रपति निर्वाचन मण्डल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत।*
10.	*आस्ट्रेलिया (1901)*	*प्रस्तावना, समवर्ती सूची, केन्द्र राज्य संबंध तथा उनके बीच शक्तियों का विभाजन।*
11.	*जापान (1989)*	*विधि द्वारा स्थापित क्रिया विधि सिद्धान्तों का प्रावधान।*

भारतीय संविधान के प्रमुख भाग

भाग - 1	संघ एंव उसका राज्य क्षेत्र	अनुच्छेद 1 से 4
भाग - 2	नागरिकता	अनुच्छेद 5 से 11
भाग - 3	मौलिक अधिकार	अनुच्छेद 12 से 35
भाग - 4	नीति-निर्देशक तत्व	अनुच्छेद 36 से 51
भाग - 4 (क)	मूल- कर्तव्य	अनुच्छेद 51 (क)
भाग - 5	संघ	अनुच्छेद 52 से 151
भाग - 6	राज्य	अनुच्छेद 152 से 237
भाग - 8	संघ राज्य क्षेत्र	अनुच्छेद 239 से 242
भाग - 9	पंचायत	अनुच्छेद 243 से 243ण
भाग - 10	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	अनुच्छेद 244 से 244क
भाग - 11	संघ और राज्यों के बीच संबंध	अनुच्छेद 245 से 263
भाग - 12	संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल हुआ	अनुच्छेद 300क (पहले मौलिक अधिकार था)
भाग - 13	भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	अनुच्छेद 301 से 307
भाग - 14	संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएँ	अनुच्छेद 308 से 323
भाग - 15	निर्वाचन	अनुच्छेद 324 से 329
भाग - 16	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध	अनुच्छेद 330 से 342
भाग - 17	राजभाषा	अनुच्छेद 343 से 351
भाग - 18	आपात उपबंध	अनुच्छेद 352 से 360
भाग - 19	प्रकीर्ण (राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज प्रमुख व संसद आदि का संरक्षण	अनुच्छेद 361 से 367
भाग - 20	संविधान संशोधन	अनुच्छेद 368
भाग - 21	संक्रमण कालीन तथा राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध	अनुच्छेद 369 से 392
भाग - 22	संविधान का संक्षिप्त नाम हिन्दी में प्राधिकृत भाग	अनुच्छेद 393 से 395

Downloaded From www.studymasterofficial.com

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ (Schedules):-

पहली अनुसूची – अनु० 1 तथा 2, जिसमें भारतीय गणराज्य के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है।

द्वितीय अनुसूची – इस अनुसूची में भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन और उपलब्धियों के बारे में उल्लेख है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक, आदि।

तृतीय अनुसूची – इस अनुसूची के अन्तर्गत शपथ के बारे में उल्लेख है। (75, 99, 124, 264, 188, 219)

चौथी अनुसूची – राज्य सभा में स्थायी सीटों का आबंटन (88)।

पांचवी अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। अनु०-244(1)।

छठीं अनुसूची – इस अनुसूची के अन्तर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा 2005 से दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद् को छठीं अनुसूची में रखा गया है। [244(2) तथा अनु० 275 (1)]

सातवी अनुसूची – केन्द्र राज्य से संबंधित तीन प्रकार की सूचियाँ है-

(1) संघ सूची – 97 – विषय (वर्तमान- 100 विषय)

(2) राज्य सूची – 66 – विषय (वर्तमान- 61 विषय)

(3) समवर्ती सूची – 47 – विषय (वर्तमान- 52 विषय)

आठवीं अनुसूची – संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं (मूलरूप से 14 मगर फिलहाल 22) भाषाओं का उल्लेख है अनुच्छेद-344(1) तथा 351।

नौवी अनुसूची – इसके अन्तर्गत वह अधिनियम जिसकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। (31-B)

दसवीं अनुसूची – इस अनुसूची में दल-बदल संबंधी कानून का प्रावधान है। [अनु०-102(2) तथा 191 (2)]

ग्यारहवीं अनुसूची – पंचायती राजव्यवस्था (अनु०-243)

बारहवीं अनुसूची – नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, गठन (अनु०-243 त)

भारतीय संविधान के पारित होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 को (मूल भारतीय संविधान) इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे, जिसमें वर्तमान में नवीं (1951), दसवीं (1985), ग्यारहवीं (1992) एवं बारहवीं (1992) अनुसूची जोड़ी गई है जिससे कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं।

कालांतर में संविधान में संशोधन के द्वारा नये अनुच्छेद एवं भागों का समावेश किया गया है किंतु इसके लिए संविधान में नए अनुच्छेद या भाग जोड़े नहीं गए हैं, बल्कि मूल अनुच्छेद या भाग के साथ 'क', 'ख', 'ग' आदि लगाकर नये अनुच्छेद या भाग का सृजन किया गया है। जैसे अनुच्छेद 51 के बाद अनुच्छेद 51-क तथा भाग 4 के बाद भाग 4-क आदि।

संशोधन द्वारा संविधान में 4 नए भाग भाग 4-क, भाग 9-क, भाग 9-ख तथा भाग 14-क जोड़े गए हैं तथा भाग 7 को निरसित (Repeald) किया गया है।

भाग 4-क	मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51-क)	42वां संविधान संशोधन, 1976
भाग 9-क	नगरपालिकाएं (अनुच्छेद 243-त – अनुच्छेद 243-य छ)	74वां संशोधन अधिनियम, 1992
भाग 9-ख	सहकारी समितियां (अनुच्छेद 243-य ज – अनुच्छेद 243-य न)	97वां संशोधन अधिनियम, 2011
भाग 14-क	अधिकरण (अनुच्छेद 323-क – अनुच्छेद 323-ख)	42वां संशोधन अधिनियम, 1976

Downloaded From www.studymasterofficial.com

संविधान की उद्देशिका
Preamble of Constitution

अध्याय 5

लोकतंत्र के प्रकार

प्रत्यक्ष

जनता के द्वारा नियंत्रण। यह चार तरीकों के माध्यम से होता है–

(i) Initiative (पहल)– जनता किसी भी मामले पर कानून बनाने के लिए सरकार को कह सकती है।

(ii) Plebisite (जनमत संग्रह)– अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर

(iii) Referendum जनमत संग्रह– राष्ट्रीय मुद्दों पर

(iv) Recall वापस बुलाना– प्रतिनिधि के सही कार्य न करने पर वापस बुला लेती है।

अप्रत्यक्ष

जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तथा नियंत्रण भी प्रतिनिधियों पर नियंत्रण प्रतिनिधियों द्वारा

(i) अविश्वास प्रस्ताव

(ii) निंदा प्रस्ताव

(iii) काम रोको प्रस्ताव

जैसे– भारत

किसी भी देश के संविधान का वह पहला कथन जिसमें संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है, वह संविधान की प्रस्तावना कहलाता है।

जो मूल्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बने और जिनसे इस स्वाधीनता की प्रेरणा मिली थी, वे ही भारतीय लोकतंत्र के आधार बने। भारतीय संविधान के शुरूआत में इन्हीं बुनियादी मूल्यों को एक छोटी सी उद्देशिका में बताया गया है।

जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसम्बर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया का संविधान हमारी उद्देशिका का स्रोत है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना।

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, *भारत को एक संपूर्ण*
प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक
गणराज्य *बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:*
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की
स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की ***समता,***
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन ***सब में*** *व्यक्ति की गरिमा और*
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली
बंधुता *बढ़ाने के लिए*
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस ***संविधान सभा में***
आज तारीख ***26 नवम्बर, 1949 ई.***
को एतद्द्वारा इस संविधान को ***अंगीकृत,***
अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।

भारतीय संविधान की उद्देशिका में कुछ मुख्य तत्व है:- जिसमें

1. हम भारत के लोग अर्थात संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है।
2. प्रभुत्व-संपन्न- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पास होने के बाद भारत ब्रिटिश साम्राज्य का आश्रित नहीं रहा। वह पूर्ण रूप से प्रभुता-संपन्न राज्य हो गया कानूनी दृष्टि से न तो उसके ऊपर किसी आंतरिक शक्ति न किसी बाहरी शक्ति का प्रतिबंध है।
   - राष्ट्र मंडल की सदस्यता- यह पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वतंत्र और स्वैच्छिक संगठन है उसमें शामिल सभी सदस्य राष्ट्र पूर्णत: स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न है।
   - भारत ने यह सदस्यता अपनी इच्छा से सन् 1949 में स्वीकार की, वह जब चाहें त्याग सकता है।
3. समाजवाद - संविधान के 42वाँ संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। समाजवाद का आशय है कि आय प्रतिष्ठा और जीवनयापन के स्तर में विषमता का अन्त हो जाए। इसका मूलतत्व कमजोर वर्ग और कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊँचा करना तथा जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रयोग करता है।
4. लोकतन्त्रात्मक- मुख्यत: दो प्रकार की लोकतांत्रिक शासन-प्रणालियाँ प्रयोग में हैं- ***(i) प्रत्यक्ष प्रणाली (ii) अप्रत्यक्ष प्रणाली।***

- भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

का प्रयोग करते हुए कानून का निर्माण कर शासन चलाते है।

- लोकतन्त्र को अल्पसंख्यको की सहमति से बहुमतों का शासन भी कहते हैं। लोकतंत्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू हैं।
- लोकतंत्र का तात्पर्य है "जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए स्थापित सरकार है।
- लोकतंत्र में भारतीय संविधान निर्माताओं ने 18 वर्ष तथा उससे ऊपर के सभी वयस्कों-पुरूषों तथा स्त्रियों को अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार देकर पूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्यव्यवस्था के लोकतन्त्र के स्वरूप है।

5. गणतन्त्र- लोकतांत्रिक राज्यव्यवस्था के दो भाग हैं-
   (i) राजशाही- इस व्यवस्था में राज्य प्रमुख वंशानुगत होता है।
   (ii) गणतंत्र- राज्य का अध्यक्ष लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। वह जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता हैं।

   गणतन्त्र का अभिप्राय है कि वह राज्य जो राजा या इसी तरह के एक शासन द्वारा शासित नहीं होती बल्कि जिसमें उच्चतम शक्ति लोगों में और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है।
6. पंथ-निरपेक्ष- 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इस शब्द को जोड़कर सर्व-धर्म समभाव की स्थिति को और अधिक स्पष्ट किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में, उद्देशिका में, और भाग 4(क) में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है।
   - पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है वरन् सभी के साथ समान व्यवहार करता है।
7. अखण्डता- इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 19 के आधार पर राज्य को नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर देश की अखण्डता के आधार पर निर्वन्धन लगाने की शक्ति प्राप्त है।
8. स्वतंत्रता- संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आधार पर न्याय पद, एवं अवसर की समानता, मत विचार और धर्म की स्वतंत्रता तथा व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की अखण्डता के लिए अधिकार दिलाता है।
9. <u>न्याय</u>

   सामाजिक न्याय- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार भेदभाव नहीं किया जायेगा।

   आर्थिक न्याय- वितरणात्मक न्याय (राज्य के सभी संसाधनों पर सभी का अधिकार) अनुच्छेद 39।

   राजनैतिक न्याय- सभी व्यक्तियों के पास राजनैतिक अधिकार उपलब्ध जैसे- चुनाव लड़ना, वोट देना, बोलना इत्यादि। जैसे- अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 326

   1917 के रूसी क्रांति के द्वारा आया है।

- हमारी प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बन्धुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 ई से लिया गया है। स्वतंत्रता का तात्पर्य है संविधान द्वारा व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना तथा विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता इस प्रकार हो कि राज्य, लोक हित आदि की सुरक्षा खतरे में न पड़े।
- समानता से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान अवसर राजनीतिक, नागरिक तथा आर्थिक समानता प्रदान करना।
- प्रस्तावना में 'न्याय' को 'स्वतंत्रता' और 'समता' से भी ऊपर रखा गया है। भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श है। "सर्वेजना: सुखिन:, सर्वे संतु निरामया" इस आदर्श का उल्लेख संविधान के चौथे भाग और अनुच्छेद 38 में किया गया हैं।
- बेरूबारी संघ 1960 (यूनियन) के मामले में उच्चतम न्यायलय ने अपने आदेश में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका का महत्व केवल तब होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट हो।
- किन्तु 1973 में केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी के मामले में दिये गये निर्णय को उलट दिया और अपने आदेश में कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग हैं।
- गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब सन् 1967 के मामले में न्यायाधिपति ने कहा- "उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शो एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है"।
- उद्देशिका में संशोधन- 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को उद्देशिका में संशोधन करने की शक्ति है। किन्तु 1973 में केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिये गये निर्णय कि "उद्देशिका के उस भाग को जो मूल ढ़ांचे से सम्बन्धित हैं, संशोधन नहीं किया जा सकता है" को प्रभावित करती है।
- 42वें संविधान संशोधन को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह उद्देशिका के मूल ढ़ांचे को नष्ट करता है।
- भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की व्याख्या दी गई है।
- भारत को मुख्य रूप से एक गणराज्य माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है।
- 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और अखण्डता शब्द नहीं थें।
- भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है।
- भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में एक विशेषता यह है कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है।
- संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया था।

Downloaded From www.studymasterofficial.com

- संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन ने अपनाया था। विधि के समक्ष समता का सिद्धान्त इंग्लैण्ड के संविधान से लिया गया है।

शासन व्यवस्था का स्वरूप

1. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
2. समाजवादी
3. पंथ निरेक्ष
4. लोकतंत्रात्मक
5. गणराज्य

पंथनिरपेक्ष (Secularism)- किसी विशेष धर्म को राजधर्म की मान्यता नहीं।

नोट- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंथनिरपेक्ष शब्द की उपयोगिता अधिक प्रासंगिक हो गई है यह आय दिन सुनने में आ रहा है कि Secularism खतरे में है। आखिर यह है क्या? इसे संक्षिप्त में समझते हैं।

संपद्राय- एक जैसी विचारधारा, मूल्यों व मान्यताओं को मानने वाले लोग जैसे- हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि भारतीय पंथनिरपेक्षता पाश्चात्य पंथनिरपेक्षता से बिल्कुल अलग है जहां पाश्चात्य विचारधारा राजनीति व धर्म को बिल्कुल अलग करती है (मैकियावेली) वहीं भारतीय पंथनिरपेक्षता 'सर्व धर्म संभाव' की भावना से प्रेरित है अर्थात् सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करती है। भाग-3 (अनुच्छेद 25 से 28)

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS WORLD Committed to Excellence

संघ और उसके राज्य क्षेत्र
The Union and its Teritories

अध्याय 6

Union संघ– Union का निर्माण विलयपत्र आदि के माध्यम से किया जाता है जिसमें संघ के सदस्यों को स्वतंत्रता नहीं होती है, केंद्र सरकार के फैसले इकाईयों पर बाध्यकारी होते हैं। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है।
जैसे- काफी हद तक भारत

Fedresion परिसंघ– यह एक स्वयंशासित राज्यों के द्वारा समझौते के आधार पर बनाया जाता है। सभी इकाईयां एक केंद्र सरकार के अधीन होती है। केंद्र सरकार के निर्णय सभी इकाईयों पर बाध्यकारी होते हैं। संविधान में बदलाव के लिए सभी सदस्यों की अनुमति आवश्यक होती है। जैसे- अमेरिका

संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र की व्याख्या की गई है।

अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

(1) राज्यों के राज्य क्षेत्र
(2) संघ क्षेत्र
(3) ऐसे राज्यक्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अर्जित किया जाए

- वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य तथा 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं।
- भारत को संविधान में प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को राज्यों का संघ घोषित किया गया हैं। अमेरिकी संघवाद की तरह भारतीय संघवाद आपस में किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य अपनी इच्छा से परिसंघ से अलग नहीं हो सकते है, और न ही अपने राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं।
- संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। इसके लिए ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का एकीकरण किया गया था।
- ब्रिटिश सरकार ने 12 मई 1947 को देशी रियासतों पर एक श्वेत पत्र जारी किया जिसके आधार पर सम्राट की सर्वोच्च शक्ति को समाप्त कर उन्हें स्वतंत्र किया गया।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में स्थित 562 देशी रियासतों में 559 रियासतों को सरदार बल्लभ भाई पटेल की सूझ-बूझ से भारत में स्वेच्छा से विलय कर लिया था। किन्तु तीन रियासतों जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू-कश्मीर ने अपने को शामिल नहीं किया था। कुछ समय पश्चात जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद की रियासत पुलिस कार्यवाही द्वारा तथा जम्मू-कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी कबाइलियों के कारण विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर शामिल हुए।

राज्यों का संघ

भाग (1)	भाग (2)	भाग (3)	भाग (4)
1. बिहार	1. हैदराबाद	1. भोपाल	1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2. मुंबई	2. जम्मू-कश्मीर	2. विलासपुर	2. अन्य कोई अधिग्रहित राज्य
3. मध्य प्रदेश	3. मध्य भारत	3. कूच-बिहार	
4. मद्रास	4. मैसूर	4. कोड्गू	
5. असम	5. पटियाला और		
6. पंजाब	6. पूर्वी पंजाब		
7. संयुक्त प्रांत			
8. पश्चिम बंगाल			

नोट– *हैदराबाद को ऑपरेशन Polo (1948) द्वारा मिलाया गया।*

इस तरह देशी रियासतों तथा ब्रिटिश प्रान्तों का एकीकरण करके भारत में 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया–

मूल संविधान-1949 में शामिल राज्य-

- सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 तक भारतीय राज्यों के संघ के भाग (ख) में राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर-कोचीन, विंध्य-प्रदेश तथा भाग (ग) में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा हो गये थें।

अनुच्छेद (2) संसद को दो प्रकार की शक्ति प्रदान करता है–

1. नये राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति जो पहले से शामिल है।
2. नये राज्यों को स्थापित करने की शक्ति जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है।

अनुच्छेद (3) संसद को निम्न शक्ति प्रदान करता है–

1. किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नये राज्य का निर्माण करेंगी।
2. किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार
3. किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है
4. किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन
5. किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करेंगी।

नोट:–संघ किसी राज्य को समाप्त कर सकती है किन्तु राज्य नहीं।

संघ राज्यों के पुर्नगठन पर आयोग–

1. **भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन–**

सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में 1912 में भाषायी आधार पर तीन राज्य, उड़ीसा, असम तथा बिहार का गठन किया गया था। तेलुगु, कन्नड़ तथा मराठी भाषी जनता के दबाव में 1948 को सेवानिवृत न्यायाधीश *एस० के० धर* की अध्यक्षता में चार सदस्यीय भाषायी प्रान्तीय आयोग (Linguistic Provinces Commission) का गठन किया गया था जिसकी 1948 में प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की रिपोर्ट का विरोध किया गया।

- **जे वी पी समिति**– काँग्रेस कार्य समिति ने जयपुर अधिवेशन में (दिसम्बर 1948) जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभिसीतारमैया की एक समिति राज्यों के पुर्नगठन पर विचार

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed to Excellence

करने के लिए गठित की। जिसकी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर गठन को अस्वीकार कर दिया गया था। किन्तु अप्रैल 1949 की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जनभावना को देखते हुए उनकी माँग को स्वीकार कर लेना चाहिए।

- इस आधार पर 1 अक्टूबर, 1953 को भारत सरकार ने तेलुगु भाषियों की माँग को मानते हुए मद्रास से पृथक करते हुए प्रथम भाषा के आधार पर आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन किया।
- **फजल अली आयोग** – भारत सरकार ने 22 दिसम्बर 1953 को तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था जिसमें आयोग के अध्यक्ष फजल अली तथा दो अन्य सदस्य के. एम. पणिक्कर तथा एच. एन. कुंजरू थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश किया जिसमें एक राज्य एक भाषा के सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया था जिसमें 16 राज्यों तथा 3 केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्रों के निर्माण की सिफारिश की थी।
- केन्द्र सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ फजल अली आयोग की रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जिसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित करते हुए अनुच्छेद 1 में संशोधन किया तथा राज्यों की चार श्रेणियों (1, 2, 3, 4) को समाप्त कर तीन वर्गों में विभाजित किया। परिणामस्वरूप 1 नवम्बर 1956 को 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया।
- भारतीय संविधान के उपबन्धों के अनुसार संसद सामान्य बहुमत से विधि बनाकर नये राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नामों में, सीमाओं में तथा राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है।
- प्रथम शर्त के अनुसार इस प्रक्रिया में विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत होगा किन्तु किसी राज्य के नाम, सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति उस राज्य के विधान मण्डल के पास विचार करने के लिए भेजेगा।

  अनुच्छेद 4- 2 व 3 के तहत किया गया परिवर्तन। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जायेगा।

नए राज्य क्षेत्र को अपने में मिलाने के निम्न तरीके हो सकते हैं–

अभ्यर्पण (Cession)- जब कोई राज्य क्षेत्र कोई देश अपनी स्वेच्छा से दे दे तब वह भारत का हो जायेगा जैसे- पुदुचेरी फ्रांस द्वारा 1954 में देने की पेशकश की, चंदनगर 1952 में फ्रांस द्वारा देने की पेशकश की गई, भूटान पूर्णतया अभ्यर्पण नहीं कहा जा सकता केवल वाह्य मामले में कह सकते हैं भूटान की विदेशी नीति भारत निर्देशित करेगा सभी वैदेशिक मामले भारत के पास आ गये 2007 में यह संधि समाप्त हो गइ।

अपवृद्धि (Accretion)- प्राकृतिक कारणों से कोई क्षेत्र भारत में आकर मिल जाये जैसे कच्छ का रन (काफी हद तक)

आवेशन (Occupation)- जिस क्षेत्र पर किसी का कब्जा न हो वहां हम अपना कब्जा कर ले। तो वह हमारा हो जायेगा जैसे न्यू मूर द्वीप।

चिरभोग (Prescription)- जहां हम पूर्व से अपनी सम्प्रभुता शान्तिपूर्ण तरीके से स्थापित कर ले ले। जैसे- हिमाद्री, गंगोत्री आदि।

संविधान की इस पूर्वगामी शक्ति का प्रयोग निम्न प्रकार से किया गया–

1. मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर 1953 में आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया।
2. 1954 में हिमाचल प्रदेश और विलासपुर राज्य को विलय कर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया।
3. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक अलग राज्य केरल बनाया गया।
4. मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुम्बई राज्य से दो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया।
5. असम राज्य से नागा पहाड़ी और ट्युएनसांग क्षेत्र को अलग कर नागालैण्ड राज्य अधिनियम द्वारा 1962 में संविधान की छठीं अनुसूची से इस जनजाति क्षेत्र को अलग कर दिया गया।
6. 1966 में पंजाब राज्य को दो भाग में बाँटकर पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़ संघ राज्य में बाँटा गया।
7. 1969 में असम राज्य से मेघालय राज्य का गठन किया।
8. 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया।
9. 1968 में मद्रास का नाम परिवर्तित कर तमिलनाडु कर दिया गया।
10. पांडिचेरी (करायकल, माहे और यमन) को 1954 में भारत ने फ्रांसीसी सरकार से प्राप्त किया था जो 1962 में संघ राज्य क्षेत्र बना गया।
11. 35वाँ संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का सहयुक्त राज्य बनाया गया।
12. दमण और दीव को 12वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया।
13. लकादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह का नाम बदलकर 1973 में लक्षद्वीप कर दिया गया था।

- 1991 में 69वाँ संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 239 में (क.क) को जोड़कर दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र घोषित किया गया।
- 24 जनवरी, 1950 को संयुक्त प्रांत (United Province) का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया।
- 30 मई 1987 में गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन के माध्यम से गोवा को दमन और दीव से अलग करके गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया है जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहे।
- 1 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ को भारत का 26वां स्वतंत्र राज्य बनाया गया।
- 9 नवंबर, 2000 को उत्तराखण्ड को भारत का 27वां स्वतंत्र राज्य बनाया गया।
- 15 नवंबर, 2000 को झारखण्ड को भारत का 28वां स्वतंत्र राज्य बनाया गया।
- 2 जून, 2014 को तेलंगाना को भारत का 29वां स्वतंत्र राज्य बनाया गया।

Downloaded From www.studymasterofficial.com Committed to Excellence

नागरिकता
Citizenship

अध्याय 7

किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है, जिसमें उसे नागरिक के रुप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

नागरिक– राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति, जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है नागरिक कहलाता है।

- ➢ भारत के संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे अपने देश में सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
- ➢ भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है।

नोट– अभी तक 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया जा चुका है।

- ➢ **नागरिकता अधिनियम 1955**– अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तय करें। इस अधिनियम के आधार पर 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्ति के उपबन्ध हैं।

  1. जन्म से, 2. वंशानुक्रम से, 3. पंजीकरण द्वारा, 4. देशीकरण द्वारा, 5. अर्जित भू-भाग द्वारा।

- ➢ **नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003**– इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य विदेशियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करना है। यह विधेयक लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। इस अधिनियम द्वारा 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को उनकी विदेशी नागरिकता के साथ भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

चतुर्थ अनुसूची में निम्नलिखित देश हैं–

1. आस्ट्रेलिया	2. कनाडा	3. फिनलैण्ड	4.
4. फ्रांस	5. ग्रीनलैण्ड	6. आयरलैण्ड	
7. इजरायल	8. इटली	9. नीदरलैण्ड	
10. न्यूजीलैण्ड	11. पुर्तगाल	12. साइप्रस	
13. स्वीडन	14. स्विटजरलैण्ड	15. यूनाइटेड किंगडम	
16. अमेरिका			

नागरिकता का अन्त

(i) किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर।

(ii) नागरिकता का परित्याग करने पर।

(iii) सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर।

(iv) पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष सजा पाने पर।

(v) किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर।

(vi) लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने पर।

- ➢ 28 जून 2005 को नागरिकता संशोधन अधिनियम पेश किया गया था। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 की चौथी अनुसूची को हटाने के लिए था।
- ➢ इस अधिनियम के अनुसार भारतीय मूल के व्यक्ति जिनके माता-पिता, दादा-दादी 26 जनवरी 1950 के बाद प्रवासित हुए या उस क्षेत्र से हैं जो 15 अगस्त 1947 को भारत का अंग बन गया हों, वह ऐसे देश में हों जहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान हों वे लोग सीमा पारीय दोहरी नागरिकता प्राप्त कर सकते है।
- ➢ भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005 के अनुसार भारत में अप्रवासी नागरिकों को ठहरने की अवधि 1 वर्ष कर दी गयी है।
- ➢ भारत के नागरिकों को संविधान में कुछ मूल अधिकार प्राप्त हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं- *ये निम्न है*–

1. अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30
2. भारतीय नागरिक ही केवल कुछ पदों पर आसीन होने के पात्र हैं। जैसे- अनुच्छेद 58(1) राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 66(3) - उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 144(3)- उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, अनुच्छेद 217 (2)- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, अनुच्छेद 76 (2) - महान्यायवादी, अनुच्छेद 157- राज्यपाल अनुच्छेद 165- महाधिवक्ता।
3. संसद का सदस्य- अनुच्छेद 84 तथा राज्य विधान मण्डल का सदस्य होने का अधिकार - अनुच्छेद 191(घ) केवल नागरिकों तक सीमित है।
4. लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार- अनुच्छेद 326।

- ➢ भारत का संविधान संघीय हैं किन्तु यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है।
- ➢ अमेरिका तथा स्विट्जरलैण्ड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

CAA & CAB

Citizenship Amendment Act ये संसद में पास होने के पहले CAB संसद में पास होने और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये बिल नागरिक संशोधन कानून बन गया। इस एक्ट के माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आये हिन्दु, बौद्ध, जैन, सिख, इसाई, पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है।

CAA से बाहर- इस कानून में असम के आदिवासी इलाके और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, व नागालैंड को बाहर रखा गया है।

क्या भारत का बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ प्रत्यावर्तन संधि है?

किसी को उनके मूल स्थान पर वापस भेजने की प्रक्रिया प्रत्यावर्तन कहलाता है। जबकि भारत का बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ऐसी कोई संधि नहीं है।

नागरिकता कानून 1955 के अनुसार अवैध प्रवासी कौन हैं?

वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने वाले लोग या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करने वाले वे लोग जो स्वीकृत अवधि के बाद भी वापस नहीं गए हैं, वे सभी अवैध प्रवासी हैं।

नए कानून के मुताबिक अवैध प्रवासी कौन हैं?

अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान से आने वाले सभी हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें वैध प्रवासी माना जायेगा। उनके अलावा वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के साथ प्रवेश करने वाले वो लोग जो स्वीकृत अवधि के बाद भी वापस नहीं गए हैं, वे सभी अवैध प्रवासी हैं।

- पहले नागरिकता हासिल करने के लिए 11 वर्ष रहना अनिवार्य था अब यह अवधि 1 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई है।

विरोध क्यों?

(i) विरोधियों का कहना है कि ये कानून संविधान की मूल भावना और सेकुलरिज्म के खिलाफ है।

(ii) अवैध प्रवासियों को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है।

(iii) भविष्य में NRC लाने पर सिर्फ मुस्लिमों को ही अपनी नागरिकता साबित करनी होगी जबकि बाकी छः धर्मों को इसमें छूट मिलेगी।

(iv) असम की तर्ज पर नागरिकता साबित न करने वाले लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जायेगा।

(v) पूर्वोत्तर भारत में इसका व्यापक विरोध हुआ ऐसा माना गया कि इससे North East की सभ्यता, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, संसाधन व रोजगार को प्रभावित होंगे।

(vi) Ahmadiya & Shai Muslims in Pakistan

Artheists in Bangladesh

Tamils in Sri Lanka

Madhesis in Nepal

Buddhists from Tibet

Rohingyas in Myanmar

इन सभी गैर-मुस्लिमों को भी मानवता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नये बिल में शामिल किया जाये।

NRC- National Register of Citizens

एक प्रकार का रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों को रिकार्ड रखा जायेगा।

नोट-(i) NRC की शुरूवात 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में असम में हुई थी। फिलहाल यह असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है।

(ii) सरकार पूरे देश में NRC लागू करने की बात कह रही है।

(iii) उन्हें ही जगह दी गई जिन्होंने साबित कर दिया कि वे या उनके पूर्वज 24 मार्च, 1971 से पहले भारत आकर बस गए थे।

NPR- National Population Register

NPR देश के 'सामान्य नागरिकों' की सूची है, जिसमें सभी नागरिकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसे नागरिकता अधि नियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचानपत्र जारी करना) नियमों 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय (गांव/मोहल्ला/वार्ड/कस्बा, तहसील, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है।

सामान्य नागरिक कौन होते हैं?

कोई भी निवासी जो 6 माह या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है या, 'माह तथा उससे अधिक रहने का इरादा रख रहा है सामान्य निवासी कहेंगे।

Downloaded From www.studymasterofficial.com

मूल अधिकार
Fundamental Rights

अध्याय 8

अधिकार क्या?

मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ जिनके अभाव में सामान्यत: व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है।

मानवाधिकार

ये वे अधिकार हैं जो हमें मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। यह एक व्यापक अवधारणा है जैसे-जैसे हम संकुचित मानसिकता से बाहर निकलते हैं वैसे-वैसे मानवाधिकार का दायरा बढ़ता जाता है।

नोट- व्यक्ति के मौलिक अधिकार या नागरिक अधिकार समाप्त भी हो जाये तो भी मानवाधिकार बने रहते हैं। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 ई. हुई जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मैग्नाकार्टा कहा जाता है।

मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ। भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है इसे भारत का अधिकार पत्र (Magna carta) कहा जाता है। इंग्लैण्ड के सम्राट जॉन द्वारा 1215 में जारी मैग्नाकार्टा प्रथम लिखित दस्तावेज था। इसी को मूल अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है। इंग्लैण्ड में Bill of rights द्वारा जनता को मूल अधिकार प्राप्त हैं।

- फ्रांस में एक लंबे संघर्ष के पश्चात सन् 1789 में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणापत्र द्वारा फ्रांस की जनता को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किया गया था।
- अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था किन्तु दसवें संविधान संशोधन द्वारा 1791 में अधिकार पत्र जोड़ा गया। अमेरिका और फ्रांस में प्राकृतिक अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गयी।
- किसी भी नागरिक के पूर्ण विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास) के लिए मूल अधिकार आवश्यक है।

भारत में मूल अधिकार की माँग तथा संवैधानिक स्थिति-

भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग संविधान विधेयक 1895 ई. के माध्यम से की गई।

- श्रीमती एनी बेसेण्ट के कॉमन वेल्थ ऑफ इण्डिया बिल 1925 तथा मोती लाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारतीयों के लिए मूल अधिकार की माँग की गयीं।
- साइमन कमीशन 1927 तथा संयुक्त संसदीय समिति 1934 में मूल अधिकार की माँग को अस्वीकार कर दिया गया जिससे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया।
- संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा ने सरदार बल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक समिति का गठन किया। कुछ समय पश्चात जे. वी. कृपलानी की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन किया गया इन्ही समिति और उपसमिति की सिफारिशों ने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया।
- संविधान में मूल अधिकारों से सम्बन्धित उपबन्धों को समाविष्ट करने का उद्देश्य एक विधि-शासित सरकार की स्थापना करना जिसमें अल्पसंख्यकों का शोषण न हों, अर्थात डायसी के "विधि शासन" (Rule of law) की स्थापना करना।
- भारत संविधान के मूल रूप में भाग-3 में 7 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था किन्तु वर्तमान में 6 मूल अधिकार है।

राज्य की परिभाषा- अनुच्छेद 12:-

राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं।

1. भारत सरकार और भारत की संसद
2. राज्य सरकार और विधान मण्डल
3. सभी स्थानीय निकाय, नगरपालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड आदि।
4. अन्य प्राधिकारी जिसका तात्पर्य है वे प्राधिकारी जो शासकीय या संप्रभु शक्ति (Sovereign power) का प्रयोग करते है।

जैसे- वैधानिक या गैर-संवैधानिक प्राधिकरण एलआईसी, ओएनजीसी, सेल आदि।

- इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब वह मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो।

मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ- (अनुच्छेद 13)

- अनुच्छेद 13 के उपखण्ड 2 में राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार में हस्तक्षेप करती है। इस खण्ड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।
- अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का आधार स्तम्भ तथा न्यायालयों को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों की रक्षा करें।

न्यायिक पुनर्विलोकन- यह शक्ति न्यायालयों को अनुच्छेद 13 द्वारा प्राप्त होती है। जो अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के द्वारा क्रमश: उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है।

नोट- न्यायिक पुनर्विलोकन संसदीय सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय बनाने का कार्य करती है। जहां संसद संविधान में संशोधन तथा विधि बना सकती है वहीं न्यायपालिका इसके असंगत होने पर विधि शून्य घोषित कर सकती है।

- फ्रांसीसी दार्शनिक मान्टेस्क्यू ने सरकार के सभी अंगों की अनियन्त्रित शक्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त (Separation of powers) का प्रतिपादन किया था। न्यायिक पुनर्विलोकन की धारणा सीमित शक्ति वाली सरकार के सिद्धान्त से हुआ है जिसमें दो विधियाँ हैं।

  (i) साधारण विधि (ii) सर्वोच्च विधि अर्थात संविधान

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

- न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धान्त को सर्वप्रथम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 द्वारा प्रदान की गई है।
- **आच्छादन का सिद्धान्त (Doctrine of Eclipse)** - यह संविधान के अनुच्छेद 13 के उपखण्ड (1) पर आधारित है। जिसके अनुसार संविधान पूर्व विधियाँ संविधान के लागू होने पर उस समय तक उस मात्रा तक मान्य नहीं होगी जहाँ तक वे मूल अधिकारों से असंगत है। ऐसे कानून समाप्त नहीं होते है बल्कि आच्छादन हटाने से पुन: सजीव हो जाते है।
  भिखाजी बनाम म०प्र० राज्य

अधित्याग का सिद्धान्त (Doctrine of waiver)

- इस सिद्धान्त के अनुसार संविधान द्वारा प्रद्त मूल अधिकारों को कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता है। मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि लोकनीति के आधार पर सर्वसाधारण के लिए होते है। अनुच्छेद 14 इस अधिकार को वर्जित करता है।
- संविधान के 24 वें संशोधन, 1971 के अनुसार अनुच्छेद 13(2) में किये गये संशोधन में- कोई भी विधि अनु. 13 (2) में प्रयुक्त "विधि" शब्द में सम्मिलित नहीं है।
- 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय आया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन विधि के अन्तर्गत नहीं आता अत: संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।
- 24वें संविधान संशोधन 1971 में यह व्यवस्था दी गयी कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
  (ii) संसद द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत विधि नहीं माना जायगा।
  (iii) राष्ट्रपति सभी संविधान संशोधनों पर अनुमति देने के लिए बाध्य है।
- 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य की कठिनाईयों को दूर करने के लिए यह व्यवस्था दी गई थी-
  (i) संसद द्वारा किये गये संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  (ii) संसद को संविधान संशोधन शक्ति पर कोई परिसीमा नहीं है।
- संसद संविधान संशोधन के मूल ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। (मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामले में)

मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद-

भाग-3 अनुच्छेद 12 से 35

1. समता का अधिकार (Right to Equality) अनुच्छेद 14 से 18
2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) अनुच्छेद 19 से 22
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (Right against Exploitation) अनुच्छेद 23 से 24
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to freedom of Religion) अनुच्छेद 25 से 28
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights) अनुच्छेद 29 से 30
6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) अनुच्छेद 32

समता का अधिकार (Right to Equality)-

- संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

इस अनुच्छेद में दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है-

1. **विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार**- यह अधिकार नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में दो प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है-
   (i) कानून के समक्ष समानता अर्थात् राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एकसमान कानून बनायेगा तथा उस कानून को सभी व्यक्तियों पर एकसमान रूप से लागू किया जाएगा।
   (ii) कानून का समान संरक्षण अर्थात् समान परिस्थितियों में पाये जाने वाले व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

नोट-*विधि के समक्ष समानता यूके से तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है।*

2. **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध** -इस अधिकार में नागरिकों के अतिरिक्त तथा इसके अतिरिक्त इस अधिकार के तहत भाषा या निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है। अन्य व्यक्तियों के संबंध में विभेद किया जा सकता है।

- अनुच्छेद 14 के अधीन विधि का शासन संविधान का "आधारभूत ढाँचा" है, इसे 368 अनुच्छेद के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद में प्रयुक्त व्यक्ति से तात्पर्य है भारत के भू-क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति चाहे वे भारतीय हो या विदेशी विधि के समान संरक्षण प्रदान किया जायेगा।
- समान कार्य के लिए समान वेतन- यह मूल अधिकार नहीं किन्तु एक सांविधानिक लक्ष्य है जो अनुच्छेद 14 के अनुसार किन्हीं दो व्यक्ति (पुरूष या महिला) के बीच बिना किसी आधार के विभेद नहीं किया जा सकता यदि ऐसा होता है तो वह अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है।
- अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
- अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का उपयुक्त उदाहरण है। अनुच्छेद 15 के अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किये गये हैं।
- यहाँ विभेद शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ दूसरे की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना।
- अनुच्छेद 15(1) में केवल शब्द का प्रयोग है जिसका तात्पर्य है कि विभेद जन्म स्थान, धर्म, वंश, जाति, लिंग के अलावा किसी अन्य आधार पर हो तो वह मूल अधिकार के अनुच्छेद को प्रभावित नहीं करेगा। राज्य निवास और भाषा के आधार पर विभेद कर सकता है।
- अनुच्छेद 15 के 2 (क) के सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य है कि वह स्थान जहाँ राज्य की जनता का आवागमन होता रहता है जैसे पार्क, स्टेशन, अस्पताल, आदि।
- अनुच्छेद 15 (3) और 4 उपखण्ड राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिए संरक्षणात्मक भेदभाव की आज्ञा देता है। यह स्थिति समाज में महिलाओं की लिंग नहीं बल्कि उनकी विशेष स्थिति के आधार पर

Downloaded From www.studymasterofficial.com

वर्गीकरण किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग- सन् 1990 में संसद द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 पारित किया गया जिसके आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई।

संविधान का 93वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2005- अनुच्छेद 15 में खण्ड (5) जोड़ा गया कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 19(1) छः की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगी।

अनुच्छेद 16 लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार- यह अनुच्छेद केवल प्रारम्भिक नियुक्तियों की बात नहीं करता वरन् पदोन्नति, पदच्युति, वेतन, पदोत्तर, अवकाश, पेन्शन आदि बातें भी शामिल है।

- यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
- अपवाद स्वरूप राज्य को संसद द्वारा लोक नियोजन अधिनियम 1957 पारित करके यह शक्ति दी गयी थी कि वह आन्ध्रप्रदेश हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा संघ में कुछ पद और सेवाओं में अहर्ता प्रदान करती है। किन्तु 1974 में यह अधिनियम समाप्त हो गया था।
- लोक नियोजन में शर्त के रूप में निवास का उपबन्ध नहीं है। किन्तु अनुच्छेद 371 घ, में आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष उपबंध बनाया गया।
- अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य सेवाओं में पर्याप्त नहीं हैं नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है।

इसके लागू होने के लिए दो शर्ते है-

(1) वर्ग पिछड़ा हो; संविधान में पिछड़ा वर्ग की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है। किन्तु अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि पिछड़े वर्गों के अवधारण के लिए आयोग की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है।

(2) अनुच्छेद 16 (4) में सामाजिक और शैक्षिक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है किन्तु पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य सभी पिछड़े वर्ग के नागरिक जिसमें सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग भी आता है। इसमें वह वर्ग भी सम्मिलित है जो अनुच्छेद 15 के उपखण्ड 4 में नहीं आते हैं।

मण्डल आयोग- जनता दल की सरकार में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने 1 जनवरी 1979 में पिछड़े वर्गों के निर्धारण करने के लिए श्री बी० पी० मण्डल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। दिसम्बर 1980 में मण्डल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी।

- हिन्दू समाज में पिछड़े वर्ग की पहचान जाति के आधार पर की जाति है। जाति के साथ पारंपरिक जीविका, निर्धनता, निवास स्थान शिक्षा का अभाव शामिल है।
- अनुच्छेद 16 (4) में सामाजिक पिछड़ेपन की बात की गयी है।
- किसी जाति को आरक्षण पाने का अधिकार तभी होगा जब राज्य सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हों।
- आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- पदों का आरक्षण नियुक्ति की आरंभिक स्थिति तक होना चाहिए किन्तु 77वें संविधान संशोधन में यह शर्त समाप्त कर दिया गया।
- पिछड़े वर्गों का समय-समय पर पुनर्विलोकन होना आवश्यक है।
- 1991 में नरसिंहराव सरकार में दो परिवर्तन किये गए-

1. आरक्षण का आधार आर्थिक माना।
2. निम्न आय वर्ग के लोगों को 10% का अतिरिक्त आरक्षण।

राम नंदन समिति- अन्य पिछड़े वर्गों में विशिष्ट वर्गों की पहचान के लिए इस समिति का गठन किया गया, समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की थी।

राष्ट्रीय आयोग का गठन- संसद के अधिनियम द्वारा आरक्षण के लिए 1993 में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया।

77वाँ संविधान संशोधन- इस संशोधन का उद्देश्य था कि मण्डल आयोग के मामले में दिए गये निर्णय को समाप्त करना। तथा इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 में उपखण्ड 4क जोड़ा गया है।

81वाँ संविधान संशोधन 2000- इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 के खण्ड 4 क के पश्चात् एक नया खण्ड 4 ख जोड़ा गया जिसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 50% की सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

85वाँ संविधान संशोधन 2001- सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति किसी वर्ग की प्रोन्नति के मामले में के स्थान पर शब्दावली परिणामस्वरूप वरिष्ठता को जून 1995 से प्रभावी (77 संशोधन से) मानने की व्यवस्था है।

- अनुच्छेद 16 में एक तीसरा अपवाद यह है कि अनुच्छेद 16 के उपखण्ड (1) और (2) में प्रावधान है कि लोकपदों में धर्म के आधार पर असमानता करना वर्जित है। किन्तु इस अनुच्छेद के उपखण्ड 5 में प्रावधान किया गया है कि राज्य अपनी भाषा, शैक्षणिक अर्हता, शारीरिक स्वास्थ्य तथा साक्षात्कार के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेद कर सकता है।

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अन्त (Abolition of untouchability)- इस अनुच्छेद में 'अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है।

- संसद ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया था। जिसमें 1976 में संशोधन करके इसका नाम **"सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955"** कर दिया गया है।
- अस्पृश्यता शब्द के अर्थ की व्याख्या न तो संविधान में है और न ही न्यायालय में की है किन्तु यह माना जा सकता है जैसे- जन्म, रोग, मृत्यु, एवं अन्य कारण हो सकते है। यह सामाजिक बुराई है जो जाति-प्रथा पर आधारित है।
- यह अधिकार प्राइवेट व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है कि राज्य का संवैधानिक कर्त्तव्य है कि वह इन अधिकारों के उल्लंघन रोकने के लिए रोक लगा कर दंडित करें।

अनुच्छेद 18- उपाधियों का अन्त (Abolition of titles)- अनुच्छेद 18 राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सैन्य और शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर कोई उपाधि नहीं धारण

Downloaded From www.studymasterofficial.com

करेगा।

- राज्य को सामाजिक सेवा के लिए कोई सम्मान या पुरस्कार देने से रोक नहीं लगाया गया है। बल्कि यह सम्मान या पुरस्कार वह अपने नाम के साथ नहीं प्रयोग करेगा।
- अनुच्छेद के चौथे उपखण्ड में प्रावधान किया गया है कि राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति किसी अन्य देश से भत्ता, उपहार, सुविधाएँ तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी न हों।
- 1954 में दो अधिसूचनाओं द्वारा भारत सरकार ने कई प्रकार के अलंकरण प्रारम्भ किया था:-

1. भारत रत्न 2. पद्म विभूषण

3. पद्म भूषण 4. पद्म श्री।

- किन्तु जनता पार्टी सरकार ने 1977 में इन उपाधियों का अन्त कर दिया लेकिन जनता पार्टी की सरकार के समाप्त होने के पश्चात 1980 में पुनः आरम्भ किया गया। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, आदि अलंकरण सामंतवादी उपाधियाँ नहीं है।
- अनुच्छेद 18 के उल्लंघन होने पर किसी दण्ड का प्रावधान नहीं है।

स्वतंत्रता का अधिकार (Right to freedom)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में नागरिकों को दैहिक स्वतंत्रता सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये गये हैं। यह मूल अधिकारों का आधार स्तम्भ है।
- संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत 7 मूल अधिकार का प्रावधान था किन्तु 44 वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया अर्थात अनुच्छेद 19(1) के उपखंड च का लोप कर दिया गया।

अनुच्छेद 300 क- संविधान के भाग 12 में 1978 में एक नया अध्याय 'सम्पत्ति का अधिकार' नाम से जोड़ा गया हैं। जिसमें यह प्रावधान है कि "किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना सम्पत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा।"

वाक् स्वतन्त्रता आदि विषयक अधिकार-

- वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के 6 अधिकार है।

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता- इसका तात्पर्य है कि भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार, शब्द, लेख, पत्र, मुद्रण, चिन्ह, या अन्य किसी भी प्रकार से वह अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

- भाषण और विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ **"प्रेस की स्वतंत्रता"** भी शामिल है हालाकि अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है।
- प्रेस की स्वतंत्रता के अन्तर्गत विज्ञापन और सिनेमा को नहीं माना जाता है।
- भारत में प्रथम प्रेस आयोग 1954 के सुझावों के आधार पर 1956 में प्रेस परिषद अधिनियम पारित किया गया है। यह परिषद सरकार की ओर तथा विरोध दोनों तरफ से सामाजिक पत्रों की शिकायतें सुनता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम- सर्वप्रथम 5 दिसम्बर 2002 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबन्धन सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। किन्तु 2005 में इस अधिनियम को निरस्त कर इसकी जगह 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ।

- सूचना अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के पास सरकारी कामकाज से सम्बन्धित सूचनाओं को प्राप्त करने का प्राधिकार देता है।
- इस अधिनियम के दायरे में केन्द्र, राज्य सरकारें स्थानीय और कार्यपालिका के साथ न्यायपालिका व विधायिका भी आती है। इसके अलावा, सरकार के स्वामित्व व नियन्त्रण वाली प्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से वित्तीय मदद वाले निकाय गैर सरकारी संस्थाएं तथा सरकारी वित्तीय सहायता वाली निजी संस्थाएं शामिल है।
- कानून के तहत अधिकारियों को 30 दिन के अन्दर लोगों को सूचना उपलब्ध कराना होगा।
- जीवन से जुड़ी सूचना 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऐसा न होने पर अधिकारी के खिलाफ दण्ड का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों को मूल अधिकार में शामिल- 22 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम नवीन जिंदल** के मामले में निर्णय दिया है कि देश के सभी नागरिकों द्वारा अपने घर, दफ्तर, आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19 (1) के तहत मूल अधिकार है।

- किन्तु अनुच्छेद 19 के उपखण्ड (2) के तहत यह अधिकार आत्यन्तिक (absolute) नहीं है इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाये जा सकते है।
- फोन टेप करना मूल अधिकार का उल्लंघन करना है।

2. शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता:-

- लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन और हड़ताल जनता के मुख्य हथियार है। किन्तु अनुच्छेद 19 (1) के तहत केवल उन्हीं प्रदर्शनों को संरक्षण प्रदान करता है जो हिसांत्मक तरीके से न किया गया हों। किन्तु प्रदर्शन करने से पहले लोक व्यवस्था के हित में सरकार से आज्ञा लेना आवश्यक है।
- हड़ताल का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है। भारत की प्रभुता और अखण्डता तथा लोक व्यवस्था के हित में युक्ति-युक्त बन्धन लगाये जा सकते है।

संगम या संघ बनाने की स्वतन्त्रता- सभी नागरिकों को संगठन या समिति बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। किन्तु यदि यह संगठन लोक व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करता है तो इस आधार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

- इस अधिकार के अन्तर्गत सैनिकों और वेश्याओं को संघ बनाने की स्वतन्त्रता नहीं है।

भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण- इस स्वतन्त्रता के दो भाग है-(क) देश के अन्दर (ख) देश के बाहर भ्रमण करने का अधिकार किन्तु अनुच्छेद 19 (1) केवल देश के अन्दर भ्रमण का अधिकार देता है।

भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतन्त्रता- यह अधिकार देश के अन्दर कहीं भी जाने,

Downloaded From www.studymasterofficial.com Committed to Excellence

अस्थायी रूप से रहने और किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार देता है किन्तु राज्य आम लोगों के हितों में तथा अनुसूचित जनजातियों संस्कृति रिवाज के हितों की रक्षा के लिए बाहरी लोगों को उनके क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबन्धित करता है।

कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार– यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि यह नागरिकों को जीवन चलाने के लिए अधिकार देता है। किन्तु राज्य को साधारण हितों की रक्षा के लिए प्रतिबन्धित करने या इसकी स्वतंत्रता के सम्बन्ध आवश्यक योग्यता निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है।

➢ फुटपाथों पर व्यापार करना मूल अधिकार हैं। नगरपालिका की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर ऋषिकेष, हरिद्वार व मूनी की सीमा में अण्डों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

➢ अनुच्छेद 19 (2) में निम्न आधारों पर प्रावधान है-जिस आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं।

(i) **राज्य की सुरक्षा**– जिसमें आन्तरिक विद्रोह राज्य के विरूद्ध युद्ध छेड़ना, बगावत आदि से राज्य की सुरक्षा का खतरा होने पर।

(ii) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के हितों में–

(iii) **लोक व्यवस्था (Public Order)-** यह एक ऐसी स्थिति में जिससे आम जनता पर प्रभाव पड़ता है। लोक व्यवस्था को 1951 के प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा प्रतिबंध लगाने के आधार पर शामिल किया गया लेकिन इसमें साधारण उल्लंघन शामिल नहीं है।

(iv) **शिष्टाचार और सदाचार (Decency or Morality)-** इसको इसलिए सम्मिलित किया गया है ताकि समाज को अश्लील, भ्रष्ट तथा अनैतिक विचारों से समाज को बचाया जा सकें।

(v) **न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court)-** संविधान के अनुच्छेद 129 तथा 215 क्रमशः उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को उनकी अवमानना के लिए दण्ड देने का अधिकार है।

(vi) **मानहानि**– कोई भी कथन या प्रकाशन जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाता है, किसी व्यक्ति को समाज में घृणा, मजाक, अपमान का पात्र बनाता है। अनुच्छेद 19 (2) के तहत उस पर राज्य प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं।

(vii) **अपराध के लिए प्रोत्साहित करना– (Incitement to an offence)-** प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा यह अधि नियम में 1951 द्वारा जोड़ा गया था।

(viii) **भारत की संप्रभुता और अखण्डता**– संविधान के 16 संशोध न अधिनियम 1963 द्वारा जोड़ा गया है।

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्ध के सम्बन्ध में संरक्षण–

➢ ऐसे व्यक्ति जिन पर अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, अनुच्छेद 20 ऐसे दोषी व्यक्ति की सुरक्षा की व्यवस्था करता है।

(i) किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए विधि के अन्तर्गत विहित अपराध के लिए दोषी ठहराया जायेगा।

(ii) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दण्डित नहीं किया जायेगा।

(iii) **आत्म-अभिशंसन (Self-Dis crimination)-** किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया है, उसे अपने विरूद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

➢ यदि वह स्वंय साक्ष्य के लिए अपनी इच्छा से तैयार हो तो इसका उल्लंघन नहीं है। किसी अपराध के लिए अभियुक्त के परिसर की तलाशी के वारंट के तहत तलाशी लेना उल्लंघन नहीं है।

अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण:–

यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। यह अनुच्छेद विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत निम्न अधिकारों को माना है–

(i) जीवन रक्षण का अधिकार
(ii) मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार
(iii) प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका का अधिकार
(iv) स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण रहित पानी और हवा में जीने का अधिकार
(v) एकान्तता का अधिकार (Right of Privacy)
(vi) नि:शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
(vii) हिरासत में शोषण के विरूद्ध अधिकार
(viii) उचित स्वास्थ्य और इलाज का अधिकार
(ix) विदेशी यात्रा का अधिकार
(x) 14 साल की उम्र तक नि:शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
(xi) अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध अधिकार
(xii) अपील करने का कानूनी अधिकार
(xiii) वयस्क बालक एवं बालिका को स्वेच्छा से अन्तर्जातीय विवाह का अधिकार
(xiv) गर्भधारण के पूर्व लिंग का चुनाव महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन
(xv) सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का निषेध
(xvi) महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण–

नोट:– *अनुच्छेद 21 में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं हैं। जीवन जीने के अधिकार जिसमें गरिमामय जीवन भी आता है, का तात्पर्य ऐसे अधिकार से हैं, जो प्राकृतिक जीवन के अन्त तक है अर्थात् गरिमापूर्ण प्राकृतिक मृत्यु शामिल है।*

भारतीय दण्ड संहिता 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास करना असंवैधानिक, अवैध और दण्डनीय अपराध है किन्तु अब हटा दिया गया।

86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002– इस संशोधन द्वारा **अनुच्छेद 21 में (क)** जोड़ा गया है जो यह उपबन्धित करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 22– बन्दीकरण एवं निरोध के विरूद्ध सांविधानिक संरक्षण– किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से अनुच्छेद 22 द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खण्ड (1) एवं (2) सामान्य दण्ड-विधि के अधीन गिरफ्तारियों से तथा खण्ड (3),

Downloaded From www.studymasterofficial.com Committed to Excellence

(4), (5), (6), (7) निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी है।

गिरफ्तार व्यक्ति का संरक्षण:-

(i) गिरफ्तारी के कारण शीघ्र जानने का अधिकार।

(ii) अपनी पसन्द के अधिवक्ता से बचाव तथा विचार विमर्श का अधिकार।

(iii) जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घण्टे के अन्दर किसी निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाय।

नोट:- *उक्त खण्ड के अधीन प्राप्त अधिकार शत्रु-देश के व्यक्तियों और निवारक अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों पर लागू नहीं है। किन्तु शत्रु-देश का व्यक्ति खण्ड (4) और (5) के अधीन संरक्षण का दावा कर सकता है किन्तु उक्त अधिकार संसद द्वारा विधि के अधीन होगें।*

निवारक निरोध अधिनियम- अनुच्छेद 22 के तहत प्राप्त अधिनियम खण्ड (3) से (7) तक में प्रावधान किया गया है किन्तु निवारक निरोध अधिनियम को परिभाषित नहीं किया गया है। किन्तु इनका उद्देश्य है कि किसी अपराध को किये जाने से रोका जाय और अपराध करने वाले सम्भावित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए।

अब तक संसद द्वारा निम्न अधिनियम पारित किये गये है।

1. निवारक निरोध अधिनियम 1950 (Preventive Detention Act 1950) - यह अधिनियम 31 दिसम्बर 1969 तक अस्तित्व में था।
2. आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अनिधियम 1971 (Maintenance of Internal Security Act-MISA)- यह अधिनियम अप्रैल 1979 में समाप्त हो गया।
3. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (National Security Act.)- NSA
4. विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम- 1974 (COFEPOSA)- आर्थिक क्षेत्र में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दर्जा प्राप्त है।
5. आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियाँ अधिनियम (TADA) 1985- Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act.

- उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने इतने कठोर प्रावधान वाले इस कानून को समाप्त करने की घोषणा की थी, यह अधिनियम 23 मई 1995 में समाप्त हो गया।
- TADA के स्थान पर 2 अप्रैल 2002 को एक नया आतंकवाद निरोधी अधिनियम लागू किया गया। 21 सितम्बर 2004 को जारी अध्यादेश के जरिये इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया।

6. आतंकवादी निरोधी अधिनियम (Prevention of Terrorism Act - POTA) - 2002। इसे 2004 में कांग्रेस की सरकार द्वारा हटाया गया।

अनुच्छेद 23- शोषण के विरूद्ध अधिकार (Right against exploitation)

- अनुच्छेद 23 में मानव के क्रय-विक्रय बेगार और वलात्श्रम को प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार का संरक्षण नागरिकों और गैर नागरिकों को दोनों प्रदान किया गया हैं
- अनुच्छेद 23 प्रत्येक प्रकार के बालत्श्रम (Forced Labour) को प्रतिबन्धित करता है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरूद्ध या दबाव से कार्य करना पड़ता है भले ही उसे उसके बदले पारिश्रमिक मिला हो बलात्श्रम माना जायेगा।
- राज्य द्वारा इसके लिए संसद अधिनियम द्वारा बन्धुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अनिधियम, 1976 पारित किया गया है।
- इस अनुच्छेद 23 का अपवाद है कि राज्यों को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवाएँ लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे-सैनिक सेवा और सामाजिक सेवाएँ न तो वेगार है और न मानव-व्यापार।
- अनुच्छेद 24- कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इसका तात्पर्य है कि राज्य किसी फैक्ट्री, खान एवं समान निर्माण कार्य या रेलवे में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।
- इसके लिए बालश्रम प्रतिबंधित एवं नियमितकरण अधिनियम 1986 पारित किया गया है।
- 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बालश्रम पुनर्वास कल्याण फण्ड की स्थापना की।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग - संसद की अधिसूचना के आधार पर 23 फरवरी 2007।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to freedom of Religion) अनुच्छेद 25- अन्त: करण की और धर्म के अवाध रूप से मानने; आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उपबंध देती है।

- अनुच्छेद 25 (1) के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंत: करण की स्वतंत्रता का अधिकार तथा किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा- यहाँ अन्त: करण का तात्पर्य आत्यन्तिक (absolute) आन्तरिक स्वतन्त्रता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छानुसार ईश्वर के साथ सम्बन्धों को स्थापित करता है।
- वर्तमान समय में किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर करना अपराध है।
- अनुच्छेद 26- व्यक्तियों को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को

(i) अपने धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण

(ii) धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करना

(iii) धार्मिक सम्प्रदाय का सम्पत्ति के अर्जन और प्रशासन का अधिकार

(iv) अर्जित सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करना।

- अनुच्छेद 26(4) के प्रावधान में विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
- अनुच्छेद 27 के अनुसार यह उपबन्ध है कि किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कोई विशिष्ट कर न देने की स्वतन्त्रता है।
- इस अनुच्छेद में कर से तात्पर्य एक अनिवार्य धन की वसूली करना जो उनके लाभ के लिए होता है। जबकि शुल्क सार्वजनिक प्रयोजन के लिए लिया जाता है।
- अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने का निषेध करता है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com Committed to Excellence

यह अनुच्छेद में 4 प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का उल्लेख करता है–

(i) ऐसी शिक्षण संस्था जिसे राज्य पूरी तरह से पोषित करें।

(ii) ऐसी संस्था जिसे राज्य ने मान्यता प्रदान की हो।

(iii) ऐसी शिक्षण संस्था जिसे राज्य निधि से सहायता प्राप्त होती हो।

(iv) राज्य द्वारा प्रशासित किन्तु किसी धर्म या न्यास के अधीन संस्थाएँ।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार–

अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है– अनुच्छेद 29 (1) भारत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाये रखने का अधिकार प्रदान करता है।

- इसी अनुच्छेद 29 (2) के अनुसार राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में केवल धर्म मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोक सकता है।
- अनुच्छेद 30 यह उपबन्धित करता है कि भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार होगा।
- यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। किन्तु यह अधिकार नियामक शक्ति के अधीन है। इस प्रकार समाजकल्याण, औद्योगिक संबंधों, शैक्षिक स्तरों, कार्य कुशलता अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोक व्यवस्था, और सदाचार के हित में बनाई गई विधि अनुच्छेद 30 का उल्लंघन तब तक नहीं करती जब तक अल्पसंख्यकों को संस्था का प्रबध करने के उनके अधिकार से वंचित नहीं करती है।
- अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन (44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978) समाप्त कर दिया गया।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(Right to Constitutional Remedies)

- अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संविधान में जहाँ मूल अधिकार की व्याख्या की गयी है वहीं मूल अधिकार को लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा देश के उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को प्रवर्तित कराने की गारंटी देता है।
- इसके लिए उच्चतम न्यायालय समुचित निर्देश, रिट जिसके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण और समान प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायाल को नागरिकों के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है।
- अनुच्छेद 32 के उपबन्धों के अनुसार उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संविधान का आधारभूत ढ़ाँचा है, इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है।
- डा० भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा तथा मर्म बताया है।

लोक हित वाद (Public Interest Litigation)– लोक हित वाद का उद्देश्य समाज के किसी वर्ग *अधिकारों या अन्य अधिकारों* या प्रमुख रूप से निर्बल एवं निर्धन व्यक्तियों के मूल अधिकारों का जो अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्त है; के मूल अधिकारों या अन्य अधिकारों का संरक्षण करता है।

- भारत में इसके प्रयोग की शुरूआत 1970 के उत्तरार्द्ध से हुई तथा वाद को प्रारंभ करने का श्रेय न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती और न्यायमूर्ति वी० आर० कृष्ण अय्यर का रहा है। जनहित के मामले में समाज का कोई भी व्यक्ति या कोई भी पंजीकृत सोसाइटी, गैर राजनीतिक स्वैच्छिक संघ अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार के लिए न्यायालय में आवेदन दे सकता है।

न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)– यदि कार्यपालिका विधानमण्डल द्वारा बनायी गई विधियों को लागू नहीं करती हैं और उनकी उपेक्षा करती हैं तो नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। न्यायालय जनहित के मामले में सरकार और प्राधिकारियों को संविधान और अन्य कानून के तहत कर्तव्य पालन के लिए विवश करता है उच्चतम न्यायालय की इस कार्यवाही को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है।

- अनुच्छेद 137 के आधार पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन अपने अन्तिम निर्णय को या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन (Review) या उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।
- यदि किसी मामले पर अनुच्छेद 32 के अधीन निर्णय दिया जा चुका है तो उसी मामले को अनुच्छेद 226 के अधीन नहीं उठाया जा सकता है। किन्तु पूर्व **न्याय का सिद्धान्त (Res. Judicata)** 'बन्दी प्रत्यक्षीकरण' रिट के मामले में लागू नहीं होता है।
- अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत हमारे उच्च न्यायालयों को उपयुक्त प्रकार की रिटों को जारी करने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय की यह शक्ति उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा विस्तृत है।
- मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में पिटीशनर दोनों न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में जा सकता हैं।

अनुच्छेद 32 में दिये गये मूल अधिकार का उल्लंघन या निलम्बन– संविधान में केवल एक परिस्थिति का उल्लेख किया गया है जब इस अनुच्छेद का निलम्बन किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपात की उद्घोषणा की गई हो तो अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा भाग 3 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए किसी न्यायालय के प्रचालन अधिकार को जब तक उदघोषणा लागू रहती है निलम्बित करने की घोषणा कर सकती है।

- जब देश में अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपात वाह्य आक्रमण या युद्ध से देश में लागू किया गया हों तो अनुच्छेद 19 के अधीन मूल अधिकारों का स्वत: निलम्बन हो जाता है।

44वाँ संविधान संशोधन 1978 के आधार पर अनुच्छेद 359 के तहत दो परिवर्तन किये गये हैं– (1) आपात उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के अधीन अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अधिकार को न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित कराये जाने के अधिकार को निलम्बित करने की शक्ति न होगी।

- अनुच्छेद 33 के तहत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है राज्य विधान मंडल को नहीं है।
- संसद अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके सशस्त्र बलों के सदस्यों, सुरक्षा बल के सदस्यों, अर्धसैनिक, पुलिस एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाती है। इस आधार पर संसद द्वारा सैन्य अधिनियम (1950), पुलिस बल अधिनियम (1966), वायु और जल सेना अधिनियम (1950) बनाए गयें।

Downloaded From www.studymasterofficial.com

मार्शल लॉ- अनुच्छेद 34 के आधार पर भारत में कहीं भी युद्ध, अशांति दंगे या कानून का उल्लंघन होने पर मार्शल लॉ लागू किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ सैन्य शासन है।

- यह सैन्य शासन सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है।
- देश के कुछ विशेष क्षेत्र में लागू किया जा सकता है।
- यह सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है।
- अनुच्छेद 34 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि (Indemnity Act) को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।

44 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम- 1978 अनुच्छेद 31, सम्पत्ति के अधिकार जो मूल अधिकार था निरस्त कर दिया गया है और विधि क अधिकार बना दिया गया तथा भाग 12 के 300क में शामिल कर दिया गया है।

PIL क्या है?

भारतीय न्यायपालिका- Locus Stande (जिसके अधिकारों का उल्लंघन होता है केवल वही याचिका डाल सकता है) को नकारता है। SC कहता है कि सार्वजनिक मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति या संस्था याचिका डाल सकता है। भारतीय न्यायपालिका सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए यह भी कहा कि पत्र के माध्यम से भी याचिका डाली जा सकती है। भारतीय न्यायपालिका Contering Mandmus के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका आशय यह है कि न्यायपालिका खुद मामलों पर ध्यान रखती है तथा परिस्थितियों के अनुसार निर्णय देती है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed to Excellence

राज्य के नीति निदेशक तत्व
Directive Principles of State Policy

– भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र (Instrument of instructions) को भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया है।

भारत और आयरलैण्ड को छोड़कर विश्व के किसी भी देश के संविधान में निदेशक तत्वों का कोई उल्लेख नहीं है। भारत में संविधान निर्माताओं का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसलिए निदेशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया गया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सके।

संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार लोक हितकारी और समाजवादी समाज की स्थापना तभी की जा सकती है जब सरकार नीति-निदेशक तत्व को लागू करें।

- राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान के आदर्श होते हैं जो सरकार के मार्ग निर्देशक का कार्य करते है। जिसमें राज्य के कर्त्तव्यों का ध्यान आकृष्ट करते है। इसका पालन करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है।
- संविधान में निदेशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं है किन्तु इसकी प्रकृति के आधार पर निम्न भागों में बाँट सकते हैं।

1. समाजवादी 2. गाँधीवादी 3. उदारवादी

समाजवादी (Socialist)- लोकतंत्रात्मक गणराज्य में समाजवाद का आशय सामाजिक, एवं आर्थिक न्याय प्रदान करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

निम्न अनुच्छेदों के आधार पर राज्य को निर्देश प्राप्त है-

1. राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालित करे कि राज्य के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हों।
2. समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। राज्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है।
3. आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो कि सर्वसाधारण के अहित का केन्द्रण न हो।
4. पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन।
5. पुरुष, स्त्री तथा बालकों को आर्थिक रूप से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुरूप न हो।
6. बच्चों को स्वस्थ्य और स्वतंत्र गरिमामय वातावरण में विकास का अवसर प्रदान किया जाए।

अनुच्छेद 38- राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा।

- अनुच्छेद 39 A- समान न्याय एवं गरीबों को नि: शुल्क कानूनी सुविधा उपलब्ध करवाना (42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा)।
- अनुच्छेद 41- बेरोजगारों, वृद्धों, विकलांगों और असहायों को उनकी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा, और अभाव की दशा में सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त कराने का उपबंध करेगा।
- अनुच्छेद 42- राज्य काम की मानवोचित दशाएं और प्रसूति में राहत सहायता के लिए उपबंध करें।
- अनुच्छेद 43- राज्य कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे तथा मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवायें।
- अनुच्छेद 43A- उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना (42वां संविधान संशोधन, 1976)।
- अनुच्छेद 43B- संविधान 97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया।
- अनुच्छेद 47- राज्य जन स्वास्थ्य और लोगों के रहन सहन के स्तर को उच्च करने तथा मादक पेय, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का तथा उन औषधियों से भिन्न उनके उपभोग पर प्रतिषेध करें।

2. गाँधीवादी सिद्धान्त- गाँधी जी ने जिस ग्रामराज्य की कल्पना की थी उनके सपनों को साकार करने के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व में कुछ सिद्धान्तों को शामिल किया गया है।

(i) अनुच्छेद 40 – राज्य को निदेश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठायेगा तथा उनको ऐसी शक्तियाँ व प्राधिकार प्रदान करेगा जिससे स्व-सरकार की इकाई के रूप में कार्य करें।

(ii) अनुच्छेद 43 – ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारिता को आधार पर कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहित कर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

(iii) अनुच्छेद 46 – समाज के कमजोर वर्गो की अन्याय एवं शोषण से उनकी संरक्षा तथा शिक्षा और आर्थिक हितों में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

(iv) अनुच्छेद 48 – गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगायेगा।

3. उदारवादी सिद्धान्त- संविधान के मूल अधिकार में कुछ

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

स्वतन्त्रताएँ दी गई हैं जिनके आधार पर कुछ उपबन्ध राज्य को निर्देश देते हैं।

(i) अनुच्छेद 44 – यह उपबन्ध भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के तहत पूरे देश में सुरक्षा प्रदान करें। (सिर्फ गोवा में लागू है।

(ii) अनुच्छेद 48A – राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उनमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा (42वां संविधान संशोधन, 1976)।

(iii) अनुच्छेद 49 – राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का अधिकार होगा।

(iv) अनुच्छेद 50 – राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने के लिए कदम उठायेगा।

(v) अनुच्छेद 51 – अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम– राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। इस आयोग द्वारा विशेष रूप से सशस्त्र-बलों तथा पुलिस प्राधिकारियों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन की जाँच करेगा और उचित दण्ड देने की सिफारिश करेगा। राज्य के द्वारा भी ऐसे आयोग का गठन करेगा।

✓ निदेशक तत्व देश के प्रशासन में मूलभूत है तथा राज्य का कर्तव्य होगा कि विधि बनाने के लिए इन तत्वों का प्रयोग करें। अनुच्छेद 37 के आधार पर नीति निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।

✓ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए 1951 में प्रथम, 1955 में चौथा तथा 1965 में 17वाँ संविधान संशोधन किया गया।

25वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971– इस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण की अनुमति दी गई।

अनुच्छेद 31 में एक नया अनुच्छेद 31 (ग) जोड़ा गया जो राज्य को अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) में उल्लेखित निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1976– संशोधन के उपरान्त राज्य का उद्देश्य समाजवादी बताया गया जिसका अर्थ है सामाजिक-आर्थिक सुधारों द्वारा सबको समान अवसर उपलब्ध कराना। इसी संशोधन द्वारा भाग-4 में अनुच्छेद 39 (क) तथा 43 (क) जोड़ा गया। इस संशोधन द्वारा राज्य के नीति-निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है।

✓ *टी.टी. कृष्णाचारी ने इन्हें 'भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा'*

✓ *के० टी० शाह के अनुसार "राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जायेगी"।*

✓ *के.सी. व्हेयर ने इन्हें 'धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी'*

✓ नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं।

✓ इसे समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद की संज्ञा दी गई।

✓ नीति निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है।

✓ नीति निदेशक सिद्धान्तों में स्वशासन के प्रभावी तत्वों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन के सिद्धान्तों को गाँधीवादी सिद्धान्त कहा जाता है।

✓ *के. संथानम का मानना है कि निदेशक तत्वों ने विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य टकराव को जन्म दिया है।*

86वाँ संविधान संशोधन 2002– अनुच्छेद 21क में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया तथा बाद में अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य राज्य पर अधिरोपित किया गया।

नोट– राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 के बाहर भी कुछ निदेश दिये गये हैं जो निम्न हैं–

(i) सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे भाग-16 के अनुच्छेद 325 के माध्यम से निदेश

(ii) मातृभाषा में शिक्षा (अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रावधान) भाग-17 के अनुच्छेद 350 के माध्यम से।

(iii) हिन्दी भाषा का विकास (संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए तथा उसका विकास करे) भाग-17 के अनुच्छेद 351 के माध्यम से

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

मूल कर्त्तव्य
Fundamental Duties

अध्याय 10

सामान्यत: कर्त्तव्य शब्द का अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है।

साम्यवादी देशों में पूर्व सोवियत संघ विश्व का ऐसा प्रथम देश था, जिसने अपने संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया था। जापान के बाद भारत ऐसा दूसरा प्रजातांत्रिक देश है, जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अधिकार और कर्त्तव्य एक दूसरे के अन्योन्याश्रित होते है। जहाँ मूल अधिकार में नागरिकों के अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों में नागरिकों के प्रति राज्य के कर्त्तव्यों का उल्लेख हैं।

नोट- *अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने मौलिक कर्त्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया है।*

भारतीय मूल संविधान में मूल कर्त्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था किन्तु राष्ट्रीय आपातकाल (1957-77) के दौरान मूल कर्त्तव्यों के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग-4 (क) जोड़ा गया जिसमें नया अनुच्छेद 51 (क) में भारतीय नागरिकों के लिए दस मूल कर्त्तव्यों को जोड़ा गया।

➢ यह मूल कर्त्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है।

मूल कर्त्तव्यों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(1) नैतिक कर्त्तव्य

(2) राजनीतिक कर्त्तव्य

(3) विशेष कर्त्तव्य

➢ मूल कर्त्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। संविधान में न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है यद्यपि संसद उसके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है।

➢ मूल कर्तव्य का पालन कराने या उनका उल्लंघन होने पर दण्ड देने के लिए संविधान में कोई उपबंध नहीं है।

अनुच्छेद 51(क) के तहत निम्न मूल कर्त्तव्यों का समावेश है-

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें।
4. देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. देश में मेल मिलाप और भाई चारे की भावना का निर्माण हो जो सभी भेद भाव से परे हों। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करें।
6. देश की संस्कृति और विरासत की रक्षा और सम्मान करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत, वन, नदी, झील और वन्य जीव शामिल है उनके प्रति दया, उनकी रक्षा और उनके बढ़ाने में मदद करें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ज्ञानार्जन मानवता के सुधार और हित की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करें।
10. स्वयं और सामूहिक बेहतरी की ओर बढ़ाने का प्रयास करें जिससे देश का विकास निरंतर हो और उपलब्धियों की ओर हों।
11. 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के आयु के बालकों के माता-पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। (86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया)

नोट : (मूल अधिकार में देखें)

जिस प्रकार राज्यों के लिए नीति निदेशक तत्व है, उसी प्रकार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है। दोनों का **पालन स्वेच्छा पर निर्भर** है। उसके लिए कोई **विधिक बाध्यता नहीं** है। यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसे किसी दण्ड से दंडित नहीं किया जा सकता है।

नोट-

(i) मौलिक कर्त्तव्य लोगों पर नैतिक उत्तरदायित्व आरोपित करते हैं।

(ii) मौलिक कर्त्तव्यों में से कुछ कर्त्तव्य नैतिक हैं, तो कुछ नागरिक। उदा० स्वरूप- राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक का कर्त्तव्य है जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक कर्त्तव्य।

(iii) मूल कर्त्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं।

(iv) 9वाँ मौलिक कर्त्तव्य सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक प्रासंगिक हो गई है विरोध प्रदर्शन में सबसे ज्यादा क्षति सार्वजनिक सम्पत्ति का होता है।

□□□

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed to Excellence

संघीय कार्यपालिका
The Union Executive

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दो प्रकार की सरकारें स्थापित की जा सकती है। प्रथम **संसदीय सरकार** तथा द्वितीय **अध्यक्षात्मक सरकार।** संसदीय सरकार में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। किंतु राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है। किंतु जहां ब्रिटिश सम्राट का पद **वंशानुगत** है, वहीं भारत के **राष्ट्रपति का चुनाव** होता है।

राष्ट्रपति (President)

संविधान के भाग 5 में संघ के अन्तर्गत अध्याय 1 में कार्यपालिका का वर्णन हैं। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के अनुरूप भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गयी थी। उसी तरह भारतीय संसदीय सरकार में राष्ट्रपति सांविधानिक अध्यक्ष होता है किन्तु वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते है, जो लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

- अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में उपबन्ध है।
- संविधान के अनुच्छेद 52 में उपबन्ध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
- Head of the State होता है।

राष्ट्रपति पद की योग्यता- अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद की निम्न अर्हताएं होगी।

(I) भारत का नागरिक हो।
(II) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
(III) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो अर्थात् उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन-मण्डल में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो।
(IV) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो।

नोट:- *यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर अथवा किसी संघ अथवा राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं है।*

अनुच्छेद 53(1)- कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करते हैं।

राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of President)

भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसके नाम को कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित तथा कम-से-कम 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित हो। उम्मीदवार ₹ 15,000 की धरोहर राशि जमानत के तौर पर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करें।

नोट- निर्वाचन अधिकारी लोकसभा का महासचिव होता है।

निर्वाचक मण्डल:- अनुच्छेद 54 के अनुसार-

(I) संसद के दोनों सदन अर्थात लोक सभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यगण।
(II) राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य।
(III) केन्द्रशासित प्रदेशों में दिल्ली तथा पांडिचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।

नोट:-

(I) संसद के दोनों सदन, राज्य विधान सभा के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
(II) यदि संसद अथवा एक से अधिक राज्यों की विधान मण्डल में रिक्तियाँ हो तो राष्ट्रपति के चुनाव को प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता है।
(II) **70वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992:**- अनुच्छेद 54 के तहत राज्य शब्द के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी सम्मिलित है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति- अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध है।

- राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा एक निर्वाचक गण द्वारा होता है।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एकरूपता होगी तथा समस्त राज्यों में आपस में एक रूपता और समस्त राज्यों और संघ में भी ऐसी ही समतुल्यता होगी।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचकगण में समस्त राज्यों के मत इस देश की जनता के मत के बराबर होगें। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनायी गयी है।

(I) प्रत्येक विधान सभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या, उस राज्य की जनसंख्या को, उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होगी।

$$\text{एक विधायक के मत का मूल्य} = \frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}}{\text{राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}} \times \frac{1}{1000}$$

(II) संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed to Excellence

एक सांसद के मतों के मूल्य = (सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य) / (संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या)

- राज्यों में आपस में तथा दूसरी ओर समस्त राज्यों तथा संघ के बीच एक रूपता प्रदान करने के विचार का उद्देश्य था कि आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, तथा एक व्यक्ति-एक वोट के सिद्धान्त का पालन किया जाए। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास है।
- राष्ट्रपति के उम्मीदवार को, निर्वाचित होने के लिए, मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी-विवाद के बारे में अनुच्छेद 71 में उपबंध दिया गया है।

(I) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जाँच उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(II) यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है तो उसकी घोषणा के समय से उसके द्वारा किये गये कार्य अवैध माने जायेंगें।

राष्ट्रपति का पदावधि- अनुच्छेद 56 के उपबन्धों के अनुसार:-

(I) राष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(II) राष्ट्रपति अपने पांच साल के कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त भी पद पर बना रहेगा जब तक कि नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण नही कर लेता है।

(III) भारतीय संवधिान में राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि वह कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता हैं।

(IV) राष्ट्रपति अपने पद का त्याग पांच वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर लेख द्वारा करेगा। इस त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोक सभा अध्यक्ष को देगा।

राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता एवं पेंशन (संशोधन) अधिनियम 2008 के अनुसार 1,50,000 रु. था। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5,0000 रु. कर दिया गया हैं।

राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया- अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण पर लगाया जाता है।

(I) यह महाभियोग का संकल्प संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता हैं।

(II) जिस सदन में महाभियोग का संकल्प पेश किया जाना है उस सदन के कुल सदस्य संख्या के एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति के पास 14 दिन पूर्व भेजा जाना आवश्यक हैं।

(III) जिस सदन में सकंल्प प्रस्ताव पेश किया जाय, उसके सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित किया जाना चाहिए।

(IV) जिस सदन में संकल्प पेश किया गया वहाँ से पारित संकल्प दूसरे सदन में भेजा जायेगा।

(V) दूसरे सदन में लगाये गये आरोप की जाँच होगी। यह जाँच सदन या स्वयं करेगा या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण का गठन के द्वारा कराएगा जहाँ राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थिति होगा या किसी अधिवक्ता द्वारा अपना बचाव पक्ष रखेगा।

(VI) सदन में आरोप के सिद्ध होने के पश्चात सदन अपनी संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर देगा।

(VII) संकल्प के पारित होने के तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा।

नोट:-

(I) राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में संसद के दोनो सदनों के नामांकित सदस्य भाग लेते है।

(II) राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी केन्द्रशासित प्रदेशों की विधान सभाओं के सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ-

संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 53 में दिए गये उपबन्धों के आधार पर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिस आधार पर राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रधान हैं।

- इन शक्तियों को मर्यादाओं के अधीन निम्न भागों में बाँटा जा सकता हैं।

(क) कार्यपालिका शक्ति या प्रशासनिक शक्ति-

(I) भारतीय गणतंत्र का प्रधान होता है।

(II) अनुच्छेद 77 के अनुसार समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है।

(III) वह देश के सभी उच्चाधिकारियों की नियुक्ति तथा हटाने का अधिकार रखता हैं। उक्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा।

(I) प्रधानमंत्री
(II) संघ के अन्य मंत्री
(III) उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
(IV) राज्यों के राज्यपाल
(V) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(VI) वित्त आयोग
(VII) मुख्य निर्वाचन आयोग तथा सदस्य
(VIII) संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के समूह के लिए संयुक्त आयोग
(IX) राजभाषा आयोग
(X) भाषायी अल्प संख्यक आयोग
(XI) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के (अनुच्छेद 341, 342 में उल्लेखित) लिए विशेष अधिकारी
(XII) पिछड़ें वर्गों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए आयोग
(XIII) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवेदन के लिए आयोग।

(ख) सैन्य शक्तियाँ-

- राष्ट्रपति देश की प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अपनी सैन्य शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की मंत्रणा से करता है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com Committed to Excellence

(ग) राजनयिक शक्तियाँ-

- इस शक्तियों में संसद के अनुसमर्थन के उपरान्त विदेशों से सन्धियाँ और अन्तर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं। अन्य देशों में राजदूतों तथा कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है।

(घ) आपातकालीन शक्तियाँ-

- संविधान में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में आपात शक्तियों का उपबन्ध है।

(ङ.) न्यायिक शक्तियाँ-

- अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है।
- राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियमों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है।
- अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति निम्न मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त हैं।

(I) यदि दण्डादेश सैन्य न्यायालय ने दिया हों।

(II) मृत्यु दण्डादेश के मामले में। क्षमादान देना, दण्ड का लघुकरण करना।

लघुकरण (Commute)- कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना।

परिहार (Remit)- दण्ड की मात्रा को उसकी प्रकृति में बिना किसी बदलाव से कम करना।

विराम (Reprieve)- किसी विशेष कारणों से दण्ड के साथ प्रकृति को भी बदल देना।

प्रविलम्ब (Reprieves)- मृत्यु-दंड का निलम्बन करना।

- सार्वजनिक महत्व की विधि या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय माँग सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राय केवल सलाह के रूप में होती है।

(च) विधायी शक्तियाँ-

भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग हैं।

- अनुच्छेद 85 के तहत संसद के दोनों सदनों को आहूत करने सत्रावसान करने और लोक सभा के विघटन की शक्ति प्राप्त है।
- गतिरोध होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों का आह्वान करता हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
- लोक सभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के आरंभ में दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा तथा संसद को आह्वान का कारण बतायेगा।
- संसद के एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तारीख के बीच छः मास से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।
- अनुच्छेद 86 में दिये उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति को किसी एक सदन अथवा दोनों सदनों में अभिभाषण करने तथा संदेश भेजने का अधिकार है।
- राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन में से राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक विषयों पर विशेष ज्ञान रखने वाले 12 व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करने तथा लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व यदि पर्याप्त नहीं है तो दो से अनधिक सदस्य नामनिर्दिष्ट करेगा।

नोट-

- *वर्तमान में लोकसभा में एक भी एंग्लो-इंडियन नहीं है।*
- *केन्द्र सरकार अब एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का लोकसभा व विधानसभा में नामांकन बंद करने जा रही है। इस प्रस्ताव की मंजूरी भी दे दी गई है तथा एससी व एसटी का आरक्षण जो 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा है उसे 10 साल 25 जनवरी, 2030 तक बढ़ायेगी।*

- ***राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संसद के समक्ष यह दस्तावेज रखवाता हैं जो निम्न हैं-***
  - वार्षिक वित्तीय विवरण
  - नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन
  - वित्त आयोग की सिफारिशें
  - संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन
  - अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विशेष अधिकारी का प्रतिवेदन
  - पिछड़े वर्ग के आयोग का प्रतिवेदन
  - भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों का प्रतिवेदन।
- ***कुछ विषयों पर विधान पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा हो-ये निम्न विषय है:-***
  - ☐ नये राज्यों के निर्माण या सीमा परिवर्तन
  - ☐ अनुच्छेद 31 क (1) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी का उपबंध करने के लिए
  - ☐ धन विधेयक (अनुच्छेद 110)
  - ☐ भारत की संचित निधि से व्यय व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले राज्य का कोई विधेयक
  - ☐ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विशेष अधिकारी का प्रतिवेदन
  - ☐ भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक
  - ☐ संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के सम्बन्ध में दल-बदल के अलावा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा।
  - ☐ अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत
- राष्ट्रपति को प्रदान की गयी है। न्यायालय अध्यादेश जारी किये जाने के लिए कारणों की जाँच नहीं कर सकते है।
- राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव केवल 6 मास तक रहता है यदि 6 मास के अन्दर संसद द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये।
- यदि संसद का एक सत्र चल रहा हो और दूसरे सदन का सत्र स्थगित हो, तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। संसद द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात तथा राष्ट्रपति की अनुमति से वह अधिनियम बन जाता हैं।

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति-

1. संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास इस स्थिति के लिए निम्न तीन विकल्प हैं -

   (I) वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा

   (II) विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

(III) यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो संसद को पुर्नविचार के लिए लौटा सकता है किन्तु संसद यदि बिना किसी संशोधन के राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी।

➢ भारत के संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों में वीटों का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कार्यों के आधार पर माना जाता है कि तीन प्रकार की वीटो शक्तियाँ है:-

(I) **अत्यांतिक वीटो (Absolute Veto)**- इस प्रकार के वीटो में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास रोक कर रखता है जिस कारण से वह विधेयक समाप्त हो जाता है और कानून नहीं बन पाता है।

- यह वीटो धन विधेयक पर भी लग सकता है।

नोट- (i) 1954 में राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने पी. ई. पी. एस. यू (पटियाला एण्ड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन) स्वीकृति विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा।

1991 में राष्ट्रपति डा. आर. वैंकटरमन द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्तों, पेंशन से संबंधित विधेयक को रोक कर रखा गया किन्तु यह विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के पारित हो गया।

(ii) यह United Kingdom पर आधारित है।

(II) **निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto)**- इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा उस समय किया जाता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाता है।

किन्तु इस प्रकार के वीटों को साधारण बहुमत से पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है।

- *फ्रांस की तरह व्यवहार करता है।*

नोट :- (i) यदि संसद उस विधेयक को पुन: किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है।

(ii) संविधान संशोधन से संबंधित विधेयकों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया।

➢ राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है।

भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल

क्र. स.	नाम	कार्यकाल	मुख्य तथ्य
1.	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद	26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962	प्रथम राष्ट्रपति लगातार दो सत्र 1952 और 1957 में निर्वाचित
2.	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई 1962 से 13 मई 1967	देश के मुख्य दार्शनिक और लेखक तथा अवध विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति रहें।
3.	डॉ० जाकिर हुसैन	13 मई 1967 से 3 मई 1969	कार्यकाल के दौरान मृत्यु।
4.	वी० वी० गिरी	24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974	कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉ० जाकिर हुसैन की मृत्यु, के उपरान्त।
5.	फखरूद्दीन अली अहमद	24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977	कार्यकाल के दौरान मृत्यु ऐसे दूसरे राष्ट्रपति।
6.	नीलम संजीव रेड्डी	25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982	आन्ध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तथा लोक सभा अध्यक्ष।
7.	ज्ञानी जैल सिंह	25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987	पंजाब के मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय गृहमंत्री थे।
8.	रामास्वामी वेंकटरमन	25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992	
9.	डॉ० शंकर दयाल शर्मा	25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997	मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, संचार मंत्री, और आन्ध्र प्रदेश, पंजाब; और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहें।
10.	के० आर० नारायणन	25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहें।
11.	डॉ०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम	25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007	भारत रत्न से सम्मानित।
12.	प्रतिभा देवी सिंह पाटिल	25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012	प्रथम महिला राष्ट्रपति तथा राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल।
13.	प्रणव मुखर्जी	25 जुलाई 2012 से 24 जुलाई 2017	भारत रत्न से सम्मानित, वित्तमंत्री, विदेशमंत्री, रक्षामंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे।
14.	रामनाथ कोविन्द	25 जुलाई 2017 से पदस्थ	

Downloaded From www.studymasterofficial.com

(III) **जेबी वीटो**-

➢ इस प्रकार का वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। इस वीटो को पाकेट वीटो भी कहते है। इस प्रकार के वीटो में राष्ट्रपति अनुमति के लिए भेजे गये विधेयक पर न तो अनुमति देता है और न ही पुर्नविचार के लिए वापस भेजता है।

➢ इस वीटो का प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने पारित भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के लिए किया था। लेकिन 1989 में वेंकटरमन (राष्ट्रीय मोर्चा सरकार) के द्वारा समाप्त कर दिया गया।

38वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1957-

➢ अनुच्छेद 352 के अधीन आपात कालीन स्थिति की घोषणा करने में राष्ट्रपति के 'समाधान' के प्रश्न को अवाद-योग्य बनाना था।

44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1978-

➢ अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता प्रदान कर दी गई है।

➢ 42वाँ संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 74 में उपबन्ध है कि

राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की सलाह के लिए बाध्य होगा इसके साथ ही 44वें संशोधन में 74 में यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए मंत्रिमण्डल को लौटा सकता है।

नोट- *राष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 रु. जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक है। कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है।*

मुख्य तथ्य

- नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे।
- भारत में अब तक 14 बार राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं।
- डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, फखरूद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल को छोड़कर अन्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके हैं।
- डॉ० राजेन्द्र सर्वाधिक समय प्रथम दो कार्यकाल तथा संविधान सभा के समय राष्ट्रपति चुने गये।
- डॉ० जाकिर हुसैन और फखरूद्दीन अली अहमद अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो गये थे जिनके बचे कार्यकाल को क्रमशः वी०वी० गिरी भारत के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति एम० हिदायतुल्ला और बी० डी० जत्ती ने पूरा किया।
- अब तक डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, डॉ० जाकिर हुसैन, वी० वी० गिरी और ए० पी० जे० अब्दुल कलाम भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति है।

उपराष्ट्रपति (Vice - President):-

संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उपबन्ध है। जो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। संविधान में यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

अनुच्छेद 64- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है तथा वह अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करता।

क्र.स.	नाम	कार्यकाल	कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति
1.	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई 1952 से 12 मई 1962	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
2.	डॉ० जाकिर हुसैन	13 मई 1962 से 12 मई 1967	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन
3.	वी० वी० गिरी	13 मई 1967 से 3 मई 1969	डॉ० जाकिर हुसैन
4.	गोपाल स्वरूप पाठक	31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974	वी० वी० गिरी
5.	बी० डी० जत्ती	31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979	डॉ० फखरूदीन अली अहमद
6.	मो० हिदायतुल्लाह	31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984	नीलम संजीव रेड्डी
7.	रामास्वामी वेंकटरमन	31 अगस्त 1984 से 27 जुलाई 1987	ज्ञानी जैल सिंह
8.	शंकर दयाल शर्मा	3 सितम्बर 1987 से 24 जुलाई 1992	रामास्वामी वेंकटरमन
9.	के० आर० नारायणन	21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997	शंकर दयाल शर्मा
10.	कृष्णकान्त	21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002	के० आर० नारायणन
11.	भैरो सिंह शेखावत	19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007	ए० पी० जे० अब्दुल कलाम
12.	मोहम्मद हामिद अंसारी	11 अगस्त 2007 से 11 अगस्त 2012	प्रतिभा पाटिल
13.	मोहम्मद हामिद अंसारी	11 अगस्त 2012 से कार्यरत	प्रणव मुखर्जी
14.	एम. वेंकैया नायडू	8 अगस्त 2017 से पदस्थ	रामनाथ कोविन्द

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन-

- अनुच्छेद 66 में उपबन्धित हैं। जिसके अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा जिसमें केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते है।
- उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति के समान ही होती है।
- उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होना अनिवार्य है।
- अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है तथा वह अपनी पदावधि के दौरान कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।

योग्यताएं - अनुच्छेद 66 के अनुसार-

(I) वह भारत का नागरिक हों।
(II) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हों।
(III) राज्य सभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हों।

उपराष्ट्रपति की पदावधि-अनुच्छेद 66 के उपबन्धों के अनुसार -

(I) पद ग्रहण तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक।
(II) राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद-त्याग।
(III) राज्य सभा के संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया हों तथा लोक सभा सहमत हों।
(IV) उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य हैं।

नोट- *हटाने संबंधी संकल्प केवल राज्यसभा में ही रखा जा सकता है।*

उपराष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से रिक्त हो सकता है।

(I) पाँच पर्ष की अवधि की समाप्ति पर।
(II) त्याग पत्र दिये जाने पर।

Downloaded From www.studymasterofficial.com

(III) मृत्यु, पद से हटाये जाने पर।

- पदत्याग, मृत्यु, पद से हटाये जाने की स्थिति में शीघ्रअतिशीघ्र चुनाव के पश्चात् नया निर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद पाँच वर्ष तक पद धारण करता है।
- उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा की जायेगी और उसका निर्णय अन्तिम होगा।
- ❖ *वर्तमान में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में मासिक वेतन 4,00,000 रु है। यह भारत की संचित निधि पर भारित होता है।*

उपराष्ट्रपति के कार्य-

1. उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन वह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है सभापति के रूप में राज्य सभा के कार्यों का संचालन करता है।
2. सदन में पेश किये गये विधेयकों पर चर्चा के पश्चात मतदान की व्यवस्था करता है।
3. सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों को तय करता है।
4. राज्य सभा में उसे मतदान का अधिकार नहीं है किन्तु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है।
5. उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्व विद्यालय का पदेन कुलपति होता है।

राष्ट्रपति के रूप में कार्य-

- यदि किसी कारण वश राष्ट्रपति का पद रिक्त हों जाए उसके सभी कृत्यों को उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए दूसरा, जब तक राष्ट्रपति अपने पद को पुनः न संभाल लें।
- इस दौरान उपराष्ट्रपति वही विशेषाधिकार, भत्ते और शक्तियाँ प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति को मिलती है। इस दौरान राज्य के कर्तव्यों का पालन वहीं करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य-

- प्रथम उपराष्ट्रपति डॉ० सर्वपल्ली राधा कृष्णन लगातार दो कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति थे।
- कृष्णकांत ऐसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गयी थी।
- डॉ० एस० राधाकृष्णन, मो० हिदायतुल्ला और डॉ० शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध निर्वाचित उपराष्ट्रपति थे।

नोट:-

- अनुच्छेद 70 के उपबन्धों के आधार पर संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनो पद रिक्त होने पर संसद जैसा उचित समझे आकस्मिक राष्ट्रपति के कृत्यों के लिए उपबन्ध करें-
- यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति नहीं उपलब्ध है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यदि वह भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का श्रेष्ठतम न्यायाधीश जो उपलब्ध हों राष्ट्रपति का कार्य करेगा।
- उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है।
- उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभा पति होता है। राज्य सभा के सभापति के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित होते है।

मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)

अनुच्छेद 53- संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

संविधान के अनुच्छेद 74 के उपबंधों के आधार पर राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अपने कृत्यों को संचालित करेगा।

- अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबन्ध है जिसके उपखण्ड 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और जो मंत्रिपरिषद सहित लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

प्रधानमंत्री (Prime- Minister)

- अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है।
- अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
- प्रधानमंत्री की योग्यता का संविधान में कोई वर्णन नहीं है किन्तु प्रधानमंत्री लोक सभा में बहुमत दल का नेता होता है। जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हों।
- प्रधानमंत्री को लोक सभा सदस्य की योग्यता रखनी चाहिए यदि लोकसभा सदस्य नही है तो 6 मास के अन्दर लोक सभा का सदस्य चुना जाना चाहिए।
- राज्य सभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री चुने जाने के योग्य हैं बशर्ते उसे लोक सभा का बहुमत प्राप्त हों।
- यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता हैं।
- 15वीं लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में राज्य सभा के सदस्य थे।

शपथ

- प्रधानमंत्री को पदग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाया जाता है।

पदावधि

- प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नही है किन्तु सामान्यतः वह अपने पद ग्रहण की तारीख से लोकसभा के अगले चुनाव तक पद धारण करता है। किन्तु इसके पहले वह अन्य कारणों से जिनमें।
  1. लोक सभा में विश्वास मत खोने पर।
  2. राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से हटता है।

वेतन व भत्ते

- प्रधानमंत्री सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है जिसे समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यय, मुफ्त आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र और कार्यालय खर्चे प्राप्त होते है।

कर्तव्य

- प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति, त्यागपत्र

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल			
क्रम	नाम	कार्यकाल	महत्वपूर्ण तथ्य
1.	जवाहर लाल नेहरू	15-08-1947 से 27 - 05 - 1964	स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत-पाक युद्ध 1947, प्रथम तीन लोकसभा में निर्वाचित
2.	गुलजारी लाल नन्दा	27-05-1964 से 9 - 06- 1964	कार्यवाहक प्रधानमंत्री
3.	लाल बहादुर शास्त्री	9-06-1964 से 11-01-1966	भारत-पाक युद्ध-1965 हरित क्रांति पर केन्द्रित।
4.	गुलजारी लाल नन्दा	11-01-1966 से 24-01-1966	कार्यवाहक प्रधानमंत्री
5.	इंदिरा गाँधी	24-01-1966 से 24--03-1977	भारत-पाक युद्ध-1971, बाग्लादेश विभाजन, शिमला समझौता, मुस्कुराता बुद्धा नाम से प्रथम परमाणु परीक्षण, आपातकाल लागू- 1975-1977
6.	मोरारजी देसाई	24-03-1977 से 28-07-1979	
7.	चरण सिंह	28-07-1979 से 14-01-1980	
8.	इंदिरा गाँधी	14-01-1980 से 31-10-1984	ऑपरेशन ब्लूस्टार
9.	राजीव गाँधी	31-10-1984 से 2-12-1989	भारत-श्रीलंका शांति समझौता
10.	विश्वनाथ प्रतापसिंह	2-12-1989 से 10-11-1990	
11.	चन्द्र शेखर सिंह	10-11-1990 से 21-06-1991	
12.	पी० वी ० नरसिंह राव	21-06-1991 से 16-05-1996	SEBI अधिनियम 1992 TADA, मुम्बई बम ब्लास्ट
13.	अटल बिहारी बाजपेयी	16-05-1996 से 1- 06-1996	
14.	एच० डी देवगौडा	1-06-1996 से 21-05-1997	
15.	इन्द्र कुमार गुजराल	21-05-1997 से 19-03-1998	राज्य सभा सदस्य
16.	अटल बिहारी बाजपेयी	19-03-1998 से 22-06-2004	पोखरन परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध, प्रधानमंत्री सड़क योजना, पोटा, सर्व-शिक्षा योजना, संसद पर आक्रमण,
17.	डॉ० मनमोहन सिंह	22-06-2004 से 22 मई 2014	दो कार्यकाल
18.	नरेन्द्र मोदी	22 मई 2014 से वर्तमान तक	धारा 370 और 35ए का निरसन।

तथा बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है।

- मंत्रिमण्डल के सदस्यों को विभाग का आबंटन करता है।
- राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद स्थापित करता है।
- सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।
- प्रधान मंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय परिषद और अन्तर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है।
- प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद त्याग देने पर मंत्रिपरिषद स्वय ही भंग हो जाती है।
- आपात काल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है।
- गुलजारी लाल नंदा दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप मे कार्य किया।
- विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच० डी० देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लोक सभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ।
- पंडित जवाहर लाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गाँधी की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई।
- 16वीं लोकसभा के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी है।
- डॉ० मनमोहन सिंह 13वें प्रधानमंत्री थे।
- अटल बिहारी बाजपेयी सबसे कम समय 13 दिन के लिए प्रधान मंत्री थे।
- पंडित जवाहर लाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री (मरणोंपरान्त), श्रीमती इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी (मरणोपरांत), मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नन्दा भारतरत्न प्राप्त प्रधानमंत्री है।

प्रधानमंत्री कार्यालय

- यह एक स्टॉफ एजेंसी हैं जिसे कार्य वितरण नियम 1961 के अंतर्गत भारत सरकार के एक विभाग का दर्जा प्राप्त हैं। यह संविधानेत्तर निकाय है।
- इनका मुख्य कार्य प्रधानमंत्री को सचिव स्तरीय सहायता उपलब्ध करवाना है।

मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)

गठन :-

- संघीय मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मंत्रिमण्डल का गठन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से होता है। मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है।
- 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया।

मंत्री परिषद की तीन श्रेणियाँ होती है-

(I) **कैबिनेटमंत्री-** इस प्रकार के मंत्री को मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित और भाग लेने का अधिकार होता है। यह अपने विभाग का अध्यक्ष होता है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

(II) **राज्य स्तर के मंत्री**- इस प्रकार के मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते है। इन्हें किसी विभाग का प्रभार स्वतंत्र रूप से सौंपा जाता है जब उनके विभाग से संबधित कोई विषय मंत्रिमंडल की कार्य सूची में होता है तो उन्हें बैठक में आमंत्रित किया जाता है।

(III) **उपमंत्री**- इस श्रेणी के मंत्री कैबिनेट या राज्य स्तर मंत्री के अधीन कार्य करते है। *1997 से उपमंत्री का पद समाप्त है।*

- मंत्री किसी भी सदन में बोल सकता है किन्तु मतदान उसी सदन में करता है जिस सदन का वह सदस्य होता है।
- **मंत्रियों की संख्या**- मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यह प्रधानमंत्री के विवेक पर आधारित था।
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 के (1ख) में उपबन्ध किया गया कि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोक सभा के कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदस्यों में से शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है उन्हें यदि मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है तो 6 माह के अन्दर निर्वाचित होकर उसी सदन का सदस्य बने।
- संसदीय शासन के अनुसार जब तक मंत्रिमंडल को लोक सभा में विश्वास प्राप्त है मंत्री अपने पद पर रह सकता है। किन्तु विभिन्न परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है।

सामूहिक उत्तरदायित्व 75(3) क्या है?

मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी इसका तात्पर्य यह है कि, किसी मंत्री द्वारा किये गये किसी कार्य के लिए केवल वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है।

मंत्रिपरिषद	मंत्रिमण्डल
1. यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 में वर्णित किया गया है।	1. इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में अनुच्छेद 352 में व्याख्या की गई है। मूल संविधान में इनका वर्णन नहीं है।
2. इनके कार्यों का निर्णय मंत्रिमण्डल करती है।	2. इनके द्वारा लिए गये निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है।
3. सैद्धान्तिक रूप से इन्हे सभी शक्तियाँ प्राप्त है।	3. ये वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती
4. इनमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियाँ आती है।	

Downloaded From www.studymasterofficial.com

संघीय विधानमण्डल : संसद
The Union Legislative : Parliament

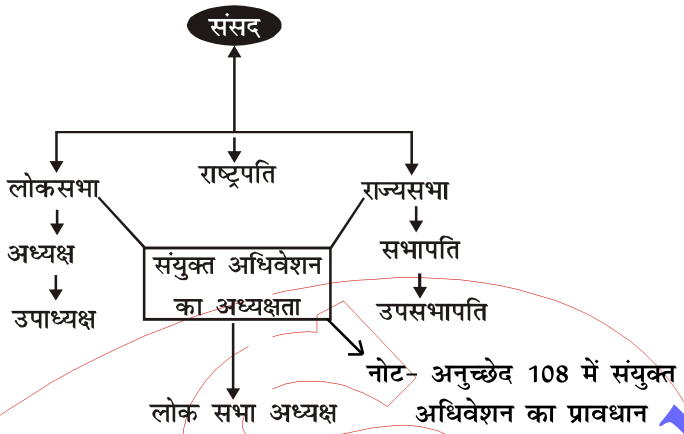

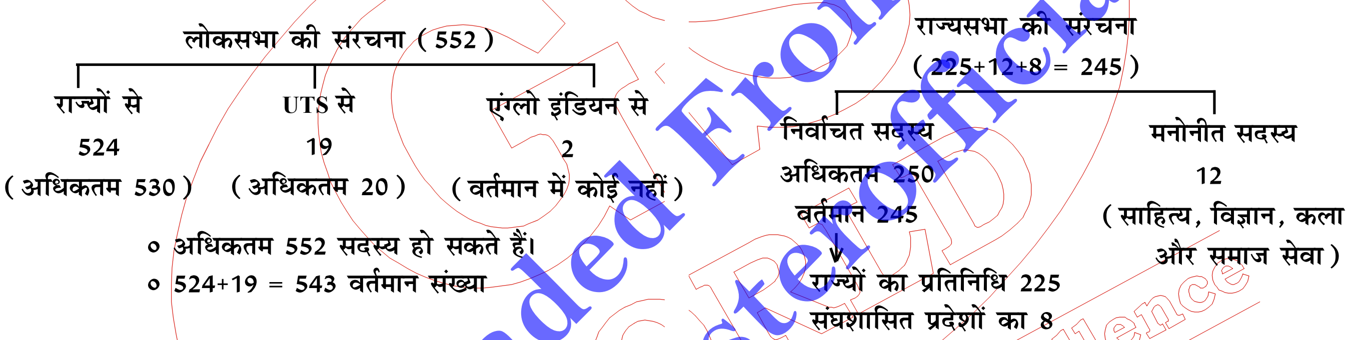

भारतीय शासन व्यवस्था में इंग्लैण्ड की भांति वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया गया है। इसका अर्थ है- सरकार का संसदीय स्वरूप।

भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार संघीय विधायिका या संसद है। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गयी थी। इस द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को संविधान के द्वारा संसद का नाम दिया गया है।

- संविधान के पांचवें भाग के अन्तर्गत अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 में संघीय विधान मंडल के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद केंद्र सरकार के लिए कानून बनाने वाले अंग है।
- अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में उपबंध हैं। भारतीय संसद के तीन अंग है।

  (1) राष्ट्रपति (2) राज्य सभा (3) लोकसभा
- राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है किन्तु वह संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है।

राज्य सभा (Council of States) (अनुच्छेद 80)

- इसका प्रारम्भ 1918 ई. के मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से हुआ तथा 1919 के अधिनियम के द्वारा Council of State का सृजन किया गया। गवर्नर जनरल इसके पदेन अध्यक्ष होते थे।
- राज्य सभा उच्च और स्थायी सदन है। इसकी पहली बैठक कांउसिल ऑफ स्टेट के रूप में 13 मई, 1952 को हुई थी। जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। 23 अगस्त 1954 इसे राज्य सभा के रूप में कहा जाने लगा।
- राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है जिसमें 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों रूप से निर्वाचित तथा 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष या वास्तविक ज्ञान रखते हों, को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। हालांकि वर्तमान में यह 245 सदस्य हैं जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित हैं।
- **सदस्यों की योग्यता** – अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति

(क) वह भारत का नागरिक हो।

(ख) उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष की हो।

(ग) कोई ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हों।

(घ) उम्मीदवार को संघ या राज्यक्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

मतदाता होना चाहिए।

(ड़) उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ध्यातव्य है कि इस प्रयोजन के लिये संघ या राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है।

(च) उम्मीदवार को अनुन्मुक्त दिवालिया या विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए।

राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन :-

- राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
- सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
- राज्य सभा के लिए राज्यों के सीटों का बँटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है इसलिए अलग-अलग राज्यों में सदस्यों की संख्या अलग-अलग होती है।
- राज्य सभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव उस विधि से किया जाता है जिसे संसद विधि द्वारा विहित करें। 9 संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल 4 संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के लिए राज्य सभा में स्थानों का आवंटन किया गया।

अधिवेशन-

- राज्य सभा का एक वर्ष में दो अधिवेशन होता है। पहले अधिवेशन और आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह का अन्तर नहीं होना चाहिए।
- संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अधीन आपात काल की घोषणा के बाद जब लोक सभा का विघटन हो गया हो तो राज्य सभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है।

राज्य सभा के अधिकारी-

1. सभापति - अनुच्छेद 89 में सभापति के बारे में उपबन्ध है-

- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
- सभापति के रूप में राज्यसभा की कार्यवाहियों और सदन में अनुशासन के लिए उत्तरदायी है।
- पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति और लोकसभा अध्यक्ष के समान होती है।
- सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है किन्तु सदन में मतों के बराबर रहने पर निर्णायक मत देता है।
- इसका कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों के विपरीत 5 वर्ष होता है।

उपसभापति-

- राज्य सभा में उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपसभापति सभापति की अनुपस्थित में उनके कृत्यों को निर्वाह करता है।
- 14 मई 2002 को संसद द्वारा पारित विधेयक के अनुसार उपसभापति को केन्द्रीय राज्यमंत्री के समान भत्ता देने का प्रावधान किया गया है।
- जब सभापति व उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों तो राज्यसभा के सभापति के कृत्यों का निर्वाहन उस राज्य सभा सदस्य के द्वारा किया जायेगा जिसे राष्ट्रपति नाम निर्देशित करे।

राज्यसभ सभा महासचिव-

इसकी नियुक्ति सभापति करते हैं तथा यह पीठासीन अधिकारी की सहायता करता है। यह राज्यसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख तथा उसके अभिलेखों का संरक्षक होता है।

वेतन और भत्ते-

- अनुच्छेद 97 के अनुसार संसद, विधि द्वारा नियत करें, वह संचित निधि से दिया जायेगा।

कार्य और शक्तियाँ-

- संविधान द्वारा राज्यसभा और लोकसभा को अधिकतर मामलों में समान कार्य तथा समान शक्तियाँ प्राप्त है किन्तु मुख्य शक्तियाँ निम्न है।

(I) यदि राज्य सभा का कोई सदस्य बिना सदन की आज्ञा से 60 दिन लगातार उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थिति रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है।

(II) अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि अमुक विषम राष्ट्रीय हित में आवश्यक है संसद राज्यसूची में वर्णित किसी विषय के सम्बन्ध में कानून बनायें। इस प्रकार बनाया गया कानून एक वर्ष की अवधि तक तथा बाद में पुन: संकल्प के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

- इस प्रकार के अधिनियम का प्रयोग 1952 तथा 1986 में किया जा चुका है।
- अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था-अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्य सभा संघ राज्यों के लिए सम्मिलित एक से अधिक भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।

जैसे- 1961 में भारतीय इन्जीनियर्स सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा तथा 1965 में भारतीय कृषि सेवा, भारतीय शिक्षा सेवा।

- विपक्ष का नेता होने के लिए कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए। विपक्षी दलों में जिसके पास सबसे अधिक सीटें होती है वही विपक्ष का नेता बनता है। इसे 1977 से आधिकारिक मान्यता दी गई है। वर्तमान में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद विपक्ष के नेता हैं। (राज्यसभा में)

लोक सभा (Lok Sabha) (अनुच्छेद 81)

संविधान में अनुच्छेद 81 में लोक सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। संसद के दूसरे सदन लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। प्रथम लोक सभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है-

- सभी राज्यों के कुल सदस्य 530 से अधिक नहीं हो सकते। (अनुच्छेद 81(।)(क)
- केंद्र शासित प्रदेशों से कुल सदस्य 20 से अधिक नहीं हो सकते हैं। (अनुच्छेद 81(।)(क)
- यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के अधिकतम दो सदस्यों को

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

लोकसभा के लिये मनोनीत कर सकता है। (अनुच्छेद 331)

इस प्रकार, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। वर्तमान में यह संख्या 543 है जिसमें 524 सदस्य राज्यों से हैं तथा 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और यदि राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करे तो यह संख्या 545 हो जाती है।

नोट- *वर्तमान में एक भी एंग्लों इण्डियन का प्रतिनिधित्व नहीं है।*

निर्वाचन-

- लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है।
- मूल संविधान में लोक सभा के सदस्यों की संख्या 500 थी जिसे 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा 552 कर दी गयी है।

लोक सभा सदस्य की योग्यताएं-

अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद का सदस्य बनने के लिये निम्नलिखित अर्हताएँ-

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी उम्र 25 वर्ष से कम न हो।
3. वह पागल या दिवालिया न हो।
4. वह ऐसी अन्य अर्हताएँ भी पूरी करता हो, जो इस संबंध में संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित की गई हो।

लोक सभा के सदस्यों का निर्धारण-

- अनुच्छेद 81 (1) के अनुसार लोकसभा में राज्य से प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं होगें।
- संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं होगें।
- अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित दो से अनधिक आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि होगें। अत: अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं।
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर अन्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।
- प्रत्येक राज्य को लोक सभा में आबटित स्थानों की संख्या ऐसी होगी कि उस संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक ही हो।
- लोक सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है; किन्तु राष्ट्रपति द्वारा इसके पूर्व भी विघटित किया जा सकता है।
- संसद की एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके सत्र की पहली बैठक के बीच 6 मास का अन्तराल नहीं होगा।
- लोक सभा की दैनिक बैठकों को स्थगित करने की शक्ति लोक सभा अध्यक्ष को है।
- 84वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 ही रहेगी।
- लोक सभा में राज्यों के स्थान का आबंटन संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम 1952 पारित किया गया कि संसद प्रत्येक जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशन के बाद परिसीमन आयोग का गठन करेगी।
- लोक सभा में राज्यों के स्थानों का आवंटन और राज्यों को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजन के लिए संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम पारित किया गया-

भारत में संसद ने 1952 में कानून बनाकर सर्वप्रथम परिसीमन आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 82 के तहत वर्तमान में अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया।

1. पहला आयोग - 1952
2. दूसरा आयोग - 1962
3. तीसरा आयोग - 1973
4. चौथा आयोग - 2002

- चौथा परिसीमन आयोग 2002 में गठित किया गया जिसने अपनी रिर्पोट 2008 में सौपी थी।
- चौथे परिसीमन आयोग के सदस्य न्यायाधीश कुलदीप सिंह थे। इस आयोग की रिपोर्ट को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य यह तय करना कि जनसंख्या सभी क्षेत्रों में बराबर हो सके तथा आरक्षित स्थानों का पुनर्निर्धारण किया जाय जिसमें जनसंख्या का आधार 2001 तय किया गया था।
- इस आयोग द्वारा 22 राज्यों तथा 2 केन्द्र शासित प्रदेशों का ही परिसीमन किया गया।
- जम्मू-कश्मीर, झारखंड, असम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर में परिसीमन नहीं किया गया।
- 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पाण्डिचेरी का परिसीमन किया गया।
- वर्तमान में SC सीट जिनमें उत्तर प्रदेश - 17, पश्चिम बंगाल - 10, आन्ध्रप्रदेश - 7, बिहार में 6 कुल 84 सीटें है।
- ST सीटों में मध्य प्रदेश में 6, उड़ीसा 1, झारखण्ड-5, महाराष्ट्र-4 कुल सीटें-47 है।
- सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप है।
- जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का उन्नाव तथा सबसे छोटा - लक्षद्वीप है।

लोक सभा चुनाव के अधिकारी-

मुख्य चुनाव आयुक्त

↓

राज्य स्तर पर -निर्वाचन अधिकारी

↓

जिला स्तर पर - जिला निर्वाचन अधिकारी (जिलाधिकारी)

↓

निर्वाचन क्षेत्र पर - निर्वाचन अधिकारी

↓

बूथ स्तर पर - पीठासीन अधिकारी

- एक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन आयोग एक पर्यवेक्षक नियुक्त करता है जो सामान्यत: IAS/IPS अधिकारी होता है।
- चुनाव से संबंधित सभी कानूनों का उल्लेख जन प्रतिनिधित्व कानून-1950-51 में किया गया है।
- लोक सभा और राज्य सभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता हैं और विधान मंण्डल के चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है।
- 1976 में लोक सभा का कार्यालय दो बार एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS committed to Excellence

- 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोक सभा का गठन हुआ तथा 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई।
- 42वाँ संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोक सभा का कार्यालय 6 वर्ष कर दिया गया था किन्तु 44वाँ संविधान संशोधन पश्चात पुनः 5 वर्ष कर दिया गया।
- प्रथम एवं द्वितीय लोक सभा के चुनाव में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र था जिसे उसके बाद एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बना दिया।
- लोक सभा सदस्य स्पीकर को इस्तीफा देता है और उसके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अगले छह माह के अन्दर उपचुनाव कराया जाता है।
- नये सदस्यों का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होता है।
- लोक सभा चुनाव में विवाद में होने पर मामला पहले उच्च न्यायालय उसके बाद उच्चतम न्यायालय में जाते है।
- कोई उम्मीदवार एक समय में अधिकतम दो क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ने का नियम 1992 में बनाया गया था।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जनवरी 1992 में संशोधन कर यह व्यवस्था दी गई कि लोक सभा और विधान सभा चुनावों के दौरान यदि किसी निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए तो चुनाव स्थगित नहीं होंगे। चुनाव तभी स्थगित होंगे जब किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु होगी।

नोट– सांसदों की संख्या जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पहले जैसी रहेगी अर्थात जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में लोकसभा के 6 तथा राज्यसभा के 4 सांसद हैं।

संसद सत्र–

- संसद के प्रथम अधिवेशन और उसके सत्रावसान या विघटन के बीच की अवधि है। सदन की बैठक विघटन, सत्रावसान, स्थगन द्वारा समाप्त की जा सकती है।

सत्रावसान (Prorogation)–

- इसका अर्थ है संसद के किसी विशेष सत्र को समाप्त करना। इसके परिणाम स्वरूप लोकसभा में लम्बित विधेयक या कार्य समाप्त नहीं होते हैं।

स्थगन (Adjournment)–

- संसद की बैठक को समाप्त करता है। स्थगन सदन का कार्य है इसका प्रयोग स्पीकर करता है। इससे सदन में विचाराधीन अपूर्ण मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

विघटन (Dissolution)–

- विघटन सदन की कलावधि को समाप्त कर देता है। जिसके बाद नयी लोक सभा के निर्माण के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाता है। लोकसभा के विघटन की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। विघटन होने पर–

1. राज्य सभा में लम्बित विधेयक जिसको लोक सभा ने पारित नहीं किया है, लोक सभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है।
2. लोक सभा में लम्बित विधेयक समाप्त हो जाता है।
3. लोक सभा से पारित विधेयक किन्तु लोक सभा में लम्बित विधेयक लुप्त हो जाता है, जब तक कि इसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करने की राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा बचा नहीं लिया जाता है।

संयुक्त अधिवेशन–

- संविधान के अनुच्छेद 108 में ससंद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। यह अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा तीन स्थितियों में बुलाया जा सकता है।

1. विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है। तो यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है।
2. पहले सदन से विधेयक दूसरे सदन द्वारा किये गये संसोधनों से पहला सदन सहमत न हो।
3. दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किये बिना 6 मास से अधिक बीत गये है।

- संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करता है।
- संयुक्त अधिवेशन में विधेयक के भाग्य का फैसला दोनों सदनों के समस्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यो के बहुमत से होता है।

व्हिप क्या है और इसे कौन जारी करता है?

राजनीतिक पार्टियाँ सदन में अक्सर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को बहस के बाद पास कराने या उसे मंजूर करवाने के लिए अपने सदस्यों को व्हिप जारी करते हैं। यह तीर तरह के होते हैं–

एक लाइन व्हिप (Single Line Whip)– सदन में उपस्थिति के लिए।

दो लाइन व्हिप (Double Line Whip)– सदन में उपस्थित होना अनिवार्य।

तीन लाइन व्हिप (Triple Line Whip)– उपस्थित न होने पर कार्यवाही।

व्हिप का उल्लंघन दल-बदल विरोधी अधिनियम के तहत माना जा सकता है और सदस्यता रद्द की जा सकती है। Triple Line Whip सबसे कठोर है इसे अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस या वोटिंग में किया जाता है। यदि किसी सदस्य ने इसका उल्लंघन किया तो उसकी सदस्यता खत्म होने का भी प्रावधान है।

हालांकि व्हिप को लोकतंत्र की मान्यताओं के अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें सदस्यों को अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि पार्टी की इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है।

लोक सभा अध्यक्ष–

- संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है।
- लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते है।
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तभी हटाया जा सकेगा जब लोक सभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाय, इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो।
- किसी कारण से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सभापतियों के पैनल या मण्डल जिसमें 6 सदस्य होते है द्वारा लोक सभा की अध्यक्षता की जाती है।

लोक सभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ–

1. अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है।
2. लोक सभा में अनुशासन बनाने का कार्य भी करता है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com

3. लोक सभा के सभी कार्यक्रम, कार्यवाही और संसद के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देता है।
4. प्रश्नों को स्वीकार और अस्वीकार करने का कार्य करता है। काम रोको प्रस्ताव उसकी अनुमति से पेश किया जाता है। प्रक्रिया सम्बंधी सभी विवादों पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।
5. लोक सभा अध्यक्ष ही निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होता है।
6. अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति (1/10) होने तक अधिवेशन निलम्बित कर दें।
7. यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध हो जाने के कारण दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है।

नोट- *दसवीं अनुसूची अर्थात दल-बदल से उत्पन्न निरर्हता विवादों के संबंध में निर्णय करने का अधिकार राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष को है।*

नाम	कार्यकाल
1. गणेश वासुदेव मावलंकर	15 मई 1952 से 37 फरवरी 1956
2. एम० अनन्तशयनम् आयंगर	8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962
3. सरदार हुकम सिंह	17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967
4. नीलम संजीव रेड्डी	17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969
5. डॉ० गुरू दयाल सिंह ढिल्लों	8 अगस्त 1969 से 1 दिसंबर 1975
6. बली राम भगत	15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977
7. नीलम संजीव रेड्डी	26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977
8. के० डी० हेगड़े	21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980
9. बलराम जाखड़	22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989
10. रबि राय	19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991
11. शिवराज पाटिल	10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996
12. पी० ए० संगमा	25 मई 1996 से 23 मार्च 1998
13. जी०एम०सी० बालयोगी	24 मार्च 1998 से 3 मार्च 2002
14. मनोहर जोशी	10 मई 2002 से 2 जून 2004
15. सोमनाथ चटर्जी	4 जून 2004 से 30 मई 2009
16. मीरा कुमार	30 मई 2009 से 4 जुन 2014
17. सुमित्रा महाजन	6 जून 2014 से 16 जून 2019
18. ओम बिड़ला	18 जून 2019 से पदस्थ

संसद सदस्यों के विशेष अधिकार-

अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं-

1. गिरफ्तारी से उन्मुक्ति- अधिवेशन के चलते रहने के दौरान या बैठक के 40 दिन पूर्व या पश्चात दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति है।
2. जब सदन सत्र में हो तो बिना सदन की अनुमति के किसी सदस्य को साक्ष्य देने के लिए सम्मन नहीं दिया जा सकता है।
3. प्रत्येक सदन की चर्चा और कार्यवाहियाँ प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है।
4. संसद की चारदीवारी के भीतर जो कहा या किया जाता है। उसके बारे में कोई न्यायालय जाँच नहीं कर सकता है।

- भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकती है।
- कानून निर्माण के सम्बन्ध में अन्तिम शक्ति लोक सभा को प्राप्त हैं।
- वार्षिक वजट और अनुदान संबंधी माँगे तथा व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार लोक सभा को प्राप्त है।
- कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अन्तर्गत ही लोक सभा संघ लोक सेवा आयोग, भाषा आयोग व अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है।
- संविधान में संशोधन का अधिकार लोकसभा को राज्य सभा के साथ मिलकर प्राप्त है।
- जनता के हित में लोक नीति और निर्माण का कार्य।
- लोक सभा संसद का सर्वोच्च अंग है।

प्रोटेम स्पीकर- प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को अस्थायी तौर पर सदन का अध्यक्ष घोषित करते हैं जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन तक अस्थायी तौर पर सदन का संचालन करता है।

लोक सभा अध्यक्ष

- भूतपूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी लोक सभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे।
- अब तक केवल मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ही भारत के राष्ट्रपति के रिक्त पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति थे।
- अनुच्छेद 118 के अनुसार, "इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा।
- संसदीय प्रक्रिया और कामकाज की व्यवस्था निम्न प्रकार से है।

संसद का कामकाज

प्रश्न काल (Question Hour)-

- प्रतिदिन सदन की कार्यवाही का प्रथम घण्टा अर्थात (11 से 12 बजे) तक का समय 'प्रश्न काल' होता है। यह प्रश्न तीन प्रकार के होते है।

(I) **तारांकित प्रश्न** - इस प्रश्न के द्वारा सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। इसकी पहचान के लिये प्रश्नों के साथ एक सितारे जैसा चिन्ह अंकित किया जाता है। इन प्रश्नों पर अनुपरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है।

(II) **अतारांकित प्रश्न** - इस प्रश्न के द्वारा सदस्य सदन में लिखित उत्तर चाहता है। स्वभाविक रूप से इनमें सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं होता है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com Committed to Excellence

(III) अल्प सूचना प्रश्न – लोक महत्व के किसी तात्कालिक मामले से होता है। तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिये निर्धारित 15 दिन की अवधि से कम समय की सूचना देकर पूछा जा सकता है। तारांकित प्रश्नों की तरह इसका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है। और इनके संबंध में भी पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

पूरक प्रश्न–

➢ प्रश्न का मंत्री के द्वारा जो उत्तर दिया जाता है, उस उत्तर की किसी बात को लाकर जो प्रश्न पूछा जाता हैं पूरक प्रश्न कहलाता है।

शून्य काल (Zero hour)–

➢ प्रश्न काल के तुरंत अर्थात 12 बजे से शुरू होता है जो लगभग 30 मिनट का समय 'शून्य काल' के रूप में होता हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के सदस्य द्वारा सार्वजनिक हित का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। वस्तुत: यह भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित किया गया एक नवाचार है। 1962 से शून्य काल की शुरुआत की गई थी।

➢ सदन में कार्यवाही का समय सोमवार से शुक्रवार है।

संसदीय प्रस्ताव–

1. **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Call attention Motion)–**

➢ अध्यक्ष की अनुमति से जब कोई संसद सदस्य किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता है। तो उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते है।

2. **विशेषाधिकार प्रस्ताव (Priviledge Motion)–**

➢ यदि किसी मंत्री ने तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है तो संसद सदस्य मंत्री के विरूद्ध 'विशेषाधिकार प्रस्ताव' रख सकते है।

3. **कटौती प्रस्ताव (Cut Motion)–**

➢ बजट की मांगों में कटौती हेतु रखे गये प्रस्ताव को 'कटौती प्रस्ताव' कहते हैं। कटौती प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकृति देना अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर करता है। इसके तीन आधार हैं।

(I) यदि सदस्य खर्च की एक विशेष मांग से जुड़ी नीति से असहमति व्यक्त करना चाहते हैं तो खर्च में एक रूपये की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है।

(II) खर्च में मितव्ययता बरतने के लिए

(III) शासन के प्रति अविश्वास इस प्रस्ताव में 100 रू० की कटौती की बात कही जाती है।

निन्दा प्रस्ताव (Motion of Censure)–

➢ शासन या किसी विशेष मंत्री द्वारा अपनाई गई नीति या उसके कार्यो की आलोचना करने के लिए निन्दा प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव नियमानुसार है अथवा नहीं इसका निर्णय स्पीकर करता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है।

अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion)–

➢ अविश्वास प्रस्ताव लोक सभा में विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते है तो अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव को विचार हेतु स्वीकार करते है। यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 75 से संबंधित है। और यह भी सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है।

भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया–

कानून निर्माण, किसी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद के सामने आने चाहिए।

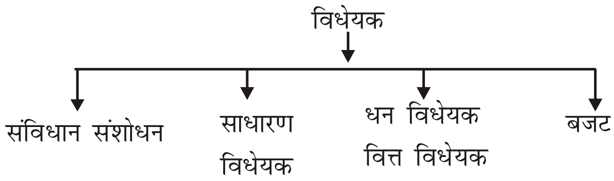

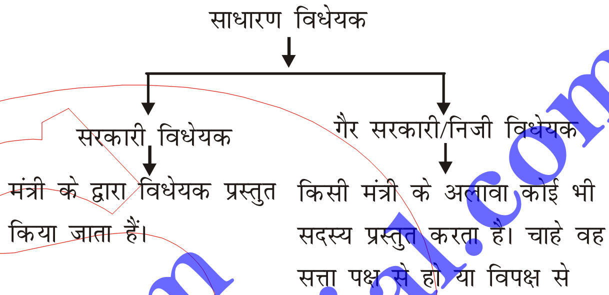

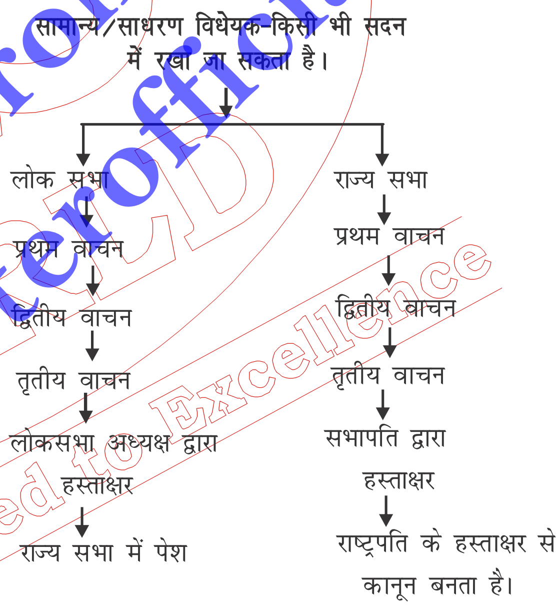

(I) जिस दिन विधेयक संसद में पेश किया जाता है उससे लगभग एक सप्ताह पूर्व विधि-मंत्रालय से विधेयक की दो प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त होती है।

(II) प्रथम वाचन के दौरान विधेयक को सदन में रखने की अनुमति प्राप्त करना हैं इसके द्वारा भारत सरकार के गजट में इसे प्रकाशित कर दिया जाता है।

(III) द्वितीय वाचन में मौलिक सिद्धान्तों/उद्देश्यों पर चर्चा की जाती है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

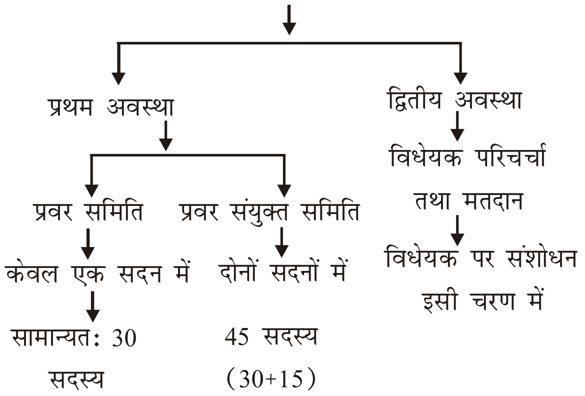

(IV) तृतीय वाचन में चर्चा होकर विधेयक दूसरे सदन में जाता है।

(V) दूसरे सदन में भी वहीं प्रक्रिया दोहरायी जाती हैं। दूसरे सदन में विधेयक को अस्वीकृत कर दिये जाने या संशोधन किये जाने जो स्वीकार्य न हों तो राष्ट्रपति दोनो सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन में बहुमत के आधार पर मामला तय होता है।

(VI) जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर या तो अनुमति दे या अपने संदेश सहित विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेजे तो राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देना आवश्यक है।

अभी तक केवल तीन बार संसदीय संयुक्त बैठक हुई है।

(I) दहेज प्रतिषेध विधेयक - 1959

(II) बैंकिग सेवा आयोग विधेयक - 1977

(III) पोटा - 2002

धन विधेयक-

➢ सामान्यत: आय-व्यय से सम्बंधित सभी विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गयी है।

यदि-

(I) कर लगाना, कम करना या बढ़ाना या उसमें कोई परिवर्तन करना।

(II) भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में कुछ धन जमा करना, उसमें से धन निकालना या उस धन का अभिरक्षा करना।

(III) भारत की संचित निधि में से किसी व्यय के संबंध में धन दिया जाना।

(IV) भारत की जमापूँजी में से किसी भी व्यय के दिए जाने की घोषणा।

(V) धन की आय-व्यय के प्रति अन्य किसी प्रकार का मामला हों।

➢ कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है।

➢ राज्य सभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही कोई संशोधन कर सकती है।

➢ राज्य सभा धन विधेयक को 14 दिन के अन्दर लोकसभा को वापस भेज देती है यदि राज्य सभा 14 दिन के भीतर नहीं लौटाती है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायगा।

धन विधेयक और वित्त विधेयक-

➢ सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते है लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते है।

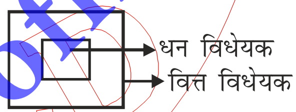

➢ साधारण विधेयक सामान्य बहुमत से पारित होता है, किन्तु संविधान संशोधन विधेयक के लिए विविध प्रक्रियायें अपनायी जाती है।

➢ साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किन्तु संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है।

➢ साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान है जबकि संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं है।

	धन विधेयक	वित्त विधेयक
1.	अनुच्छेद 110 (1) से संबंधित मामलों को रखता है।	1. अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक से संबंधित उपबंध पाया जाता है।
2.	प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होगा।	2. प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा।
3.	राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक	3. इसकी आवश्यकता है।
4.	सदन में पारित करने की विशेष प्रक्रिया	4. सदन में साधारण प्रक्रिया से पारित
5.	सर्वप्रथम लोक सभा में पेश होता है।	5. किसी भी सदन में पेश
6.	आवश्यक है कि सरकारी विधेयक हो	6. सरकारी और गैर सरकारी दोनों
7.	राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक तथा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता।	7. पुर्नविचार के लिए वापस भेज सकता है।
8.	संयुक्त बैठक की आवश्यकता नही	8. संयुक्त बैठक का प्रावधान

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

संसदीय सत्र प्रत्येक वर्ष में 3 सत्र होते है-

1. बजट - फरवरी से मई
2. मानसून सत्र - जुलाई से सितम्बर
3. शीत कालीन सत्र - नवम्बर से दिसम्बर

अनुच्छेद	संबंध
330 -	लोकसभा में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण
331 -	लोकसभा में एग्लों इण्डियन
332 -	विधानसभा में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण
333 -	विधानसभा में एक एग्लों इण्डियन का आरक्षण

संसदीय समितियाँ (Parliamentary Committees) :-

देश के संविधान में ससंदीय समितियों के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है।

संसदीय समितियाँ
- स्थायी समिति
- अस्थायी/तदर्थ समिति
- विभागीय समिति

- ➢ भारत में समितियों का गठन अनुच्छेद 118 (1) संसद द्वारा निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अधीन किया जाता है।
- ➢ इस प्रकार की समितियों का गठन सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ भारत में इसकी शुरूआत चेम्स फोर्ड सुधार (1919) से मानी जाती है।
- ➢ भारत में समितियों का गठन या तो लोकसभा या राज्य सभा या दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

स्थायी समितियाँ-

- ➢ इस प्रकार की समितियाँ समय-समय पर या प्रत्येक वर्ष पर नियमित रूप से सदन द्वारा निर्वाचित या मनोनीत होती है। इनकी प्रकृति स्थायी होती है। इसके अतिरिक्त सदन की समितियाँ, जांच समितियाँ, संवीक्षक समितियाँ, सेवा समितियाँ, आवास समितियाँ, गथालय समितियाँ, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित समितिया इत्यादि स्थायी समिति है।

लोक लेखा समिति Public Account Committee	प्राक्कलन समिति Public Account Committee	सार्वजनिक उपक्रम समिति
1. कुल 22 सदस्य जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्य सभा से 2. 1967 से इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है। 3. यह CAG की रिपोर्ट की जाँच करती है और पता करती है कि जिस मद में धन दिया गया है उस मद में खर्च हुआ या नहीं। 4. यह सदन की वित्तीय समितियाँ हैं। 5. इसे प्राक्कलन समिति की जुडवाँ बहन कहा जाता है। 6. समिति वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार अकुशलता में कमी के प्रमाण की जाँच करती है।	1. कुल 30 सदस्य जिसमें सभी लोक सभा से चुने जाते है। राज्यसभा से नहीं। 2. यदि लोक सभा का उपाध्यक्ष समिति का सदस्य है तो वह अध्यक्ष चुना जाता है। 3. बजट में दक्षता और मितव्ययता की जाँच और वित्तीय नियंत्रण स्थापित करती है। 4. यह सदन की वित्तीय समितियाँ हैं।	1. कुल 22 सदस्य जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्य सभा से 2. अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करता है। इसका अध्यक्ष लोकसभा से होता है 3. कार्य सरकारी उपक्रम व्यापारिक सिद्धांतों एवं विवेकपूर्ण वाणिज्यिक आदर्शों पर चल रहा है या नहीं। 4. यह सदन की वित्तीय समितियाँ हैं। ***सार्वजनिक समिति के उदाहरण-*** (i) दामोदर घाटी निगम (ii) औद्योगिक वित्त निगम (iii) इंडियन एयरलाइंस (iv) एयर इंडिया (v) जीवन बीमा निगम

Downloaded From www.studymasterofficial.com

राज्य कार्यपालिका
The State Executive

अध्याय 13

भारत 28 राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों का संघ है। संविधान के अंतर्गत संघ, राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था के लिए अलग-अलग प्रावधान किया गया है। भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। अनुच्छेद 152 राज्य (State) शब्द को परिभाषित करता है।

राज्यपाल (The Governor)

- केन्द्र की तरह राज्यों में भी प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य व्यवस्थापिकाओं के बारे में उपबन्ध है। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की सभी कार्यवाही राज्यपाल के नाम की जाती है। यह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 153 में उपबन्ध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
- 7वां संविधान संशोधन, 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है।

राज्यपाल की नियुक्ति-

- अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- किन्तु व्यवहारिक रूप राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से किया जाता है।
- इसके साथ ही यह भी नियम बनाया गया है कि जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्ति किया जा रहा है, वहाँ का निवासी नहीं हो।

राज्यपाल की योग्यता-

अनुच्छेद 157 के तहत निम्न दो उपबंध हैं

(I) वह भारत का नागरिक हों।

(II) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(III) वह केन्द्र या राज्य सरकार या इनके अधीन किसी लाभ के पद पर न हों।

(IV) अनुच्छेद 158 के उपबन्धों के अनुसार यदि राज्यपाल संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है तो राज्यपाल पद की शपथ लेने के पश्चात् उसका स्थान रिक्त समझा जायेगा।

राज्यपाल पदावधि-

अनुच्छेद 156 के उपबंधों के अनुसार-

(I) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तक पद पर रहेगा।

(II) पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक।

(III) राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्री मण्डल के परामर्श से राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है।

(IV) पदावधि समाप्ति के पश्चात भी जब तक उत्तराधिकारी न पद ग्रहण कर लें दैनिक (भत्ते) वेतन पर बना रहेगा।

(V) एक राज्यपाल अपने पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र है।

वेतन-

- राज्यपाल अपने ऐसे भत्ते का भी हकदार है जो संसद द्वारा नियत किया जाए।
- राज्यपाल के वेतन, भत्ते और उपलब्धियाँ, पदावधि के दौरान कम नहीं किये जायेगें।

अध्यादेश निर्माण में राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्थिति

	राष्ट्रपति		राज्यपाल
1.	कोई अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन या संसद में सत्र नहीं चल रहा हो। दूसरा कोई एक ही सदन सत्र में हों।	1.	राज्य में जब विधानमण्डल सत्र में ना हो या जब केवल एक सदन सत्र में ना हो।
2.	यह अध्यादेश तभी लाया जाता है जब देश हित के लिए तत्काल कानून बनाना आवश्यक है।	2.	राज्य में जब कानून बनाना आवश्यक हों।
3.	यह वही अध्यादेश जारी करता है, जिन्हें संसद कानून बना दें।	3.	उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी करता है जिन पर विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार हो।
4.	अध्यादेश किसी समय वापस कर सकता है।	4.	अध्यादेश किसी भी समय वापस कर सकता है।
5.	अध्यादेश वापस लेने का काम केवल मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है।	5.	अध्यादेश वापस लेने का काम मुख्य मंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर।
6.	अध्यादेश समाप्त होने के छह हफ्ते (42 दिन में संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अनुमोदित न होने पर अध्यादेश समाप्त हो जायेगा।	6.	विधानसभा में पारित होने के बाद यदि विधानसभा और विधानपरिषद के बीच सहमति न होने पर यह समाप्त हो जाता है।
7.	अध्यादेश बनाने में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है।	7.	राष्ट्रपति से स्वीकृति आवश्यक है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

- यदि दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक हो तो दोनों राज्यों के राज्यपालों का वेतन अनुपात में दिया जायेगा, जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करें।
- राज्यपाल को वर्तमान में प्रतिमाह 3 लाख 50 हजार रुपये वेतन प्राप्त होता है।

शपथ-

- राज्यपाल को अनुच्छेद 159 के अनुसार संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते है।
- राज्यपाल के कार्य राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है तथा राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य, समस्त आज्ञाएँ राज्यपाल के नाम से होगें। राज्य में राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन और कूटनीतिक शक्तियों के अलावा सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है।

1. कार्यपालिका शक्ति-

राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है।

- वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है जो प्रसादपर्यंत पद धारण करते है।
- राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक तय करता है।
- राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें तय करता है।
- राज्य लोक सेवा अयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है किन्तु उन्हे हटा नहीं सकता है। सदस्यों को निलंबित कर सकता है।
- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- अपने राज्य की विधान सभा में यदि आंग्ल- भारतीय समुदाय के सदस्यों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है।
- जिन राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है वहाँ विधान परिषद् के कुल सदस्यों के 1/6 भाग सदस्यों को जो साहित्य, विज्ञान, कला सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान रखता हो उन्हें नामित कर सकता है।
- झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।

2. विधायी प्रक्रिया-

जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग है उसी प्रकार अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य विधान मण्डल का सदस्य है।

- राज्यपाल को राज्य विधान मंडल के संबंध में आहूत करने, सत्रावसान करने और विघटन करने का अधिकार है।
- वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है।
- वह विधान मंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात् और प्रतिवर्ष पहले सत्र को संबोधित करता है।
- विधान सभा सदस्य की अयोग्यता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श के बाद निर्णय करता है।
- राज्य विधान सभा में धन विधेयक तभी पेश किया जाता है जब राज्यपाल ने विधेयक पेश करने की अनुमति दे दी हों।
- कुछ विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता हैं। जैसे-
  - (i) उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बंधित विधेयक
  - (ii) समवर्ती सूची से संम्बंधित विधेयक
  - (iii) व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिग्रहण सम्बंधित विधेयक
  - (iv) अन्य कोई विधेयक जिसके कारण राज्य तथा केन्द्र सरकारों में विवाद की सम्भावना हों।

अध्यादेश जारी करने की शक्ति-

- अनुच्छेद 213 उपबन्धों के अनुसार जब राज्य विधान मण्डल सत्र में न हो और सातवीं अनुसूची में राज्य पर कानून बनाना आवश्यक हो तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है जो 6 मास की अवधि तक प्रभावी रह सकता है।
- यदि 6 मास से पूर्व राज्य विधानमण्डल या विधानसभा का सत्र आरंभ हो जाय तो अध्यादेश को 6 सप्ताह के दौरान अनुमोदित नहीं किया जाता है तो अध्यादेश स्वत: निष्प्रभावी हो जायेगा।
- राज्यपाल जिन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखता है उन पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है।

वित्तीय अधिकार-

(i) अनुच्छेद 161 के आधार पर विधान सभा में बिना राज्यपाल की सिफारिश के धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता है।
(ii) राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की आकस्मिक निधि से कोई व्यय नहीं किया जा सकता है।
(iii) अनुच्छेद 202 के तहत विधानसभा में वार्षिक बजट पेश कराता है।
(iv) राज्यपाल के अनुमोदन से अनुदान की माँग या कर के प्रस्ताव को विधान सभा में पेश किया जाता है।

विवेकाधीन अधिकार-

- अनुच्छेद 163 के आधार पर राज्यपाल के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए कि राज्यपाल किसी विषय में अपने विवेकानुसार कार्य करता है तो राज्यपाल का निर्णय अन्तिम होगा।
- संविधान में इन कृत्यों का उल्लेख नहीं किया गया है।
- राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है जो विधान सभा में बहुमत दल का नेता हों किन्तु यदि किसी भी दल को बहुमत न प्राप्त हों तथा कई दलों के गठबंधन से मिलकर चुनाव में बहुमत न प्राप्त किया हो तो राज्यपाल अपने राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है।
- जब मंत्रिपरिषद के विरूद्ध विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करे दें। तथा मंत्रिपरिषद का बहुमत न रह जाए तो मंत्रिपरिषद को भंग करना।
- विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाना।
- मुख्यमंत्री के विरूद्ध भ्रष्टाचार या आपराधिक कार्यों के कारण वैधानिक कार्यवाही की अनुमति देना।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

न्यायिक शक्ति की तुलना

राष्ट्रपति	राज्यपाल
1. केन्द्रीय कानून के तहत सजा पाये व्यक्ति को या मृत्युदंड की सजा को क्षमा प्रदान कर सकता है।	1. राज्य कानून के तहत केवल सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को क्षमा या दण्ड स्थगित कर सकता हैं किन्तु मृत्युदंड की सजा को केवल पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है।
2. सैन्य अदालत के तहत प्राप्त सजा को क्षमा कर सकता या कम या बदल सकता है।	2. ऐसा कोई अधिकार नहीं प्राप्त है।

- राज्य विधान मंडल में धन विधेयक और अनुदान माँगो की सिफारिश करने की शक्ति राज्यपाल को है।
- कर सम्बंधी प्रस्ताव राज्यपाल के नाम पर मंत्रियों के अतिरिक्त कोई पेश नहीं कर सकता हैं।
- राज्यपाल जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति पदोन्नति के मामले में निर्णय लेता है।

नोट- *अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है।*

मुख्यमंत्री (Chief Minister)

- संविधान के अनुसार सरकार के संसदीय व्यवस्था मामलों में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जबकि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है।
- अनुच्छेद 164 में केवल यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।
- राज्यपाल किसी व्यक्ति को पहले बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त करता है फिर एक उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करता है।
- ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधान मण्डल का सदस्य नही है अपनी नियुक्ति से छह माह के दौरान तक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए निर्वाचित होना पड़ेगा ऐसा न होने पर मुख्यमंत्री का पद निरस्त हो जाता है।
- मुख्यमंत्री विधानमंडल के दो सदनों निचले (विधान सभा) और उच्च सदन (विधान परिषद) में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है।
- मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में कोई योग्यता नही है किन्तु उसमें राज्य विधान सभा के सदस्य की योग्यता हो तथा आवश्यक है कि वह विधानसभा का सदस्य हो।
- मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जबतक उसे विधान सभा का विश्वास प्राप्त रहता है।
- यदि मुख्यमंत्री के विरूद्ध राज्य विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाय और मुख्यमंत्री त्यागपत्र देने से इंकार करे तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है।
- यदि राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर राज्य का शासन चलाने का निर्देश राज्यपाल को दे सकता है।

मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ-

1. **मंत्रिपरिषद का निर्माण :-** मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। मंत्रिपरिषद में वही सदस्य होते है जो राज्य विधान सभा या राज्य विधान परिषद के सदस्य हों। किन्तु विशेष परिस्थितियों में ऐसे सदस्यों को भी मंत्रि परिषद में शामिल किया जाता है जो विधान सभा के सदस्य न हों इस प्रकार के व्यक्ति को नियुक्ति की तिथि से 6 माह के अन्दर विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है।
2. **मंत्रिपरिषद के आकार निर्धारण :-** मुख्यमंत्री के विवेक पर आधारित। किन्तु 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधान सभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
3. **मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।**

- राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।
- अन्तर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है।
- राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का कार्य करता है।
- कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे- महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह देता है।

राज्य विधान मण्डल (State Legislative Assembly)

- संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मण्डल होगा जो राज्यपाल जहाँ किसी राज्य के विधान मण्डल के दो सदन विधान परिषद और विधान सभा तथा जहाँ केवल एक सदन विधान सभा से मिलकर विधान मण्डलों का गठन होगा।

राज्य विधान मण्डल के तीन अंग हैं-

1. राज्यपाल (Govrernor)
2. विधान सभा (Legislative Assembly)
3. विधान परिषद (Legislative Council)

विधान सभा-

- जिन राज्यों में विधान मण्डल एक सदनीय है, उसे विधान सभा तथा जिन राज्यों में विधान मंडल द्विसदनीय है वहाँ एकसदन विधान-सभा तथा दूसरा सदन विधान परिषद कहलाता है।
- अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा अन्त कर दे, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत व उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करें।
- अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी।
- सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, गोवा के विधान सभाओं के सदस्यों

Downloaded From www.studymasterofficial.com

की संख्या 30 और मिजोरम प्रदेश के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है।

- प्रत्येक जनगणना के बाद विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है।
- 84वें संविधान संशोधन (2001) द्वारा 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाने पर रोक लगा दी गई हैं।
- विधान सभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसकों आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात बराबर हों।
- जम्मू-कश्मीर में विधान सभा सदस्यों की संख्या 100 है, लेकिन 24 चुनाव क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्रों में है।
- 1974 के परिसीमन आयोग द्वारा विधान सभा के क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है।
- यदि राज्य के राज्यपाल को यह प्रतीत हो कि किसी राज्य की विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह विधान सभा में समुदाय के एक प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकता है।
- राज्य विधान सभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 332 के तहत आरक्षण तथा अनुच्छेद 333 में उपबन्ध है कि यदि विधान सभा में समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य आंग्ल-भारतीय समुदाय के 1 सदस्य का नाम निर्देशित कर सकता है।
- इस प्रकार आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 334 में मूलत: 10 वर्षों के लिए किया गया था जिसे क्रमश: 8वें, 23वें, 45वें, 62वें तथा 79वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमश: 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाये जाते है।
- 109वाँ संविधान संशोधन 2009 द्वारा विधेयक को 2020 तक के बढ़ा दिया है।
- राज्य विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष हैं किन्तु राज्यपाल द्वारा इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है।
- संकट काल की स्थिति में कार्यकाल संसद द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती हैं किन्तु संकट काल की घोषणा समाप्त होने पर 6 माह की अवधि से अधिक नहीं।

विधान सभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को-

- वह भारत का नागरिक हो।
- उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो।
- भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो।
- वह संसद या राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्धारित शर्तो को पूरा करता हो।
- अनुच्छेद 173 के तहत वहीं योग्यता है जो लोक सभा के सदस्यों के लिए निर्धारित है।

गणपूर्ति-

- जब विधानसभा में कम से कम 10% सदस्य उपस्थिति हो लेकिन उनकी संख्या 10 से कम न हो तभी विधानसभा के सदन की कार्यवाही शुरू होगी।
- विधान सभा का सत्र वर्ष में दो बार होना चाहिए किन्तु किन्ही दो सत्रों के मध्य 6 माह से कम का समय नहीं होना चाहिए।

पदाधिकारी-

- राज्य विधान सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य विधान सभा के सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते है।

अध्यक्ष (Speaker) :-

(i) विधान सभा बैठक की अध्यक्षता करता है।
(ii) सदन में शान्ति और व्यवस्था तथा शिष्टाचार बनाये रखता है।
(iii) किसी प्रश्न पर मतदान कराता और परिणाम की घोषणा करता है।
(iv) किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आयें, तो वह 'निर्णायक मत' (Casting vote) का प्रयोग करता है।
(v) कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करता है।
(vi) भारतीय संविधान में राज्य विधायिका में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है।
(vii) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी कार्य उपाध्यक्ष करता है यदि दोनों अनुपस्थिति है तो विधान सभा अपने सदस्यों में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष चुनती है।

विधानपरिषद (Legislative Council) :-

- यह राज्य का उच्च सदन या द्वितीय सदन कहलाता है। अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिए यह ऐसे राज्य में, जहाँ विधान परिषद नहीं है उस राज्य की विधान सभा ने इस आशय का संकल्प विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित करें।
- वर्तमान समय में भारत में केवल छ: राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद की स्थापना की गई है। इसके अलावा राजस्थान और असम को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधानपरिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। उड़ीसा में बनने वाला है।

क्रम	राज्य	कुल सदस्य संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	100
2.	महाराष्ट्र	78
3.	कर्नाटक	75
4.	बिहार	75
5.	आन्ध्र प्रदेश	58
6.	तेलंगाना	40

- *16 अक्टूबर, 2019 को जम्मू और कश्मीर की विधान परिषद को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया।*
- संविधान में व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधान सभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक न होगी और किसी भी दशा में 40 से कम न होगी।
- विधान परिषद की सदस्यता के लिए वही योग्यताएं है जो विधान सभा के सदस्यों के लिए है किन्तु विधान परिषद की सदस्यता के

Downloaded From www.studymasterofficial.com

लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।

- उम्मीदवार जिस विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होना चाहता है उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए।
- विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है।
- विधान परिषद का राज्य सभा की तरह कभी विघटन नहीं होता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष के पश्चात अपना पद त्याग देते है और उनकी जगह नया निर्वाचन होता है (अनुच्छेद 172)।

विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव-

अनुच्छेद 171 (3) के उपबन्धों के अनुसार चुनाव होगा-

(i) विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य निर्वाचित तथा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते है।

(ii) राज्य विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य उस राज्य के स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मण्डल (नगर पालिका + जिला परिषद + छावनी परिषदें + नगर क्षेत्र समितियां + क्षेत्र समितियाँ + अधिसूचित क्षेत्र आदि) जिसे संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(iii) परिषद के एक तिहाई सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों से।

(iv) परिषद के 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं और उच्च शिक्षण संस्था में पिछले तीन वर्ष से अध्यापन का कार्य कर रहें हों।

(v) परिषद के 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं और उच्च शिक्षण संस्था में पिछले तीन वर्ष से अधिक हों, के मण्डल से।

$$\left[\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{12}+\frac{1}{12}\right]+\frac{1}{6}=1$$

निर्वाचित सदस्य + मनोनीति सदस्य

(vi) 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से जो साहित्य, विज्ञान कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रूचि रखते हो।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तथा उपसभापति को पद से हटाने की शक्ति-

- विधान सभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करें।
- ऐसा प्रस्ताव पेश करने के 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए।
- अनुच्छेद 182 से अनुच्छेद 185 तक विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से संबंधित है।

गणपूर्ति-

- सदनों की बैठक बुलाने और स्थगित करने का कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सम्बंधित सदन की गणपूर्ति 10 या कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो भी अधिक हो होगी।
- दोनों पक्षों के मत समान होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार सभापति व अध्यक्ष को है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com

कानून निर्माण:-

साधारण विधेयक	वित्त विधेयक
1. साधारण विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य या राज्य विधान मण्डल के किसी सदन में रखा जा सकता है। 2. विधान मण्डल को भी कानून निर्माण के लिए लगभग वैसी प्रक्रिया अपनानी होती है जो संसद के द्वारा अपनायी जाती है।	1. धन विधेयक केवल विधान सभा में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। 2. विधान परिषद को धन विधेयक के संबंध में वही अधिकार प्राप्त है तो राज्यसभा को है। 3. अनुदान मांगों पर बहस केवल विधान सभा में होती है।

न्यायपालिका
The Judiciary

अध्याय 14

भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के दो दिन बाद ही 28 जनवरी, 1950 को उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया इसके पहले 1937 से 1950 तक संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कार्यरत था। यह 1958 तक वहीं पर कार्यर भी रहा।

भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। भारत की शासन प्रणाली संघीय है, किंतु न्यायपालिका एकीकृत है। इसका अर्थ है पूरे देश के लिए केवल एक सर्वोच्च न्यायालय है।

न्यायपालिका (Judiciary)

सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय

↓

उच्च न्यायालय – राज्य में एक

↓

जिला व सत्र न्यायालय – प्रत्येक जिले में एक

↓

मुन्सिफ न्यायालय – अधीनस्थ न्यायालय (कई)

↓

न्याय पंचायत – गाँवों में

- संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तथा भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक राज्यों के उच्च न्यायपालिका तथा अनुच्छेद 233 से 237 तक अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन है।

सर्वोच्च न्यायालय का गठन–

- मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गयी थी। अर्थात् अधिकतम कुल 8 न्यायाधीशों का प्रावधान। संसद को यह संख्या कम करने का अधिकार नहीं है किंतु बढ़ाने का है। अपने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने अभी तक 6 बार यह संख्या बढ़ायी है। मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या मूल संविधान में 8 थी, 1956 में 11 कर दी गई, 1960 में 14 कर दी गई, 1978 में 18, 1986 में 26, 2008 में 21 तथा 2019 में संसद द्वारा पारित किये गये सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अब मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 34 न्यायाधीश हो गये हैं।
- उच्चतम न्यायालय की मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है।
- विधि और न्याय, पर आधारित संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीयपीठ के गठन की माँग हैं। जिसमें दक्षिण में चेन्नई में क्षेत्रीय पीठ की स्थापना की मांग काफी जोर शोर से की जा रही है।

सर्वोच्च न्यायाधीशों की योग्यता–

(i) भारत के नागरिक हों।

(ii) उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम पाँच वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए या उसे किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए।

(iii) राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून के उच्च कोटि के ज्ञाता हों।

मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति–

(i) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 द्वारा की जाती है।

(ii) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। किन्तु 80वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति के समय वरिष्ठता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

कार्यकाल :–

- संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते है।
- संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे सकता है।

शपथ–

- अनुच्छेद 124 (6) के उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद का शपथ ग्रहण कराता है।

वेतन और भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों का वेतन संविधान की दूसरी अनुसूची में अंकित है–

न्यायाधीशों का वेतन प्रतिमाह

पद	पुराना वेतन	नया वेतन
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	1,00,000	2,80,000
सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	90,000	2,50,000
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	90,000	2,50,000
उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	80,000	2,25,000

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

(i) विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 21 दिसम्बर 2017 को लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन बिल, 2017 पेश किया। बिल निम्नलिखित एक्ट में संशोधन करने का प्रयास करता है: 1. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) एक्ट, 1954 और 2. सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) एक्ट, 1958 ये एक्ट्स उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा की शर्तें रेगुलेट करते हैं।

वेतन: ये दोनों एक्ट्स सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन को विनिर्दिष्ट करते हैं। बिल उनके वेतन को संशोधित करने का प्रयास करता है जोकि 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा।

(ii) इनके समस्त वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होगें।

अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करने का प्रावधान है–

(i) यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो।

(ii) यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो।

(iii) यदि मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं त्याग पत्र दे दिया हों।

➢ इस स्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के कर्त्तव्यों का पालन के लिए नियुक्त कर सकता है।

न्यायाधीशों का पद त्याग और महाभियोग प्रक्रिया–

(i) अनुच्छेद 124 (4) में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा गया है।

(ii) न्यायाधीशों की नियुकित के लिए कोलेजियम प्रणाली को हटा दिया गया और इसके स्थान पर 99वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल दो आधारों पर 'सिद्ध कदाचार' या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश उनके पद से हटाया जा सकता है।

(iii) इस प्रकार का समावेदन प्रत्येक सदन (लोक सभा, राज्य सभा) की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिये।

(iv) समर्थित समावेदन संसद के उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखा जायेगा और राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटा दिया जायेगा। राष्ट्रपति के आदेश की समीक्षा उच्चतम न्यायालय कर सकता है।

(v) ऐसा कोई प्रस्ताव संसद में रखे जाने तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जाँच और साबित करने की प्रक्रिया संसद एक विधि द्वारा विनियमित करेंगी।

भारत में अब केवल एक बार 1992-93 में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश बी. रामास्वामी को पद से हटाने के लिए मई, 1993 में संसद में महाभियोग की प्रक्रिया लाई गयी थी किन्तु आवश्यक वहुमत के अभाव में पारित नहीं हो सकी थी।

तदर्थ न्यायाधीश (Adhoc Judge)

संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार यदि किसी कारणवश न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए गणपूर्ति न हो तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से सेवानिवृत्त न्यायधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है।

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति–

(i) राष्ट्रपति भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिसे वह उचित समझे परामर्श लेता है।

(ii) 6 अक्टूबर 1993 के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय के अनुसार न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को मुख्य न्यायधीश के परामर्श को वरीयता देना चाहिए यह विवाद का प्रश्न रहा हैं।

(iii) किन्तु 1998 में उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह कोलेजियम (Collegium) से परामर्श करके राष्ट्रपति को राय दें।

(iv) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय के केवल 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश की सलाह किन्तु स्थानान्तरण के मामले में उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना अनिवार्य है।

न्यायाधीशों पर रोक–

(i) वे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों से पदमुक्त हो चुके हैं वे सरकार के अधीन किसी पद पर तथा अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते है।

(ii) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार सम्बंधित न्यायालयों को है।

(iii) न्यायाधीशों के आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं हो सकती हैं। केवल महाभियोग के लिए संसद में चर्चा हो सकती है।

न्यायाधीशों को पदमुक्ति–

➢ राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार है किन्तु हटाने का अधिकार संसद के 2/3 बहुमत से हैं।

शपथ ग्रहण–

➢ अनुच्छेद 124 (6) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद ग्रहण से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों, शक्तियाँ तथा कार्य–

1. **आरंभिक अधिकार–** संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार की व्याख्या की गई है।

(i) एक ओर भारत सरकार तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य हो।

(ii) एक ओर भारत सरकार के साथ एक या एक से अधिक राज्य हों और दूसरी ओर एक या एक से अधिक अन्य राज्य हों।

Downloaded From www.studymasterofficial.com Committed to Excellence

(iii) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हों।

(iv) मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का आश्रय लेने का अधिकार प्राप्त है।

(v) मौलिक अधिकारों से संबंधित अभियोग सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्र में आते है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन सांविधानिक रिट निकालने का अधिकार है।

(vi) नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित रिट जारी कर सकता है।

(क) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): अर्थात सशरीर हाजिर करना। यह रिट किसी भी व्यक्ति को चाहे वह अधिकारी हो या प्राइवेट व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में कोई अन्य व्यक्ति हो संबोधित हो सकती है। यह एक आदेश के रूप में है कि उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित कराये ताकि न्यायालय उसे बन्दी रखने का विविध कारण जान सके।

- इस प्रकार की रिट प्राइवेट व्यक्ति और कार्यपालिका दोनों के मनमाने कार्यों के विरूद्ध जनता के पक्ष में है।
- यह रिट मूल अधिकारों के प्रर्वतन के लिए है।
- रिट की अवज्ञा करने पर न्यायालय के अवमान का दंड दिया जाएगा।
- इस प्रकार की रिट उसके मामले में नहीं निकाली जा सकती है जो व्यक्ति निरूद्ध किया गया है न्यायालय की अधिकारिता में नहीं।
- यदि व्यक्ति को किसी अपराध पर न्यायालय द्वारा कारावास दिया गया हैं।
- संसद या किसी अभिलेख न्यायालय द्वारा अवमान के लिए कार्यवाही में हस्तक्षेप हों।

(ख)परमादेश (Mandamus) :- इसका अर्थ है हमारा आदेश। इस प्रकार का आदेश उन अधिकारियों और अन्य व्यक्ति के विरूद्ध दिया जा सकता है जो किसी लोक कर्तव्य के लिए आवद्धकर हैं और सरकार के विरूद्ध भी। सरकारी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। कि वह कोई लोक कर्तव्य या लोक कल्प विधिक कार्य पूरा करें जिसे इंकार किया है।

- यह रिट अवर न्यायालयों तथा अन्य न्यायिक निकाय के विरूद्ध जारी की जा सकती यदि वे अपने अधिकार का प्रयोग कर कर्तव्य का पालन नहीं करते है।
- यह राष्ट्रपति, राज्यपाल के विरूद्ध, संविधान, अधिनियम के उपबंध का उल्लंघन करने के लिए व्यक्तिगत या अधिकारी के विरूद्ध नहीं दिया जा सकता है।

(ग)प्रतिषेध (Prohibition) :- मना करना। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर जा रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में न हों तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसे रोकता है।

- यह आदेश केवल न्यायिक अधिकारियों के विरूद्ध जारी किय जा सकते है।
- जब न्यायालय या अधिकरण किसी कार्यवाही में मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है।
- जब न्यायालय में कार्यवाही में देरी हों या आदेश नहीं किया गया हो।

(घ)उत्प्रेषण (Certiorari) :- प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण की रिट भी न्यायिक और न्यायिककल्प प्राधिकारियों के विरूद्ध निकाली जाती है।

- यह रिट तभी दी जाती है जब आदेश दे दिया गया हों।
- इसके द्वारा उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से सूचना प्राप्त कर सकते है।
- यह प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध नहीं दी जा सकती है।

(ङ)अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto) - किस अधिकार से। इस प्रकार की रिट एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जाँच करता है।

- संविधानिक या कानून द्वारा सृजित कोई पद हों।
- किसी व्यक्ति की इच्छा पर आधारित किसी सेवक का कार्य नहीं होना चाहिए।
- पद धारण से किसी कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं ऐसे विवाद की सुनवाई किसी अन्य न्यायालय में नहीं हो सकती हैं।

(2)अपीली अधिकारिता (Appellate Jurisdiction) :- इस प्रकार के अभियोग जिनका आरंभ निम्न स्तरीय न्यायालयों से होता है परन्तु निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(i) संवैधानिक अभियोगों में अपील-अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक व्याख्या से संबंधित किसी भी अभियोग में चाहे वह दीवानी हो या फौजदारी, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(ii) दीवानी या सिविल मामलें में (अनुच्छेद 133)।

(iii) फौजदारी या दाण्डिक मामले (अनुच्छेद 134)।

(क) ऐसा अभियोग, जहाँ निम्न न्यायालयों ने व्यक्ति को रिहा कर दिया हो परन्तु अपील करने पर उच्च न्यायालय ने मृत्युदण्ड दिया हो।

(ख)उच्च न्यायालय यह प्रमाण दे कि अभियोग सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है।

- विशेष अपीलें सुनने का अधिकार (अनुच्छेद 136) सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है किन्तु सैन्य न्यायालय के निर्णयों के विरूद्ध नहीं ।
- भारत के राष्ट्रपति को वैधानिक समस्याओं के समाधान में परामर्श लेने का अधिकार है (अनुच्छेद - 143)। इंकार भी कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार (अनुच्छेद 137)
- सर्वोच्च न्यायालय किसी को भी न्यायालय का अपमान करने के दोष में दण्ड दे सकता है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कानून के समान मान्यता दी जाती है किन्तु अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले दिये गये निर्णय को पुनर्विचार कर बदल सकते है।

उच्च न्यायालय (High Court)

- संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई हैं उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्य प्रमुख न्यायालय हैं। जो संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 232 तक वर्णित है।
- अनुच्छेद 231 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए संसद विधि द्वारा एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। इस प्रावधान का अर्थ है कि संसद दो या अधिक राज्यों के लिये एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। और साथ ही, चाहे तो किसी संघ राज्य क्षेत्र को भी उसमें जोड़ सकती है।

उच्च न्यायालयों का गठन-

- अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझें।
- प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है उनकी यह संख्या राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। इसके अलावा अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान भी किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की राय से) तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा।
- उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत का राष्ट्रपति राज्य के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेगा (अनुच्छेद 217)।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ-

अनुच्छेद 217(2) के अनुसार-

(i) वह भारत का नागरिक हो।

(ii) वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुका हो। अथवा कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।

कार्यकाल-

- संविधान के अनुच्छेद 217 (1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण करेगा। किन्तु वह इसके पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। संविधान में कोई न्यूनतम आयु नहीं बतायी गई है। इससे पहले कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनने के लिये अर्ह न हो, हालांकि मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन द्वारा पारित किये गये संकल्प के अनुसार उसे कम से कम 45 वर्षों का होना चाहिए जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है।
- यदि संसद के दोनों सदन अलग-अलग अपनी सदस्य संख्या के बहुमत से उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले दो तिहाई बहुमत से किसी न्यायाधीश को कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर आयोग्य प्रमाणित करे और राष्ट्रपति के सम्मुख रखे तो राष्ट्रपति के आदेश से वह पद रिक्त करेगा।

शपथ-

- संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर आसीन होने से पूर्व राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किये गये किसी अधिकारी के सम्मुख शपथ ग्रहण करेगा।

वेतन-भत्ते-

- वेतन और भत्ते तथा पेंशन से संबंधित शर्तें संसद कानून द्वारा विधि से निश्चित करती है। इन्हें वेतन, भत्ते राज्य की संचित निधि से दिये जाते हैं (अनुच्छेद 221)। जबकि पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है।

न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध (अनुच्छेद 220)-

- उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश पद निवृत्ति के बाद उसी उच्च न्यायालय में या किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। किन्तु किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है।
- उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के सम्बंध में विवाद हो तो राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम होगा।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ-

- भारत में संविधान निर्माण से पहले उच्च न्यायालय अस्तित्व में थे अनुच्छेद 225 के अनुसार उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ वहीं होगी जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले थी।

1. आरंभिक या मूल अधिकार क्षेत्र-

- अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकार से सम्बंधित कोई भी अभियोग सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालयों को पाँच प्रकार के लेख जारी करने के अधिकार है।

  (1) बंदी प्रत्यक्षीकरण (2) परमादेश (3) प्रतिषेध
  (4) अधिकार पृच्छा (5) उत्प्रेषण

- इसके दायरे में तलाक, वसीयत, जल, सेना विभाग, न्यायालय का अपमान, कंपनी कानून आदि अभियोग आते है।
- संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन से जुड़े मामले।

2. अपीलीय अधिकार :-

- उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपील सुनता है, जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी सभी प्रकार के अभियोग है।

3. लेख जारी करने का अधिकार :-

- मूल संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने तथा अन्य उद्देश्यों को पूरा कराने

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

के लिए लेख, आदेश, निर्देश जारी करने का अधिकार है।

4. अभिलेख न्यायालय (Court of Record) :-

➢ अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में मान्यता दी गई। इसके निर्णय अन्य राज्यों में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये जायेगें किन्तु अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों को मानना अनिवार्य नहीं है। अभिलेख न्यायालय को अपने अपमान के लिए दण्ड देने का अधिकार है।

अधीनस्थ न्यायालय (Sub-ordinate Court) –

➢ संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक भाग 6 के अध्याय 6 में वर्णित हैं।

➢ इस प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय का गठन राज्य अधिनियम कानून के आधार पर किया गया है। विभिन्न राज्यों में इनके नाम अलग-अलग है। प्रत्येक जिले में जिला अदालत है इस जिला अदालत का कार्यक्षेत्र उस जिले भर से अपील संबंधी क्षेत्राधिकार है।

➢ इन जिला अदालतों के नीचे अधीनस्थ अदालतें है जैसे- अतिरिक्त जिला अदालत, सब कोर्ट मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत, रेलवे के विशेष अदालत, कारखाना कानून, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, आदि।

➢ अधीनस्थ न्यायालयों में एक जिला न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा मुंसिफ का न्यायालय होता है।

➢ उच्च न्यायालय के अधीन जिला स्तर पर तीन प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय है।

दीवानी न्यायालय	फौजदारी न्यायालय	राजस्व न्यायालय
उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय
↓	↓	↓
जिला जज का न्यायालय	सेंशन जज	राजस्व मण्डल
↓	↓	↓
सिविल जज	न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम और द्वितीय	कमिश्नर का न्यायालय
↓	↓	↓
मुंसिफ	अवैतनिक मजिस्ट्रेट	जिलाधीश का न्यायालय
↓	↓	↓
खलीफा	न्याय पंचायत	उप जिलाधीश का न्यायालय
↓		↓
न्याय पंचायत		तहसीलदार या नायब तहसीलदार

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति-

(I) अनुच्छेद 233 (I) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करता है।

(II) अनुच्छेद 234 (II) के अनुसार राज्यपाल जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। किन्तु वैसे व्यक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जा सकते है।

(III) ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर रहा हो।

(IV) जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा के आधार पर तथा राज्य लोक सेवा आयोग के आधार पर नियुक्ति होते है।

परिवार न्यायालय-

(I) इसकी स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई हैं।

(II) राज्य सरकार उन क्षेत्रों में जहाँ की आबादी 10 लाख से अधिक हो वहाँ परिवार न्यायालय की स्थापना कर सकती है।

(III) इनका मुख्य उद्देश्य विवाह को शून्य घोषित करने, कानूनी अलगाव, तलाक, पति-पत्नी के सम्पत्ति संबंधित मामले, नाबालिक बच्चों के संरक्षण, गुजारेभत्ते आदि से संबंधित मामले सौंपे जाते हैं। परिवार न्यायालयों का प्रयोग कई दृष्टिकोण से सफल है। पारिवारिक संबंधों की गोपनीयता बनाये रखने तथा ऐसे मामले को तेजी से निपटाने की दृष्टि से उनका महत्त्वपूर्ण योगदान है।

प्रशासनिक न्यायालय-अधिकरण-

(I) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 (I) के अनुसार 1 नवंबर 1985 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई।

(II) इस अधिकरण की केंद्रीय शाखा नई दिल्ली में है तथा अन्य 17 शाखा में विभिन्न उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध है।

(III) यह अधिकरण केंद्रीय सरकार में लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का निर्णय करता है।

(IV) राष्ट्रपति, प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष।

लोक अदालत-

➢ इससे अभिप्राय है जनता का न्यायालय लोक अदालत व्यक्तियों के बीच के विवादों का शीघ्र न्याय दिलाने तथा अल्प व्यय के आधार पर आपसी समझौतें द्वारा निपटाने का प्रयास करती है।

➢ प्रथम लोक अदालत का आयोजन 6 अक्टूबर 1985 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में दिल्ली में किया गया।

ई-न्यायालय- देश में पहला मॉडल ई-कोर्ट गुजरात में अहमदाबाद में अहमदाबाद सिटी सिविल एवं सेशन न्यायाल में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन 8 फरवरी 2009 को देश के मुख्य न्यायमूर्ति के. जी. वालकृष्णन द्वारा किया गया था। इसमें कुल 41 तकनीकी सेवाएं शामिल हैं। जिनके पूरा होने पर किसी अदालत को ई-अदालत कहा जाता है। इसमें शामिल कुछ प्रमुख सेवाएं निम्नलिखित हैं-

1. इंटरनेट के माध्यम से याचिका दायर करने की सुविधा
2. न्यायालय शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

3. यदि याचिका त्रुटिहीन हो तो बाद का इलेक्ट्रानिक तरीके से पंजीकृत हो जाना।

4. प्रमाणों तथा अन्य कागज़ातों को इलेक्ट्रानिक तरीके से जमा करने की सुविधा।

5. ईमेल के माध्यम से नोटिस या मामले की तिथियों संबंधी सूचनाएं भेजा जाना।

6. मामले से जुड़े सभी कागज़ातों का डिजिटल रूप में होना तथा न्यायाधीश का फाइलों की जगह इलेक्ट्रानिक तरीके से फाइलों को पढ़ पाना।

7. गवाहों को बिना उपस्थित हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग की मदद से अपना पक्ष रखने की सुविधा देना।

8. अदालत की वेबसाइट पर दैनिक तथा साप्ताहिक वाद सूचियों को उपलब्ध होना।

9. अभिलेख न्यायालयों के सभी निर्णय डिजिटल रूप में प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय के पास हर समय उपलब्ध होना।

10. अधीनस्थ न्यायालयों की सभी निर्णय तथा आदेश इंटरनेट पर उपलब्ध होना ताकि मुवक्किलों को जानकारी के लिये बार-बार न्यायालय न आना पड़े।

जनहित याचिका (Public Interest Litigation) –

- जनहित अभियोग की शुरूआत संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय नें की थी।
- जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं है यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से व्युत्पन्न है।
- भारत में लोक हित अथवा जनहित याचिका को प्रारंभ करने का श्रेय न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती और वी० आर० कृष्ण अय्यर को रहा है। इसके प्रयोग की शुरूआत 1970 के उत्तरार्द्ध में है। इस प्रकार के वाद भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकते है।
- अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 215 में हाईकोर्ट की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

(National Judicial Appointment Commission)- जज मदन बी लोकुर द्वारा लिखे लेख से फिर से चर्चा में आ गया। न्यायपालिका में 1993 की कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर लाया गया था।

99वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 124 तथा 217 को परिवर्तित कर स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण करेगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए 121वां संविधान संशोधन, 2014 किया गया।

संरचना-

- 6 सदस्य होंगे
- प्रथम सदस्य भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होगा। यह अध्यक्ष भी होगा उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, चौथा सदस्य भारत का कानून व न्याय मंत्री शेष दो सदस्यों के तौर दो प्रख्यात कानूनविदों को शामिल किया जायेगा जिसका चयन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की जायेगी जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होगा। अगर किसी को नेता विपक्ष का दर्जा नहीं प्राप्त है तो सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता समिति में शामिल होगा। अगर दो सदस्य सहमत नहीं है तो आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा।

नोट- *सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।*

(i) भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे. कानिया (26.01.1950 – 06.11.1951) थे। वर्तमान में 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शरद अरविंद बोबड़े हैं।

(ii) देशभर के 25 हाईकोर्ट में जजों के 1079 पद स्वीकृत है लेकिन 30 सितंबर, 2019 तक 420 पद खाली थे। केवल हाईकोर्ट में 44 लाख मामले लंबित हैं तथा सुप्रीम कोर्ट में सितंबर, 2019 तक 60 हजार मामले लंबित हैं।

Downloaded From www.studymasterofficial.com Committed to Excellence

केंद्र राज्य संबंध

Centre State Relation

अध्याय 15

भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है। किंतु भारत के लिए 'Federation' शब्द के स्थान पर 'Union' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका कारण यह है कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है बल्कि इनका सृजन संविधान द्वारा किया गया है। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है ''भारत राज्यों का एक संघ'' है। संविधान में भाग 11, 12, 13, और 18 में केन्द्र और राज्य के सम्बंधों की चर्चा पर्याप्त रूप से की गयी है। जो संविधान के अनुच्छेद 245 से 293 के अन्तर्गत आता है।

किन्तु मुख्य रूप से हम यहाँ संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 और अध्याय 2 के अन्तर्गत आने वाले अनुच्छेद 256 से 263 की चर्चा करेंगें।

- 15 अगस्त 1947 से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी अखण्डता और अस्तित्व को बरकरार रखे हुए है उसकी इस उपलब्धि का आधार संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था है।
- संघवाद एक संस्थागत प्रणाली हैं जिसमें दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं।

  1. केंद्रीय स्तर पर 2. प्रांतीय स्तर पर
- संघवाद में प्रत्येक सरकारें अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त हैं किन्तु जहाँ कुछ देश में दोहरी नागरिकता है वहीं भारत में इकहरी नागरिकता है।
- भारतीय संविधान में दोहरी शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान की सर्वोच्चता के साथ केन्द्र और राज्य की शक्तियों के स्रोत भी है।
- राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे- प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केन्द्रीय सरकार का होता है। वहीं क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषय प्रान्तीय सरकारों के है।
- हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में संघात्मक शासन प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका, समवर्ती सूची और केन्द्र संबंध आस्ट्रेलिया तथा संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है जो इस आधार पर अन्य देशों से अलग करता है।

संघीय व्यवस्था

- विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255)
- प्रशासनिक संबन्ध (अनुच्छेद 256-263)
- वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 264-293)

भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 में केन्द्र राज्य विधायी संबधों की चर्चा की गई है।

- संविधान के अनच्छेद 245 के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए; संसद भारत के संपूर्ण राज्य का विधान मण्डल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति हैं।
- संविधान की सातवी अनुसूची में केन्द्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में तीन प्रकार की सूचियों की व्यवस्था की गई है।

  1. संघ सूची 2. राज्यसूची 3. समवर्ती सूची

संघ सूची - (Union List) :-

- संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते है जिनके सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश में एक प्रकार का कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार (संघीय संसद) को दिया गया है। संघ सूची में मूलत: 97 विषय था। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय शामिल है।

राज्य सूची - (State List) :-

- राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है, जो स्थानीय महत्व के है तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 66 है। वर्तमान में 61 विषय हैं।

समवर्ती सूची - (Concurrent List) :-

- समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधान-मण्डल दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है किन्तु यदि दोनों कानूनों में विरोध होता है तो केन्द्र द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। समवर्ती सूची में शामिल विषयों की संख्या मूलत: 47 हैं। वर्तमान में 52 विषय हैं।

नोट :-

संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्ती सूची में 5 विषय राज्य से शामिल किया गया हैं।

1. शिक्षा 2. वन 3. नाप एवं तौल
4. न्याय का प्रशासन 5. वन्य जीवों और पक्षियों का सरंक्षण

अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ (Resduary powers of legislation) :-

- संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के बारे में उपबन्ध है। अवशिष्ट शक्तियों में वे विषय है जो केन्द्र, राज्य

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

या समवर्ती सूचियों में से किसी में सम्मिलित नहीं होते है इन विषयों पर विधान बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। अनुच्छेद 246 में दी हुई व्यवस्था के अनुसार संघ सूची और समवर्ती सूची में विवाद पर संघ सूची अभिभावी होगी तथा समवर्ती सूची तथा राज्य सूची में विवाद होने पर समवर्ती सूची अभिभावी होगी।

- किन्तु यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित है तो ऐसी स्थिति में उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है किन्तु संसद इस पर भी कानून बना सकती है।

राज्य सूची के विषय पर संसद को विधि बनाने की शक्ति–

- केन्द्र और राज्यों में सामान्य स्थिति में शक्तियों के विभाजन को कठोरता से पालन होता है केन्द्र या राज्य एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। किन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में केन्द्र को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।

1. **राष्ट्रीय हित के संबंध में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति –**

   अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य–सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बनायें, तो संसद को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है।

- संसद द्वारा निर्मित इस प्रकार का कानून एक वर्ष के लिए प्रभावी होता है। किन्तु राज्य सभा प्रत्येक बार संकल्प पारित करके कई वर्षों के लिए बढ़ा सकती है।
- संसद द्वारा पारित कोई विधि संकल्प प्रवृत्त के न रहने पर 6 मास की अवधि समाप्ति के दौरान प्रवृत्ति में न रहेगी।
- वर्ष 1950 में संसद द्वारा व्यापार तथा वाणिज्य के लिए इस प्रकार का कानून बनाया गया था।

राष्ट्रीय आपात के समय :-

- संविधान के अनुच्छेद 250 के अनुसार आपात की उद्घोषणा के दौरान केन्द्र राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बना सकती है। सिर्फ यह शक्ति अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपात में ही प्राप्त होती है, अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात में नहीं है।
- अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मण्डल द्वारा एक संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करते हैं तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकेगी।
- अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में जब सांविधानिक तंत्र विफल हो गया हों।
- अनुच्छेद 253 के उपबन्धों के अनुसार संसद अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के कार्यान्वयन के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वह राज्य सूची का ही विषय हो। किन्तु वे मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है।

  इस प्रकार विधायी शक्तियों के वितरण से स्पष्ट है कि राज्य की अपेक्षा केन्द्र अधिक शक्तिशाली है।

- राज्यों सूची में कुछ ऐसे भी विषय है जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जैसे-वाणिज्य और वर्णित व्यापार विषय।

केन्द्र और राज्यों के प्रशासनिक सम्बंध-अनुच्छेद 256-263

संविधान में केन्द्र और राज्यों को अपने उत्तरदायित्व के साथ अपने-अपने क्षेत्र में प्रभुता सम्पन्न है। संविधान की सांतवी अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची के विषयों पर कार्यपालिका शक्ति राज्यों के पास है किन्तु कुछ अपवादों के स्वरूप प्रावधानों को क्रियान्वित करने की शक्ति केन्द्र के पास है।

सामान्य परिस्थितियों में भी संविधान राज्यों के ऊपर केन्द्र के नियन्त्रण का उपबन्ध करता है।

1. केन्द्र द्वारा राज्यों को निदेश देने की संघीय व्यवस्था अनुच्छेद 356, 257, 305, 339 में वर्णित है।
2. केन्द्र सरकार अनुच्छेद 258 (1) के अधीन संसद किसी राज्य सरकार की सम्मति से कार्यपालिका से सबन्धित किसी विषय को उस सरकार को या उसके पदाधिकारियों को शर्त के साथ सौप सकती है।
3. उसी प्रकार राज्य सरकारें भी अपने कुछ कार्यों को केन्द्र सरकार को सौप सकती है। किन्तु राज्य केन्द्र सरकार को उसकी सहमति से ही दे सकती है।
4. राज्य की सीमा क्षेत्र के अन्दर भारतीय रेलों के संरक्षण का कार्य केन्द्र सरकार राज्य को सौंपती है।
5. संविधान में राज्यों के स्रोत अत्यन्त सीमित है जबकि नीति निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत उन्हें समाज-प्रगति के लिए अनेक कार्य करने पड़ते है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार कुछ शर्तो के साथ अनुदान उपलब्ध कराती है।

   यदि राज्य सरकारें उन शर्तो को पूरा नहीं करती है तो उनका अनुदान रोक दिया जाता है।

सहकारी परिसंघवाद (Cooperative Federalism) :-

परिसंघात्मक संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होता है। केन्द्र और राज्य एक नागरिक पर शासन करती है तथा उनके विकास के कार्य सम्पादित करती है।

जैसे-जैसे समय के अनुरूप उनमें प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा की भावना कम होती गई और उनके बीच सहयोग और समन्वय बढ़ता गया इसी कारण वर्तमान में इसे परिसंघ कहते है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com

केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध-अनुच्छेद 264 से 291 तक :-

संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न तो लगाया जा सकता है और न ही संग्रह किया जा सकता है। कर लगाने वाली विधि संविधान द्वारा वैध होनी चाहिए अन्यथा कर भी अवैध हो जायेंगें।

➲ इस प्रकार का प्रतिषेध केवल करों के संबंध में है न कि शुल्क के संबंध में लागू होता है।

➲ केन्द्र सरकार संघ सूची में वर्णित विषयों पर कर अधिरोपित कर सकती है जबकि प्रान्तीय विधानमण्डल राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर अधिरोपित कर सकता है।

कर राजस्व का वितरण :-

1. **संघ के प्रमुख राजस्व के स्रोत –**

निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, शेयर बाजार तथा रिजर्व बैंक

2. **राज्य के प्रमुख राजस्व के स्रोत –**

व्यक्तिकर, कृषि भूमि कर, सम्पदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर पशुओं तथा नौकायन पर कर, विजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर वाहनों पर चुंगी आदि।

संघ द्वारा लगाये तथा वसूलें जाने वाले लेकिन राज्यों को वितरित किय जाने वाले कर-

➲ इसमें आने वाले करों में-कृषि आय से अलग आय पर कर तथा संघ सूची में सम्मिलित उत्पाद शुल्क आदि।

➲ किन्तु औषधीय एवं प्रसाधन उत्पादन पर उत्पाद शुल्क इसमें नहीं आते है।

संघ को प्राप्त होने वाले कर :-

केन्द्र द्वितीय या तृतीय श्रेणी के करों पर आवश्यकता की पूर्ती के लिए सरचार्ज या लेवी लगा सकता है जो केन्द्र सरकार प्राप्त करती है।

प्रान्तों द्वारा लगाए संग्रहित तथा उपभोग में आने वाले कर-

इस श्रेणी में वह कर आते है जिनका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है। इनकी संख्या 20 है। जो निम्न है।

I. भू-राजस्व

II. कृषि आय एवं कृषि भूमि पर लगने वाले कर

III. भूमि एवं भवनों, अयस्क, पशु एवं नावें, सड़कों पर चलने वाले वाहन, विलसित, मनोरंजन एवं जुआ पर कर,

IV. शराब पर कर

V. सड़क परिवहन के माध्यम से राज्यों में प्रविष्ट होने वाली वस्तुओं पर लगने वाले कर

VI. प्रोफेशनल्स पर लगने वाले कर

VII. टोल टैक्स

VIII. स्टैम्प ड्यूटी

IX. बिक्री कर

X. राज्य सूची के अन्तर्गत आने वाली फीस (न्यायालय की फीस को छोड़कर)

गैर कर राजस्व :-

(क) केन्द्र – केन्द्र के गैर राजस्व स्रोत से मिलने वाले कर

I. डाक एवं तार

II. रेलवे

III. बैकिंग

IV. प्रसारण

V. सिक्के एवं मुद्रा

VI. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम

VII. अनुच्छेद 294 से 300 में उल्लेख किए गये केन्द्र की संपत्ति संविदा, में आने वाले कर।

(ख) राज्य – गैर राजस्व कर के द्वारा राज्य को प्राप्त स्रोत से मिलने वाले कर।

I. सिंचाई

II. वन

III. मत्स्य पालन

IV. राज्य सार्वजनिक उपक्रम

V. राज्य की संपत्ति, संविदा, से प्राप्त कर

➲ राज्य विधान मण्डल को कृषि के सम्बन्ध में सम्पदा-शुल्क लगाने की शक्ति है।

➲ संसद को गैर कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क लगाने की शक्ति प्राप्त है।

➲ कराधान के सम्बन्ध में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को प्राप्त है। उपहार-कर एवं व्यय-कर अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते है।

➲ 88 वे संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनुच्छेद 268 A जोड़ा गया है। इसमें व्यवस्था दी गई है कि सेवाओं पर करों का आरोपण संसद द्वारा तथा इसका संग्रहण व विनियोजन केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

➲ संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय शक्ति का विभाजन 1935 के अधिनियम पर आधारित है।

केन्द्र तथा राज्य संबंधों पर गठित आयोग तथा समितियाँ :-

अब तक केन्द्र और राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्य रूप से चार आयोग का गठन किया गया है। ?

1. **प्रशासनिक सुधार आयोग :-**

केन्द्र सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में गठन किया गया किन्तु 1967 में मोरारजी देसाई के संघीय मंत्रीपरिषद् में सम्मिलित होने पर हनुमन्थैया को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1969 को सौंपी।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed to Excellence

केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी–

1. अनुच्छेद 263 के तहत एक अन्तर्राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए।
2. राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन देने के उपाय किये जाने चाहिए।
3. राज्यों में केन्द्रीय बलों की नियुक्ति तभी की जानी चाहिए जब राज्य सरकार ने उसके लिये अनुरोध किया हो।
4. राज्यपाल के रूप में गैरदलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति किया जाये जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लम्बा अनुभव हो।

2. राजामन्नार समिति :-

इस समिति की सिफारिशें केन्द्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक, विधायी तथा वित्तीय सम्बंधों से सम्बंधित है।

इस समिति का गठन 1969 में तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1971 में पेश की।

(i) अनुच्छेद 249 को निरसित किया जाना चाहिए।

(ii) अखिल भारतीय सेवा को समाप्त किया जाना चाहिए।

(iii) अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए इत्यादि।

3. भगवान सहाय समिति :-

इस समिति ने केवल राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी थी।

4. सरकारिया आयोग :-

इन्दिरा गांधी की सरकार ने जून 1983 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय सरकारिया आयोग का गठन किया गया।

इस आयोग में दो अन्य सदस्य एस० आर० सेन तथा बी० विशरामन थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इनकी सिफारिशें केन्द्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय सम्बंधों से सम्बंधित है।

- ऐसा व्यक्ति राज्यपाल हो जो नियुक्त किये जाने तक राजनीति में सक्रिय भाग न ले रहा हो।

➲ आयोग की मुख्य सिफारिशों में अनुच्छेद 263 के अधीन अन्तर्राज्य परिषद् की स्थापना की सिफारिशें थी।

➲ राज्यपाल का चयन करते समय अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को समुचित अवसर दिया जाना चाहिए।

➲ आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में केन्द्र राज्य परिषद् का गठन किया गया।

➲ यदि राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को सबसे बड़ी विरोधी दल को सरकार बनाने का आमंत्रण देना चाहिए तथा बहुमत साबित करने का निर्देश देना चाहिए।

पुंछी आयोग :-

केन्द्र राज्य संबंधों की व्याख्या के लिए अप्रैल 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश के एम० पुंछी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया।

➲ आयोग का मुख्य कार्य यह था कि अन्य तरह का सामाजिक संघर्ष भड़कने की स्थिति में केन्द्र की ''भूमिका जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र क्या है''।

➲ आयोग अपनी सिफारिशें तीन साल के भीतर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया।

अंतर्राज्यीय संबंध :-

संसद द्वारा अंतर्राज्यीय सहभागिता तथा समन्वय को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है।

अनुच्छेद 262 के उपबंधों के अनुसार अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित है।

1. संसद विधि बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों के जल प्रयोग, बँटवारे तथा नियन्त्रण से संबन्धित किसी विवाद की शिकायत पर निपटारा कर सकती है।
2. संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में न ही उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें।

इसके अधीन दो कानून बनाए गए :-

1. नदी बोर्ड कानून – 1956
2. अंतर्राज्यीय जल विवाद कानून – 1956

वर्तमान में अब तक केन्द्र सरकार द्वारा आठ अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है।

1. कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण– 1969 (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र)
2. गोदावरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण– 1969 (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा)
3. रावी तथा व्यास नदी जल विवाद न्यायाधिकरण– 1986 (पंजाब तथा हरियाणा)
4. नर्मदा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण– 1969 (राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।
5. कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण– 1990 (कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी)
6. द्वितीय कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण– 2004 (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र)

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed to Excellence

7. वंशधारा जल विवाद अधिकरण- 2010 (ओडिशा, आंध्र प्रदेश)
8. महादायी/मंडोवी जल विवाद न्यायाधिकरण- 2010 (गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र)

अन्तर्राज्यीय परिषद् (Inter-state council)

संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर राज्य परिषद् के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की यदि यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोक हित की सिद्धि होगी जिसे -

क. राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हो उनकी जाँच करने और उन पर सलाह देने

ख. कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने;

ग. ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कार्यबाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने,

➲ 25 मई, 1990 को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन कर दिया।

सदस्य :- अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन किया गया।

I. प्रधानमंत्री - अध्यक्ष
II. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
III. विधान सभा वाले संघ राज्यों के मुख्यमंत्री
IV. उन संघ राज्यों के प्रशासक जहाँ विधान सभा नहीं है।
V. प्रधान मंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (5 स्थायी रूप में)

उद्देश्य -

अंतरर्राज्यीय परिषद् संघ तथा राज्य सरकारों की नीतियों में समन्वय तथा समझौते तथा राज्यों के परस्पर विवादों को निपटाने के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

परिषद् की बैठकों के लिए कम से कम 10 सदस्य अध्यक्ष सहित होने चाहिए।

वर्ष में परिषद् की कम से कम तीन बैठकें बंद कमरे में होंगी ताकि सभी सदस्य स्वतंत्र रूप से अपनी राय रख सकें।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS WORLD Committted to Excellence

एन.के. सिंह- अध्यक्ष
शक्तिकांत दास- सदस्य (पूर्णकालिक)
डॉ. अनूप सिंह- सदस्य (पूर्णकालिक)
डॉ. अशोक लाहिड़ी- सदस्य (अंशकालिक)
डॉ. रमेश चन्द्र- सदस्य (अंशकालिक)
अरविन्द मेहता- सचिव

वित्त आयोग (Finance Commission)-

- संविधान के अनुच्छेद 280 में हर पाँचवें वर्ष वित्त आयोग के नियुक्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस अनुच्छेद के अनुसार वित्त आयोग एक स्वतन्त्र अर्द्ध - न्यायिक, विधायी संस्था के रूप में कार्य करती है।

संरचना-

- संविधान में संसद को आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन के निर्धारण का अधिकार दिया गया है।
- संसद द्वारा वित्त आयोग अधिनियम 1951 द्वारा आयोग के अध्यक्ष और अन्य चार सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान है।

(I) कोई एक सदस्य उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हों।
(II) वह व्यक्ति जिसे सरकारी खातों और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो।
(III) वह व्यक्ति जिसे वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का विशेष अनुभव हो।
(IV) वह व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो।

- आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो।

नोट- *संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है।*

पदावधि-

- आयोग के सदस्य उसी समय तक पर बने रहेगें जो राष्ट्रपति के आदेशानुसार हो। वे पुर्ननियुक्ति के लिये भी पात्रता रखते हैं।

आयोग के कार्य-

अनुच्छेद 280(3) में वित्त आयोग के कर्तव्य बताये गये हैं जो कि निम्नलिखित हैं-

(I) करों से प्राप्त कुल आय का केन्द्र और राज्य के बीच बँटवारा
(II) केन्द्र द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धान्त। (अनुच्छेद 275)
(III) पंचायतों और नगर निकाय के संसाधनों की संपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपायो से संबंधित अनुशंसा। यह कर्तव्य 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया है।
(IV) वित्तीय दृष्टि से हितकर कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति सौपें।

- अनुच्छेद 273 के अनुसार आयोग प्रतिवर्ष जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क से प्राप्त निवल के हिस्से में से असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को दी जाने वाली राशि का निर्धारण करता है।
- अनुच्छेद 281- राष्ट्रपति से सौपी गई वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति उन पर की गयी कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन के सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगा।
- वित्त आयोग एक सलाहकारी निकाय है, कानूनी रूप से राष्ट्रपति इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
- *ध्यातव्य है कि 27 नवंबर, 2017 को श्री एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक होगा।*

वित्त मन्त्रालय (Ministry of Finance)

- वित्त मन्त्रालय का प्रारम्भ 1810 में हुआ जिसे लोक विभाग से अलग कर एक विभाग जिसे वित्त विभाग कहा गया, बनाया गया।
- स्वतंत्रता के पश्चात 1947 वित्त विभाग को वित्त मंत्रालय कहा गया। वित्त विभाग कैबिनेट स्तर के मंत्री के अधीन है जिसकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री तथा एक उपमंत्री है।

वित्त मंत्रालय में निम्न शाखाएं है-

वित्त मंत्रालय
- आर्थिक मामलों का विभाग
- व्यय विभाग
- राजस्व विभाग

आर्थिक मामलों का विभाग-

- केन्द्रीय बजट तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों का बजट तैयार करके संसद में प्रस्तुत कराने का कार्य करता है।

व्यय विभाग-

- व्यय विभाग भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और कार्यालयों से संबंधित वित्तीय अनुमानों तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्योजन संबंधी कार्य करता है।

राजस्व विभाग-

- राजस्व विभाग 1963 में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यों की देख रेख करता है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed for Excellence

अनुच्छेद 265-

बजट अधिनियम के बिना सरकार न तो धन एकत्र कर सकती है और न खर्च।

संवैधानिक उपबंध-

(I) अनुच्छेद 112 - प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों के विवरण को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है।

(II) अनुच्छेद 112 - बजट में सम्मिलित व्यय अनुमान भारत की संचित निधि पर से प्रभावित व्ययों को और इस कोष से किए जाने वाले व्यय को अलग-अलग रखेगा।

(III) अनुच्छेद 113 - अनुदान की मांग बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं की जायेगी।

(IV) अनुच्छेद 113 - भारत की संचित निधि में से प्रभारित खर्चों को संसद में मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा। किन्तु संसद इस पर चर्चा कर सकती है।

(V) संसद किसी कर को खत्म या कम कर सकती है किन्तु बढ़ा नहीं सकती है।

(VI) कराधान संबंधी किसी धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्य सभा में प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

(VII) अनुदानों की माँग पर मतदान का अधिकार केवल लोक सभा को है।

(VIII) राज्य सभा धन विधेयक को लोकसभा को 14 दिन के भीतर वापस कर देगी।

बजट निर्माण की कई पद्धतियाँ है-

1. **मद क्रम बजट निर्माण (Line-item- Budgeting)** :-यह परंपरागत प्रणाली है। इस प्रणाली का एक मात्र उद्देश्य धन की जबाब देही सुनिश्चित करना है।
2. **निष्पादन बजट (Performance Budget)** :-जन्म संयुक्त राज्य अमरीका में हुआ था। भारत में निष्पादन बजट को प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 1958 में लागू किया गया किन्तु पूर्ण रूप से पूरे मंत्रालयों में 1976 में तथा राज्य सरकारों द्वारा 1971 में, उत्तर प्रदेश केरल, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक में प्रचलित हुआ था।
3. **कार्यक्रम बजट** :- जन्म संयुक्त राज्य अमरीका में हुआ था।
4. **शून्य आधारित बजट** :- इसका निर्माण 1964 में संयुक्त राज्य अमरीका में हुआ था। भारत में 1983 में सबसे पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अपनाया गया। तत्पश्चात 1986-88 तक सभी मंत्रालयों में लागू।

- केन्द्रीय बजट को 1924 में एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश से दो भाग में कर रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था।
- 2017-18 से फिर से आम बजट का हिस्सा हो गया। तथा इसे पेश करने की तारीख भी फरवरी आखिरी हफ्ते से खिसककर पहले हफ्ते में आ गई है।
- बजट निर्माण का उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय का होता है।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
- बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय के साथ योजना आयोग, प्रशासनिक मंत्रालय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक शामिल होते है।
- वित्त मंत्रालय समेकित गोपनीय बजट को मंत्रिमंडल के सामने रखता है जिसके अनुमोदन पश्चात बजट को संसद में रखा जाता है।

संसद में बजट पाँच चरणों से गुजरता है-

1. बजट प्रस्तुतीकरण, जिसमें रेल बजट फरवरी के तीसरे सप्ताह में रेलमंत्री द्वारा तथा फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में वित्तमंत्री आम बजट प्रस्तुत करता है।
2. संसद के दोनों सदनों में आम बहस।
3. अनुदान माँगों पर मतदान - रेल बजट में 32 माँगे जबकि आम बजट में 109 माँगे (103 नागरिक +6 प्रतिरक्षा) होती है।

(I) अनुदान पर माँग का अधिकार केवल लोक सभा को है।

(II) व्यय के अनुमान दो होते है।

(क) भारतीय संचित निधि पर प्रभारी व्यय (अनुच्छेद 112) - इस प्रकार के व्यय पर लोकसभा केवल बहस कर सकती है, किन्तु मतदान नहीं कर सकती।

(ख) दूसरे प्रकार के व्यय भारत की संचित निधि से होते है जिस पर मतदान होता है।

अनुदान-

- **अनुपूरक अनुदान (Supplementary grants)-** (अनुच्छेद 115) इस प्रकार के अनुदान में चालू वित्त वर्ष में किसी नए विषय पर जो बजट में न हो, पर खर्च के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो।

अधिक अनुदान-

- **अधिक अनुदान (Excess grant)-** (अनुच्छेद 115) किसी वित्त वर्ष में यदि किसी सेवा के दौरान दिये गये धन से अधिक राशि खर्च हो गई हो। इस प्रकार का अनुदान वित्त वर्ष की समाप्ति पर होता है।

लेखानुदान (Votes on Account)-

- विनियोग विधेयक को पारित करने के पहले, जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है, तब लोकसभा लेखानुदान के माध्यम से सरकार के व्यय के लिए अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करती है।

प्रत्ययानुदान-

- प्रत्ययानुदान (Votes on Credit) अनुच्छेद - 116) त्वरित माँग के चलते उन विवरण को बताया नहीं जाता है। जो सामान्यतया बजट में दिए जाते है (जैसे-युद्ध)। इसे कोरे चेक की संज्ञा दी जाती है।

असाधारण अनुदान-

- असाधारण अनुदान (Exception Grant) (अनुच्छेद-116) किसी नई सेवा के लिए जिसका चालू वित्त वर्ष में कोई उल्लेख न हो।

विनियोग विधेयक को पारित करना-

- विनियोग विधेयक को पारित करना (Appropriation Bill) (अनुच्छेद 114) अनुदानों की स्वीकृति के लिए मतदान हाने पर भी सरकार को वांछित धन खर्च करने की शक्ति नहीं होती है। इसके लिए

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed to Excellence

लोक सभा में एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। पारित होने के पश्चात राज्य सभा 14 दिन अन्दर अपनी सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के लौटा देती है जिसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।

➢ राष्ट्रपति (या राज्यपाल राज्यों में) की सहमति मिलने पर विनियोग विधेयक पारित हो जाता है।

वित्त विधेयक पारित होना-

➢ विनियोगग विधेयक से धन के व्यय का अधिकार मिल जाता है किन्तु धन के आय के लिए वित्त विधेयक का प्रस्ताव लाया जाता है।

1. पहली बार लगाए जाने वाले कर
2. बढ़ाए जाने वाले कर
3. प्रतिवर्ष नवीनीकरण या संशोधित कर

➢ वित्त विधेयक पर संसद में बहस होती है इस चर्चा के पश्चात लोकसभा में मतदान होता है जिसे स्वीकृत कर लिया जाता है। इसके पश्चात राज्य सभा में जाता है जहाँ पारित होकर कानून बन जाता है क्योंकि राज्यसभा के सीमित अधिकार है।

➢ कर संग्रह का प्रभारी तंत्र पूरी तरह से वित्त मंत्रालय के नियंत्रण और देखरेख में काम करता है। करों का संग्रह केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं कस्टम बोर्ड के माध्यम से किया जाता है।

➢ भारतीय संविधान में तीन प्रकार की राशियों/निधियों की व्यवस्था है।

1. **भारत की संचित निधि-(अनुच्छेद 266)** - अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि की स्थापना की गई है। इस निधि में आकस्मिक निधि तथा राज्यों को दिये जाने वाले कर तथा शुल्कों को छोड़कर, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और अग्रिमों द्वारा लिये गये सभी उधार तथा उन उधारों से सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर एक संचित निधि का निर्माण होता है।

   उसी प्रकार राज्य सरकार के अंतर्गत प्राप्त सभी राजस्व उधार अथवा अग्रिमों द्वारा लिये गये सभी उधार और उनसे प्राप्त धनराशियों की एक संचित निधि का निर्माण होता है जिसे राज्य की संचित निधि के नाम से जाना जाता है।

नोट : इस प्रकार की निधि में भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी लोक धन राशियाँ भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाती है।

2. **भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) -** (अनुच्छेद 267)- ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए जिनके अधीन आकास्मात कुछ व्यय करना जरूरी हो जाए, अनुच्छेद 267 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमण्डल को भारत या राज्य के आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। आकस्मिकता निधि संघ या राज्य सरकार (राष्ट्रपति या राज्यपाल) के हाथ में रखी जाती है ताकि वे अप्रत्याशित व्यय की पूर्त्ति के वास्ते तब तक के लिए अग्रिम धन दे सके जब तक कि विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते।

➢ भारत की सार्वजनिक लेखा (Public Account) (266)।

भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक
(Comptroller and Auditor-General of India)

➢ संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबन्ध है।

➢ 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान स्तर तथा सुरक्षा प्रदान की गई।

नियुक्ति और शर्तें-

(I) महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति संघ मंत्रिमण्डल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

(II) इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।

(III) किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है।

(IV) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर महाभियोग लगाने की वही प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है।

(V) उसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है जो केन्द्र सरकार द्वारा 15 जनवरी 2009 को जारी अध्यादेश के द्वारा निर्धारण किया गया है।

(VI) वेतन और भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा।

(VII) सेवा मुक्त के उपरान्त वह भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं रहेगा।

कर्त्तव्य और शक्तियाँ-

➢ अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के कर्त्तव्य और शक्तियाँ है।

(I) केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्चों का लेखा परीक्षण करता है।

(II) भारत तथा प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किये जाने वाले सभी व्यय की संपरीक्षा करेगा और प्रतिवेदन देगा कि क्या कोई ऐसा व्यय विधि के अनुसार नहीं है।

(III) संघ और राज्यों की आकस्मिक निधि तथा सार्वजनिक लेखाओं के सभी व्यय की संपरीक्षा तथा प्रतिवेदन करेगा।

➢ संघ और प्रत्येक राज्य की आय और व्यय की संपरीक्षा करेगा।

➢ वह संघ और राज्य के राजस्वों से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी निकायों की, सरकारी कम्पनियों, तथा अन्य निगमों और निकायों की संपरीक्षा तथा प्रतिवेदन करेगा।

➢ वह अन्य प्राधिकरणों जैसे स्थानीय इकाइयों के लेखा परीक्षण राष्ट्रपति और राज्यपाल के आग्रह करता है।

➢ कर आदि को प्रमाणित एवं कार्यान्वित करता है।

➢ वह राष्ट्रपति सम्मुख तीन लेखा परीक्षण की रिपोर्टों को रखता है-

1. आनुमानिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट।
2. वित्तीय खातों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट।
3. सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट। इन सभी रिपोर्टों को राष्ट्रपति दोनों सदनों पर रखते है। (अनुच्छेद 151)

➢ 1976 में केंद्र सरकार के ऑडिट से लेखा को अलग कर दिया गया।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed to Excellence

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं सरकार के मामलों में संसदीय लोक लेखा समिति (Public Account Committee PAC) को तथा राज्यों में राज्य विधान मण्डल की लोक लेखा समितियों को सौंपी जाती है।

नोट- *पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी. नरहरि राव तथा वर्तमान में राजीव महर्षि 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। जिनका कार्यकाल 2017-21 तक है।*

भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India)-

- संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में उपबन्ध है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।

नियुक्ति-

- संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति संघ मंत्री मण्डल की सलाह पर करता है।

योग्यता-

(I) महान्याय वादी वही व्यक्ति नियुक्ति किया जायेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हों।

(II) किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

(III) किसी उच्च न्यायालय में पाँच वर्षो तक न्यायाधीश रहा हो।

(IV) वह भारत का नागरिक हों।

(V) वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो

कार्यकाल-

- संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है। न ही हटाने का कोई उपबन्ध है।
- वह राष्ट्रपति की इच्छा पर अर्थात मंत्रिपरिषद के विघटन तक अपने पद पर रहता है।

वेतन-

- संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है उसके वेतन को निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है।

कार्य-

- राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए कानूनी मसलों पर भारत सरकार को सलाह देना।
- सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर पेश होना।
- भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को पेश होने का अधिकार है।
- महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है।
- एक संसद सदस्य की तरह उसे सभी भत्ते एवं सुविधाएं मिलती है।
- महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है।
- पहले एम.सी. सीतलवाड़ तथा वर्तमान में 15वें महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल हैं।

राज्य का महाधिवक्ता
(Advocate General of the State)

- संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता पद की व्यवस्था की गयी है। जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा।

योग्यता-

(I) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए योग्य होने वाले व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए।

(II) उसे दस वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षो तक वकालत करने का अनुभव हो।

कार्यकाल-

(I) संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल का कोई निर्धारण नहीं है।

(II) वह अपने पद पर राज्यपाल की इच्छा तक पद धारण करता है अर्थात वह त्याग पत्र तब देता है जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देती है।

वेतन-

- उन्हें वे सभी सुविधाएं एवं भत्ते मिलते है जो राज्य विधानमण्डल के किसी सदस्य के लिए निर्धारित होते है किन्तु संविधान में राज्य महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को भी निर्धारित नहीं किया गया है। अत: उनके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है।

निर्वाचन आयोग (Election Commission)

- भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 के उपबन्धों में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त का वर्णन है। यह एक स्थायी संवैधानिक संगठन हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी।
- संविधान में निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख नही है। संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिनियमित करें। संसद द्वारा अब तक निम्न उपबन्ध किये गये हैं।

1. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम - 1952
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, 1951
3. परिसीमन अधिनियम, 1962, 1972

निर्वाचन आयोग का गठन - संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्न प्रावधान है-

1. चुनाव आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
2. राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर अन्य प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा, जिसे वह चुनाव आयोग की सहायता के लिए उचित समझें।
3. निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्ते व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

- संविधान के प्रवर्तन के बाद 1950 में अनुच्छेद 324 के आधार पर निर्वाचन आयोग का गठन किया गया जो 16 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय आयोग के रूप में ही कार्य करता रहा।
- 1991 में संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त अधिनियम पारित किया गया। जिस आधार पर 1993 में संशोधन

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed to Excellence

करके यह व्यवस्था दी गयी है कि निर्वाचन आयोग तीन सदस्यीय होगा।

नियुक्ति-

- अनुच्छेद 324 (2) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा इस प्रयोजन हेतु बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की संस्तुति के आधार पर की जाती है।

योग्यताएँ-

- निर्वाचन आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष की योग्यता के बारे में संविधान में कोई निर्धारण नहीं है।
- लेकिन 1991 संसदीय अधिनियम द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय श्रेणी में रखा गया है।

कार्यकाल या पदावधि-

(I) संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन 1991 संसदीय अधिनियम द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद ग्रहण तिथि से 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है।

(II) मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदावधि के दौरान राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो जाता है।

(III) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए संसद द्वारा उसी प्रकार महाभियोग की कार्यवाही की जाती है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरूद्ध की जाती है।

(IV) अन्य निर्वाचन आयुक्त भी पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक उम्र तक पद ग्रहण कर सकते है। लेकिन निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर हटा सकता है।

वेतन-भत्ते-

- 1 अक्टूबर 1993 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन, भत्ते तथा पेंशन प्राप्त होगें तथा नियुक्ति के पश्चात उनके कार्यकाल, वेतन, अन्य सेवा शर्तो में उनके हितों के विरूद्ध कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।
- यह सभी वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि से प्राप्त होगें।

प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त-

- 1952 के चुनावों के दौरान 6 माह के लिए दो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गयी थी। [अनुच्छेद 324 (4)]।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करके राष्ट्रपति उसकी सहायता के लिए कुछ प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है।

निर्वाचन आयोग के कार्य और कर्तव्य-

1. संविधान के अनुसार संसद तथा राज्य विधान मण्डलों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन कराने का कर्तव्य निर्वाचन आयोग का है।
2. संसद द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 का गठन किया गया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जायेगा। इस कार्य को करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। जिसके अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते है। **अब तक 1952,1961,1973 तथा 2002 में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है।**
3. निर्वाचन आयोग प्रत्येक लोकसभा तथा विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पूर्व तैयार की गयी निर्वाचन नामावली के आधार पर चुनाव सम्पन्न करवाता है।

तैयार निर्वाचक नामावली में-

(i) वह भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। (पहले यह आयु 21 वर्ष थी किन्तु 61वें संविधान संशोधन 1989 से 18 वर्ष हो गयी)।

(ii) वह भारतीय नागरिक जो संविधान या समुचित विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, अपराधी, या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य न घोषित किया गया हों।

4. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना -

- जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, 1988 के अनुसार, राजनीतिक पार्टियों के लिए कुछ शर्ते लागू की गयी थी।
- दिसंबर 2000 में चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, 1988 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

1. राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा प्राप्त करने संबंधित राजनीतिक दल को लोक सभा चुनाव अथवा विधान सभा चुनावों में किन्हीं चार अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गये वैध मतों के 6 प्रतिशत मत प्राप्त करने के साथ ही किसी राज्य अथवा राज्यों में लोक सभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी।
   अथवा लोक सभा में उसे कम से कम 2 प्रतिशत सीटें (543 में से कम से कम 11 सीटें) कम से कम तीन राज्यों से जीतनी होगी।
2. राज्य स्तर पर लोक सभा अथवा राज्य सभा के डाले गये कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करने के साथ ही राज्य विधान सभा में कम से कम तीन सीटें जीतना आवश्यक है।
3. निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति तथा राज्य विधान मण्डल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर संबद्ध राज्य के राज्यपाल को सलाह देता है।
4. निर्वाचन आयोग का कार्य चुनाव का संचालन करना है किन्तु निर्वाचन की तारीख नियत करने का काम सरकार का है।
5. संविधान में पंचायतों और नगर निकायों के निर्वाचन के लिए अलग से उपबंध है।
6. वर्तमान में 8 दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त है।

तारकुण्डे समिति-

- महाराष्ट्र के भूतपूर्व न्यायधीश वी. एम. तारकुण्डे की अध्यक्षत में 1980 में एक समिति का गठन किया गया था। यह "सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी" नामक संगठन की ओर से किया गया।
- जिसकी कुछ सिफारिशों को सरकार द्वारा मान लिया गया। जिसमें मताधिकार आयु 18 वर्ष, राज्यों में निर्वाचन आयोगों की स्थापना संघीय निर्वाचन आयोग में सदस्यों की वृद्धि।

संघ लोक सेवाएं तथा राज्य लोक सेवा

- संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 314 तक सेवाएं

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

तथा भाग 14 के अध्याय 2 में ही अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक लोक सेवा के बारे में उपबंध है।

- अनुच्छेद 308 के उपबंध के अनुसार अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा व केन्द्रीय सेवा से जुड़े प्रावधान जम्मू-कश्मीर के लिए लागू नहीं है।
- अनुच्छेद 309 के उपबन्धों के अनुसार संसद व राज्य विधायिका को केन्द्र व राज्य सरकारों के अधीन लोक सेवाओं के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति की भर्ती व सेवा शर्तो के नियमन करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करती है।

भारत में सेवाएं

- अखिल भारतीय सेवाएं
- केन्द्रीय सेवाएं
- राज्य सेवाएं
- विशिष्ट सेवाएं

- संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हैं तो संसद विधि द्वारा, संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा (जिसके अन्तर्गत न्यायिक सेवा भी है) का सृजन करेगी।

भारत में निम्न प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं है-

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S)
2. भारतीय पुलिस सेवा (I.P.S)
3. भारतीय वन सेवा (I.F.S)

- अखिल भारतीय सेवाएं ब्रिटिश काल से चली आ रही है। स्वतंत्रता के समय केवल दो सेवाएं थी।
- अखिल भारतीय सेवाएं और उच्च केन्द्रीय सेवाओं के लिए भर्ती वर्तमान प्रणाली पर आधारित है।

1. **मैकाले समिति** - इस समिति का गठन 1854 में किया गया था जिसके आधार पर खुली प्रतियोगिता प्रणाली और शिक्षापरक परीक्षा प्रणाली को आधार माना गया।
2. **कोठारी समिति**- भर्ती नीति और चयन पद्धति पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1974 में किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट 1976 में दी तथा उसकी अधिकांश अनुशंसाओं को सरकार द्वारा 1979 में मान लिया।

जिसकी अनुशंसायें थी-

(i) आयु सीमा 21 से 26 वर्ष।

(ii) सामान्य और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए दो प्रयास।

3. सतीश चन्द्रा समिति - संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1988 में गठित जिसकी कुछ अनुशंसाओं को 1993 में लागू।

जिसकी अनुशंसायें थी-

(i) 200 अंकों के निबंध के प्रश्न पत्र शामिल।

(ii) साक्षात्कार परीक्षा के लिए 250 अंक से बढ़ाकर 300 अंक।

- भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा स्वतन्त्रता के पहले से थी जबकि 1966 में भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में शामिल किया गया था।

वर्ष 1985 में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के नाम से एक मंत्रालय का गठन किया गया जिसके तीन विभाग है -

(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

(ii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

(iii) पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग

- अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन और नियंत्रण कार्य केन्द्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा किया जाता है।

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा - कार्मिक मंत्रालय

(ii) भारतीय पुलिस सेवा - गृह मंत्रालय

(iii) भारतीय वन सेवा - पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा

2. केन्द्रीय सेवा-

- यह राष्ट्रीय स्तर की सेवा है जो भारतीय संघ के लिए है। संसद इस सेवा में नियुक्ति तथा सेवा शर्तो के लिए कानून बनाती हैं। कार्मिक मंत्रालय जो सरकार की प्रमुख कार्मिक एजेंसी है जो सभी केन्द्रीय सेवाओं के लिए नीतियों का निर्माण करती है।

3. राज्य सेवा-

- इस प्रकार की सेवा केवल राज्य के लिए होती है। जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। (अनुच्छेद 315)।

संघ लोक सेवा आयोग

(Union Public Service Commission)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 (I) संघ में एक लोक सेवा आयोग के अलावा प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 315 (II) के उपबंधों से दो या दो से अधि क राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय तथा प्रमुख भर्तीकर्ता एजेंसी है।

गठन-

अनुच्छेद 316 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते है।

(I) संविधान में सदस्यों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। यह राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है।

(II) आयोग के सदस्यों को आवश्यक है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष के कामों का अनुभव हो।

(III) संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तो को निर्धारित करने का अधिकार दिया है।

पदावधि-

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed to Excellence

- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की उम्र 62 वर्ष तक है।

वेतन और सेवा शर्तें-

- अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्तों और पेंशनों सहित सभी व्ययों की पूर्ति भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
- सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा होता है। किन्तु नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं हो सकता है।

पदच्युति-

- राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को निम्न विधि से उसके पद से हटा सकते है।

(I) वह दिवालिया घोषित हो गया हो।
(II) कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर हो।
(III) उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उसके कदाचार की जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय भेजता है उच्चतम न्यायालय यदि जाँच के आरोपों को सही मानता है तो राष्ट्रपति को सलाह देता है। संविधान के प्रावधान के अनुसार इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। जिस आधार पर राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है।

कार्य-

(I) संघ लोक सेवा आयोग भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केन्द्र शासित राज्यों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएँ आयोजित करता है।
(II) राष्ट्रपति की स्वीकृति या राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की एक अथवा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हैं।
(III) यह पूर्णत: सलाहकारी संस्था है और राष्ट्रपति को निम्न मुद्दों पर सलाह देती है।

(क) सिविल सेवा तथा उसके पदों पर भर्ती जैसे मामलों पर।
(ख) सिविल सेवा में नियुक्ति तथा पदों से स्थानान्तरण, पदोन्नति पर।
(ग) लोक सेवा के अधीन किसी व्यक्ति से संबंधित सभी प्रकार के अनुशासनिक मामले।
(घ) आयोग को भेजे गए कार्मिक प्रबंधन से जुड़ा अन्य कोई मुद्दा।
(ड.) संसद किसी स्थानीय प्राधिकरण, नियमित निकाय, सार्वजनिक संस्थान कार्मिक प्रणाली को भी संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में ला सकती है।
(च) अपने कार्यों से संबंधित रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।
(छ) संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को कार्यकारी, विनियामक और अर्ध-विधायी श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये कार्य संविधान, संसदीय अधिनियम, कार्यपालिका के नियम आदेश और परम्परा पर आधारित है।
(झ) संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है।

***नोट:**-संघ लोक सेवा के अध्यक्ष तथा सदस्य कार्यकाल की समाप्ति पर भारत सरकार के किसी राज्य में कोई पद नहीं ग्रहण कर सकते है। केवल सदस्यों को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है।*

राज्य लोक सेवा आयोग- संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उपबन्ध है।

गठन-

- राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा सदस्य होते है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- संविधान में आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। किन्तु संविधान द्वारा राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है।

अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल-

- आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते है।
- राज्यलोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को हो। राष्ट्रपति भी उन्ही आधारों पर हटा सकते है जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाते है।
- किन्तु सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के दौरान रिपोर्ट आने पर राज्यपाल, राष्ट्रपति के अंतिम बर्खास्तगी आदेश को लंबित कर सकता है।

कार्य-

- राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सेवाओं के लिए लोक सेवकों को नियुक्ति करता है।
- केन्द्रीय लोक सेवा के समान राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग हैं। अत: जो कार्य लोक सेवा आयोग केन्द्र में करता है वही राज्य लोक सेवा आयोग राज्यों में करता हैं (देखे-संघ लोक सेवा आयोग)
- राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधान मंडल के समक्ष रखवाता है।

निम्न विषय राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है-

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों से संबंधित मामले।
(ii) आयोगों और अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन कूटनीतिक प्रकृति के उच्च पदों के चयन।

- संविधान के उपबन्धों के अनुसार राज्यपाल राज्य सेवाओं व पदों से संबंधित नियमन बना सकता है जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। जिसे राज्यपाल को कम से कम 14 दिनों तक लिए राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखना होगा, जिसे विधानमण्डल संशोधित या खारिज कर सकता है।

वेतन-

- आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्चे राज्य की संचित निधि पर आधारित है।

पद समाप्ति के पश्चात्-

- राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति पर संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र हो सकता है।
- राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य या उस राज्य लोक सेवा आयोग या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद का पात्र है।
- अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् पुन: नहीं नियुक्त किया जा सकता है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग-

- संविधान के अनुच्छेद 315 (2) के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य यह करार कर सकेगें कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा तो इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल के सदन द्वारा या प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना करेगी।
- इस प्रकार संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। जो अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष तक की उम्र तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा।
- संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के विपरीत यह संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक संस्था है। जो राज्य विधान मण्डल के आग्रह पर संसद द्वारा किया जाता है।
- संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष राष्ट्रपति को किसी भी समय अपना त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते है।
- संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्यपालों को सौंपता है जो इसे अपने राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत करते है।
- स्वतंत्रता से पूर्व 1935 भारत सरकार अधिनियम के मुताबिक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा दो या दो से अधिक प्रान्तों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।

भारत में गठित वेतन आयोग

क्रम	नाम	गठन	रिपोर्ट	अध्यक्ष
1.	प्रथम	1946	1947	श्री निवास वर्दाचारियार
2.	दूसरे	1957	1959	जगन्नाथ दास
3.	तृतीय	1970	1973	रघुबीर दयाल
4.	चौथा	1983	1986	पी० एन० सिंघल
5.	पाँचवें	1994	1997	रत्नवेल पांडियन
6.	छठें	2006	2008	बी० एन० श्री कृष्णा
7.	सातवां	2014	2016	अशोक कुमार माथुर

भारत में प्रशिक्षण संस्थाएं

1. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी – 1972 – मसूरी (उत्तराचंल) (राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी)।
2. सरदार बल्लभ भाई पटेल – 1977 – हैदराबाद
3. इंद्रिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी – 1987 – देहरादून
4. भारतीय विदेश सेवा संस्थान – 1986 – नई दिल्ली
5. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान – 1954 – नई दिल्ली
6. भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान – 1950 – हैदराबाद
7. भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कालेज – 1957 – हैदराबाद
8. सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क प्रशिक्षण स्कूल – फरीदाबाद
9. भारतीय राजस्व सेवा (प्रत्यक्ष कर) प्रशिक्षण संस्थान – नागपुर
10. रेलवे स्टॉफ कॉलेज – बड़ोदरा

प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunal)

- भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 14 के अनुच्छेद 323 में एक नया खण्ड 323 A तथा 323 B जोड़ा गया जिसे प्रशासनिक अधिकरण कहा गया।
- इसकी स्थापना संसद द्वारा अनुच्छेद 323 A के आधार पर 1985 में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। प्रशासनिक अधिकरण अधि नियम, 1985 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान है।
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसकी 17 नियमित पीठ है।
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा न्यायिक सदस्यों और प्रशासनिक सदस्यों को नियुक्त किया जाता है जिसे सरकार उचित समझे।

अध्यक्ष की योग्यता-

- अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो
  1. किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।
  2. 2 वर्ष तक अधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर रहा हो।
  3. 2 वर्ष तक राज्य सरकार के सचिव पद पर रहे हो।
- केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक बहु-सदस्यीय संस्था है जिसके सदस्य न्यायिक व प्रशासनिक दोनों संस्थानों से लिए जाते है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते है।
- इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और 62 वर्ष जो भी पहले हो।
- संसद को विधि द्वारा संघ एवं राज्य सरकार के सेवकों की सेवा-शर्तों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गयी है।
- संघ या किसी राज्य या भारत राज्य के भीतर सरकार सेवाओं और पदों के लिए तथा उनकी सेवा शर्तो से संबंधित विवादों और परिवादों के न्याय-निर्णयन या विचारण के लिए संसद विधि द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना करेगी।
- दो या अधिक राज्यों के लिए एक अधिकरण की स्थापना की जा सकती है।

यह अधिनियम निम्न पर लागू नहीं होता है-

1. थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, या संघ के अन्य सशस्त्र बल।
2. उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी।
3. संसद के सचिवालय के कर्मचारी पर।

राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण-

1. प्रशासनिक अधिनियम 1985 के अनुसार केंद्र को राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित करने की शक्ति प्रदान करता है।
2. राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सलाह पर की जाती है।
3. संयुक्त राज्यों के प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपालों की सिफारिश पर होती है। यह प्रशासनिक अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है। यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) में निर्धारित प्रक्रिया मानने के लिए बाध्य नहीं है।

- इस अधिकरण की 17 नियमित पीठ है जिनमें से 15 पीठें उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ की तथा शेष 2 पीठें जयपुर और लखनऊ में है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com

संविधानेत्तर निकाय
Extra-Constitutional Body

अध्याय 17

नीति आयोग (Niti Aayog)

1 जनवरी, 2015 को मोदी सरकार द्वारा 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर एक नए निकाय के रूप में नीति आयोग का सृजन किया गया। सरकार ने यह कदम राज्य सरकारों, विशेषज्ञों तथा प्रासंगिक संस्थानों सहित सभी हित धारकों से गहन विचार विमर्श के बाद उठाया है।

नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रॉन्सफॉर्मिंग इण्डिया) का गठन एक गैर-संवैधानिक अथवा संविधानेत्तर निकाय के रूप में किया गया है। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल या 'थिंक टैंक' है, जो भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रारूप तैयार करते हुए केंद्र व राज्यों को तकनीकी सलाह भी देता है।

नीति आयोग का गठन

- भारत का प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
- गवर्निंग कांउसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शसित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे।
- **क्षेत्रीय परिषदें :** विशिष्ट मुद्दों एवं ऐसे आकस्मिक मामलें, जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, जिसको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाएगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनायी जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी तथा इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल शामिल होंगे। इन क्षेत्रीय परिषदों का सभापतित्व नीति आयोग के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जाता है।
- **विशिष्ट आमंत्रित :** संबंधित कार्यक्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे।
- पूर्णकालिक संगठनात्मक ढाँचे में (प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अलावा) निम्न के द्वारा गठित की जाएगी-
- **उपाध्यक्ष:** ◦ प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
  ◦ इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष
- **सदस्य:- (A)** पूर्णकालिक - राज्यमंत्री के पद के समकक्ष (5 सदस्य)
- **(B)** अंशकालिक - अग्रणीय विश्वविद्यालय शोध संस्थाओं और सम्बन्धित संस्थाओं से अधिकतम दो सदस्य
- **पदेन सदस्य:** केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे।
- **पूर्णकालिक:** राज्यमंत्री के पद के समकक्ष (5 सदस्य) होंगे।
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी-** भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

उद्देश्य

- सहकारी संघवाद की आवश्यकता को अम्लीय जामा पहनाने के लिए सतत् आधार पर राज्यों के साथ संचरित सहयोगी व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि सुदृढ़ राज्य ही मजबूत देश का निर्माण कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में राज्यों की सक्रिय सहभागिता से राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, नीतियों आदि के प्रति साझा दृष्टिकोण का विकास करना।
- इस संदर्भ में नीति आयोग का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्रियों के लिए राष्ट्रीय एजेंडा की रूप रेखा प्रदान करना होगा, जिससे राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान किया जा सके।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय नीति का निर्माण करने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करना।
- समाज के उन वर्गों का विशेष ध्यान रखना, जो कि आर्थिक प्रगति से समुचित रूप से लाभान्वित न हुए हों।
- रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियों एवं कार्यक्रमों की रूप रेखा तथा प्रारूप तैयार करना एवं उनकी प्रगति की जाँच करना। इसके अतिरिक्त जाँच एवं प्रतिपुष्टि (फीड बैक) से प्राप्त अनुभवों के आधार पर नवाचारी सुधार व परिवर्तनों के लिए तत्पर होना जिसमें 'मिड कोर्स करेक्शन' भी शामिल है।
- महत्वपूर्ण हितधारकों एवं समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विद्वानों के साथ ही शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी।
- यह सुनिश्चित करना कि जो क्षेत्र, विशेष रूप से सौंपे गए हैं, उनकी आर्थिक सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण पर फोकस करना।

राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council)

➢ राष्ट्रीय विकास परिषद भी संविधानेत्तर संस्था है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका निर्माण योजना आयोग में राज्यों

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed To Excellence

की भागीदारी के लिए किया गया था। जिस आधार पर सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही कानूनी।

गठन-

राष्ट्रीय विकास परिषद में निम्न सदस्य होते हैं:-

- इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है।
- भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघशासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते है।
- योजना आयोग के सदस्य तथा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी इसके सदस्य होते है।
- योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है।

कार्य-

राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना:-

- योजना आयोग की योजनाओं पर विचार करना।
- राष्ट्रीय आयोग की संस्तुति करना तथा उसके कार्यो की समीक्षा करना।
- साल में इसकी दो बार बैठक होती है।
- यह संसद के नीचे सबसे बड़ा निकाय है जो अपनी संस्तुतियों को केन्द्र एवं राज्य सरकारों को भेजती है। यद्यपि यह सलाहकारी निकाय है।
- वर्तमान में जनसंख्या, अनुसूचित जाति अत्याचार, रोजगार, शिक्षा साक्षरता एवं योजना विकेन्द्रीकरण की छः समितियाँ कार्यरत है।
- राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य-केन्द्र राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु का कार्य करता है।

नोट:- *केन्द्र राज्य संबंधों पर बनी सरकारिया आयोग 1987 की रिपोर्ट में राष्ट्रीय विकास परिषद को अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी।*

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

(Central Vigilence Commisson -CVC)

- केन्द्र सरकार के विभागों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने, उसकी जांच करने के उद्देश्य से 1964 में कार्यपालिका के एक संकल्प के द्वारा की गई।
- भ्रष्टाचार पर बनाई गई संथानम समिति (1962-64) की सिफारिश पर गठन हुआ था।
- मूल रूप में केन्द्रीय सतर्कता आयोग न तो वैधानिक और न ही संवैधानिक संस्था थी।
- राष्ट्रपति के अध्यादेश से सितम्बर 2003 में ससंद के पारित विधेयक द्वारा केन्द्रीय सर्तकता आयोग अधिनियम, 2003 में वैधानिक दर्जा दिया गया।

गठन-

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के अलावा दो अन्य सतर्कता सदस्य के रूप में होते है।
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा सदस्यों की नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृहमंत्री तथा लोक सभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इनकी सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपने पद पर रहते है।
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति उनके दुराचरण व अक्षमता के आधार पर भी उनके पद से हटा सकता है। किन्तु राष्ट्रपति के इन आरोपों की जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय को भेजना होगा।
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों के समान निर्धारित है।
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- इसकी प्रकृति न्यायिक है।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो राष्ट्रपति द्वारा रिपोर्ट को संसद में रखवाता है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed to Excellence

राजभाषा
Official Language

भारत में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में आमतौर पर स्वीकार किया जाता है किन्तु अधिकारिक रूप से इसे ऐसा कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 और 344 के अनुसार संघ की राजभाषा के संबंध में दिए गए उपबंध निम्न है।

1. संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।
2. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली अंको का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
3. अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार कार्यालय संबंधी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग संविधान आरंभ होने से 15 वर्षों की अवधि अर्थात 25 जनवरी 1965 तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति आदेश द्वारा संघ के राजकीय कार्यों में से अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी या देव नागरीलिपि का प्रयोग का अधिकार प्रदान कर सकते हैं।
4. अनुच्छेद 344 राजभाषा के लिए एक आयोग गठित करने का उपबंध करता है।

राजभाषा आयोग-

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के उपबंधों के आधार पर राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठित करने का अधिकार दिया हैं।
2. राष्ट्रपति राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष की समाप्ति पर तथा उसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति के उपरान्त राजभाषा आयोग का गठन करेगा।
3. राष्ट्रपति इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष तथा आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से मिलकर करेगा।
4. राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनयम का प्रयोग करते हुए 1955 में बी० जी० खेर की अध्यक्षता में सर्वप्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी।

राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति-

- अनुच्छेद 344 के खण्ड (4) के अनुसार एक संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा जिसमें 20 सदस्य लोकसभा तथा 10 सदस्य राज्य सभा से होगें।
- ये सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होगें।
- यह समिति राजभाषा आयोग की सिफारिशों को पुनरीक्षण करके राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देगी।
- स्थायी राजभाषा आयोग के गठन की सिफारिश संयुक्त संसदीय समिति ने की थी जिस आधार पर 1961 में स्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया था जिसे 1976 में समाप्त कर दिया गया।
- आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिन कार्यरत है।
- मूल संविधान में 14 भाषाओं को स्वीकार किया गया जो संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित है।
- 21वें सविधान संशोधन 1967 द्वारा आठवीं अनुसूची में सिन्धी भाषा को जोड़ा गया।
- 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा आठवीं अनुसूची में कोंकणी मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया।
- 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 4 नयी भाषा मैथिली, डोगरी, बोडों, संथाली को जोड़ा गया।
- वर्तमान में हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं है।

भारतीय भाषाएं		
1. असमिया	9. मणिपुरी	16. तमिल
2. बंगला	10. मराठी	17. तेलुगू
3. गुजराती	11. नेपाली	18. उर्दू
4. हिन्दी	12. उड़िया	19. डोगरी
5. कन्नड़	13. पंजाबी	20. बोडो
6. कश्मीरी	14. संस्कृत	21. मैथिली
7. कोंकणी	15. सिंधी	22. संथाली
8. मलयालम्		

शास्त्रीय भाषाएँ-

- साहित्य अकादमी द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने 2004 में शास्त्रीय भाषाएं नामक भाषा श्रेणी स्थापित करने का निर्णय लिया।
- जिसके आधार पर 2005 में शास्त्रीय भाषाएं नामक भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली प्रथम भाषा तमिल थी तथा दूसरी भाषा का दर्जा संस्कृत को दिया गया।

राज भाषा-

- अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को उस राज्य की शासकीय भाषा के रूप में प्रयोग कर सकता है।
- अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग किसी विशेष भाषा को उस प्रदेश के कार्यालय संबंधी कार्यों में प्रयोग करने की मांग कर सकता है। तो राष्ट्रपति इस मांग को शासकीय प्रयोजन के लिए मान्यता देने का उपबंध कर सकता है।
- नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एवं अरूणाचल प्रदेश की राज भाषा अंग्रेजी है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार यदि संसद विधि द्वारा निर्णय करले तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् भी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
committed to excellence

कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध
Special Provisions Relating to Certain Classes

अध्याय 19

प्रजातांत्रिक समानता के आदर्श तभी साकार हो सकते है जबकि देश के समस्त वर्गों को एक स्तर तक लाया जाय। इसलिए हमारे संविधान में पिछड़े वर्गों को देश के अन्य वर्गों के स्तर पर लाने के लिए कुछ अस्थायी प्रावधान है।

- संवैधानिक अनुच्छेद 46 राज्य को जनता के दुर्बलतम और विशेष अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करने तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करने का निर्देश देता है।
- भाग-3 में मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अनेक उपबंध है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है जो भारतीयों के लिए महान कलंक था।
- अनुच्छेद 164 उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में आदिम अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष मंत्री की उपबंध करता है।
- अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, ऐंग्लों-इंडियन्स और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध है।
- संविधान के भाग 16 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कोई परिभाषा नहीं दी गयी है।
- अनुच्छेद 341 तथा अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेश की जाति व जनजाति को अनुसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है।
- संसद विधि द्वारा खण्ड (1) के अधीन निकाली अधिसूचना में किसी जनजाति समुदायों को सम्मिलित कर सकती है या निकाल सकती है। इसके लिए राज्यों राष्ट्रपति तथा राज्यपालों से सलाह लेकर सूचना जारी करता है।

अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए प्रावधान-

1. लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में स्थानों का आरक्षण- अनुच्छेद 330 और 332 के अधीन अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के सदस्यों के लिए लोक सभा तथा राज्य विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण किया गया है वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से 79 अनुसूचित जाति तथा 42 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है।

- 42वें संविधान संशोधन (1976) से यह स्पष्ट किया गया कि जनसंख्या से तात्पर्य 1971 में आधारित जनसंख्या है वह सन् 2000 तक बनी रहेगी। अर्थात लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों का आरक्षण सन् 2000 तक किया जाय।
- 84वें संविधान संशोधन अधिनियम सन् 2000 द्वारा अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन किया गया कि संख्या सन् 2000 के स्थान पर सन् 2026 तथा जनसंख्या आधार सन् 1971 के स्थान पर सन् 1991 अत: स्थापित की गई है।
- यह आरक्षण संविधान लागू होने की तारीख से 10 वर्ष के लिए किया गया था जिसे समय पर बढ़ाया गया है।
- संविधान के 87वें संशोधन, सन् 2003 द्वारा अनुच्छेद 330 में संशोधन कर जनसंख्या का आधार 1991 के स्थान पर सन् 2001 होगी।

नोट:- लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों व आंग्ल भारतीय (Anglo &- Indian) प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष तक बढ़ा दी गई। इसके लिए अनुच्छेद 334 उपबन्धों के आधार पर 109वाँ संविधान संशोधन अधिनियम अगस्त 2009 में संसद में लोक सभा ने पारित किया जिस आधार पर आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया हैं और विधेयक के अधिनियम होने पर संविधान के अनुच्छेद 334 में 60 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष दर्ज किया गया।

2. अनुसूचित जाति जनजाति आयोग-

- 1978 में एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गयी। संविधान के 65 वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके इस आयोग के गठन के सबंध में प्रावधान किया।
- इस मूल प्रावधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करते है।

कार्यकाल-

- आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य होगें। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगें और उनकी सेवा-शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा तय किया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग-

- 89वें संविधान संशोधन अधिनियम सन् 2003 के द्वारा अनुच्छेद 338 के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' का गठन किया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-

- 89वें संविधान संशोधन अधिनियम सन् 2003 के द्वारा अनुच्छेद 338 (क) को अन्त: स्थापित करते हुए 5 सदस्यीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

आयोग के कार्य-

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए संवैधानिक सुरक्षा कवच के तहत कार्यों का मूल्यांकन और सभी मामलों की जांच करना।
- अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों को मिले अधिकारों से संबंधित शिकायतों की जांच करना।
- विशिष्ट मामलों के तहत राष्ट्रपति द्वारा सुरक्षा कल्याण एवं विकास के कार्यो को करना।
- संविधान की पांचवी व छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार करना।

पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान-

- संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि कौन से व्यक्ति पिछड़े वर्ग में शामिल है।
- किन्तु अनुच्छेद 340 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है।
- इस प्रकार के आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण भी करता है।

स्वतंत्रता से लेकर अब तक दो पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है-

1. काका कालेकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को गठित हुई थी। जिसकी सिफारिशों को अमान्य कर दिया गया है।
2. वी० पी० मण्डल की अध्यक्षता में 20 सितंबर 1978 को गठित किया गया जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया है।

पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम-

- पिछड़ें वर्गो के कल्याण के लिए संसदीय अधिनियम द्वारा अगस्त, 1993 में न्यायमूर्ति आर० एन० प्रसाद की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई।
- आरक्षण की सीमा के सम्बंध में 'इंन्द्रा साहनी' बनाम भारतीय संघ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पिछडे वर्गो के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों में आरक्षण का प्रतिशत भिन्न-भिन्न है।
- अनुसूचित जाति के निर्धारण का आधार जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्धारण का आधार क्षेत्र व जाति रहा है।
- 1931 ई० की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अन्य जातियों से अलग स्वीकार की गयी है।

आयोग के कार्य-

1. सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं तथा उनकी कठिनाईयों की जांच करना।
2. सम्पूर्ण भारत के लिए पिछड़े समुदायों की सूची तैयार करना।
3. सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को सुधारने अनुदान दिये जाने की व्यवस्था करना।

दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग (वी० पी० मण्डल आयोग) की सिफारिशों में से पिछड़े वर्गों हेतु सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की सिफारिश को सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के अधीन नौकरियों में 1994 से कार्यान्वित कर दिया गया है।

आंग्ल-भारतीय समुदाय-

- संविधान के अनुच्छेद 331 तथा 333 में क्रमशः लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।
- राष्ट्रपति संसद में आंग्ल-भारतीय समुदाय के अधिकतम दो सदस्यों को अनुच्छेद 331 तथा राज्यपाल इस समुदाय के अधिकतम एक सदस्य अनुच्छेद 333 के आधार पर मनोनीत कर सकता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग-

1. भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 29 तथा अनुच्छेद 30 में अल्प संख्यक वर्गो के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
2. अनुच्छेद 350 के उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए बाध्य है।
3. संसद ने संविधान और संघ और राज्य विधियों में उपबंधित रक्षोपायों के कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के आधार पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया।

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके संसद ने लोक सभा एवं विधान सभा चुनावों में उम्मीदवारों की जमानत राशि वर्ष 2010 में वृद्धि कर दी है।

1. लोक सभा चुनाव में उम्मीदवारों को 25 हजार रूपये जमानत राशि तथा फरवरी 2011 में बड़े राज्यों में चुनाव खर्च राशि 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 40 लाख रूपये कर दी है।
2. राज्य विधान सभा चुनाव में जमानत राशि 10 हजार रूपये तथा फरवरी 2011 में चुनाव खर्च की सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रखी है जिस आधार पर बड़े राज्यों के लिए यह राशि 16 लाख रूपए है।

□□□

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

स्थानीय प्रशासन
Local Governance

सिद्धांत रूप में स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य है– स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित करना। जिससे स्थानीय स्तर पर भगीदारी होगी तथा अधिकाधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में हिस्सा लें सकेंगे। इसलिए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को लोकतंत्र की आधार शिला कहा जाता है। जो पंचायती राज या नगर पालिका संस्था कहलाती है।

➢ भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243(O) तक पंचायत के बारे में उपबन्ध है।
➢ 73 वें भारतीय संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है तथा 11वीं अनुसूची में रखा गया।
➢ भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का उदघाटन प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले में उद्घाटन किया था।
➢ इसके बाद अक्टूबर 1959 में ही आंध्रप्रदेश में पंचायती राज प्रणाली अपनायी गई।
➢ भारतीय संघीय प्रणाली में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बँटवारे की योजना के अंतर्गत 'स्थानीय शासन' का विषय राज्यों को दिया गया है।
➢ संविधान की सांतवी अनुसूची में वर्णित राज्य सूची में पाँचवीं प्रविष्टि 'स्थानीय शासन' से संबंधित है।

नोट– *ऋग्वेद तथा चोल प्रशासन में भी स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है।*

भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्न समितियों का गठन किया गया –

1. बलवंतराय मेहता समिति – 1957
2. अशोक मेहता समिति – 1977
3. जी॰ वी॰ के॰ राव समिति – 1985
4. एल॰ एम॰ सिंघवीं रिपोर्ट – 1986
5. पी॰ के॰ थुंगन समिति – 1988

1. बलवंत राय मेहता समिति (Balwant Rai Mehta Committee)

➢ सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) की कार्यप्रणाली की जाँच करने और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया।
➢ नवम्बर 1957 में प्रस्तुत रिपोर्ट में 'जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण' योजना स्थापित करने की सलाह दी।
➢ ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की त्रिस्तरीय पद्धति की सिफारिश की।

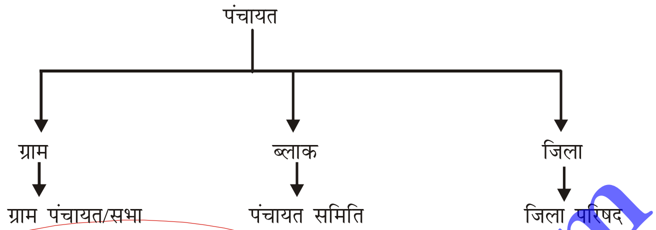

➢ ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए।
➢ सभी विकास और योजनाओं के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए।
➢ पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकारी, पर्यवेक्षण और समन्वयकारी निकाय होना चाहिए।
➢ जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होगा।
➢ इन जनतांत्रिक निकायों में शक्ति व उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानान्तरण होना चाहिए।

2. अशोक मेहता (Ashok Mehta Committee) :-

➢ जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई ।
➢ अगस्त 1978 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में 132 सिफारिशें की थी।
➢ महत्वपूर्ण सिफारिशें में मुख्य रूप से पंचायती राज का स्तर दो स्तरीय प्रणाली का निर्माण किया।

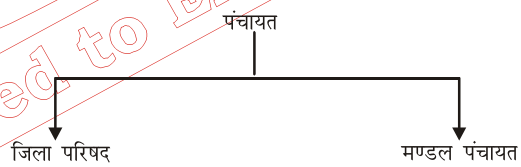

➢ पंचायती राज के चुनाव दल गत आधार हों। इस दशा में मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम दलगत पर आधारित चुनाव करायें।

3. जी॰ वी॰ के राव समिति (G.V.K. Rao Committee) –

➢ ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंध'' विषय पर 1985 में समिति का गठन किया गया।

4. एल॰ एम॰ सिंघवीं की रिपोर्ट (L.M. Singhvi Committee)–

➢ इस समिति का गठन – 16 जून 1886 में किया गया।

5. पी॰ के॰ थुंगन समिति (G.V.K. Rao Committee)–

➢ समिति का गठन 1988 में किया गया था। जिसने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश की थी।

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992–

➢ पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व के काल में 73वाँ संशाधन अधिनियम 1992 पारित किया गया जो 24 अप्रैल 1993 को अधि नियमित और पारित हो गया।

Downloaded From www.studymasterofficial.com Committed to Excellence

- इस अधिनियम को भाग 14 में जोड़ दिया गया जिसका शीर्षक पंचायत रखा गया। इसमें पंचायत के कार्य हेतु 29 विषय है।
- संविधान के राज्य की नीति-निर्देशक तत्व के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में उल्लेख है कि ''ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए राज्य कदम उठायेगा। और ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों''।

ग्राम सभा-

- पंचायती राज प्रणाली के तहत आधार रूप में ग्राम सभा का प्रावधान है।

पंचायतें-

पंचायते तीन स्तर पर गठित होगी-

1. ग्राम स्तर
2. ब्लाक स्तर
3. जिला स्तर

- इस अधिनियम द्वारा देश भर में संरचना की एक रूपता के रूप में होगी तथा जिन राज्यों के केन्द्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां पंचायतें ग्राम स्तर पर गठित की जायेंगी।

अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव-

- सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगें।
- मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर अर्थात पंचायत सदस्यों द्वारा होगा।
- ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो यह निर्णय उस राज्य के विधान मंडल द्वारा विधि से किया जायेगा।
- सांसद या विधान सभा सदस्य मध्य या उच्च स्तर के सदस्य हों यह राज्य विधान मण्डल पर आधारित हैं।

स्थानों का आरक्षण-

- सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में तथा इनमें से 1/3 आरक्षण इन वर्गों की महिलाओं का होगा।
- तीनों स्तर पर कुल सदस्यों व अध्यक्षों में से 1/3 पद महिलाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम में आवंटित होगें।

कार्यकाल-

- पंचायतों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक से पाँच वर्ष तक होगा। इसे समयपूर्व भी भंग किया जा सकता है उस स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव आवश्यक है। जो शेष अवधि के लिए कार्य करेगी।

सदस्यों की योग्यता-

- उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम न हों।

राज्य चुनाव आयोग-

- पंचायतों के चुनाव से संबंधित समस्त अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। इसकी सेवा शर्ते और पदावधि भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी प्रकार हटाया जायेगा। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

वित्त आयोग-

- राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा।

1. राज्य द्वारा प्रभावित करों, शुल्कों और पथकरों से प्राप्त शुद्ध राशि को राज्य और पंचायतों के बीच वितरण से संबंधित हों।
2. पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों और पथकरों के निर्धारण से संबंधित हों।
3. राज्य की समेकित निधि से पंचायतों की दी जाने वाली सहायता अनुदान से संबंधित हों।
4. ऐसा कोई अन्य विषय जिसे राज्यपाल ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आयोग के सुपुर्द किया हों।

- राज्यपाल आयोग की सिफारिशों को तथा उन पर कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

राज्य का विधान मंडल निम्न अधिकार रखता है-

1. पंचायत को करों, पथकरों और शुल्कों को लगाने, संग्रहित करने और उसे विनियोजित करने का अधिकार देता है।
2. राज्य सरकार द्वारा प्रभारित और संग्रहित करों शुल्कों और पथकरों को पंचायतों को सौंपा जा सकता है।
3. राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान का प्रावधान।
4. पंचायतों के लिए भिन्न-भिन्न स्तर पर निधि कोष का गठन करेगा।

- राज्य विधान मण्डल पंचायतों के लेखा खातों के रख-रखाव और उनकी परीक्षा से संबंधित व्यवस्था कर सकता है।
- ग्यारहवीं अनुसूची के अन्तर्गत पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 मदें हैं।

क्रम	अनुच्छेद	उपबंध
1.	243	परिभाषाएँ
2.	243 A	ग्राम सभा
3.	243 B	पंचायतों का संविधान
4.	243 C	पंचायतों का गठन
5.	243 D	स्थानों का आरक्षण
6.	243 E	पंचायतों का कार्यकाल
7.	243 F	सदस्यता के लिए अयोग्यताएं
8.	243 G	पंचायतों की शक्तियाँ, और उत्तरदायित्व
9.	243 H	कर लगाने की शक्तियाँ और पंचायत निधि
10.	243 I	वित्त आयोग
11.	243 J	पंचायतों का लेखा परीक्षण
12.	243 K	पंचायतों के लिए चुनाव
13.	243 L	संघशासित प्रदेशों में लागू होना
14.	243 M	कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में इस भाग का लागू नहीं होना।
15.	243 N	उपस्थिति विधियों और पंचायतों का बना रहना
16.	243 O	निर्वाचन मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध।

क्रम सं०	स्तर	त्रिस्तरीय पंचायती राज्य सरंचना	मुख्य अधिकारी	निर्वाचन
1.	ग्राम स्तर	ग्राम पंचायत	प्रधान/सरंपच/मुखिया	प्रत्यक्ष
2.	ब्लाक स्तर	क्षेत्र पंचायत	प्रमुख	अप्रत्यक्ष
3.	जिला स्तर	जिला पंचायत	अध्यक्ष	अप्रत्यक्ष

क्रम सं०	स्तर	विभिन्न राज्यों में पंचायती संस्थायें
1.	एक स्तरीय	केरल, जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम
2.	द्विस्तरीय	असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा
3.	त्रिस्तरीय	उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा
4.	चार स्तरीय	पश्चिम बंगाल
5.	जनजातीय परिषद	मेघालय, नागालैण्ड, मिजोरम

Downloaded From www.studymasterofficial.com Committed to Excellence

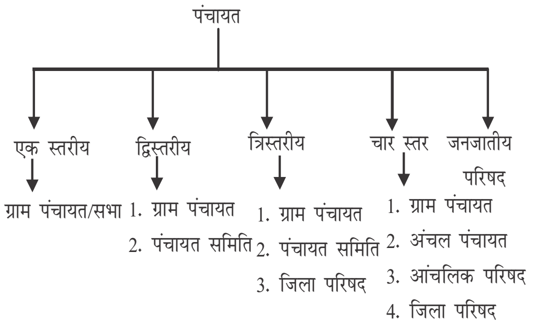

नगरपालिकाएं (Muncipalities)

- भारत में कानूनी रूप से 1687 में मद्रास शहर के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नगर निगम संस्था की स्थापना की गयी।
- सन् 1726 के चार्टर अधिनियम द्वारा मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गयी।
- सन 1882 में वायसराय लार्ड रिपन ने नगरीय शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया जिनके प्रस्ताव को स्थानीय शासन का मैग्नाकार्टा कहा गया जिन्हे भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में पहचाना गया।
- नगरीय विकेन्द्रीकरण पर रिपोर्ट के लिए 1909 में शाही विकेन्द्रीकरण आयोग का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट को आधार मानकर भारत शासन अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया।
- अगस्त 1989 में, राजीव गाँधी सरकार ने लोकसभा में 65वाँ संविधान संशोधन विधेयक पेश किया किन्तु यह विधेयक पारित नहीं हो सका।
- सितंबर 1992 में पी० वी० नरसिंह राव सरकार द्वारा लोक सभा में विधेयक पेश किया गया जो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कर लिया गया।
- जून 1993 से 74वाँ संविधान संशोधन विधेयक को संविधान के भाग 9-क में तथा 12वीं अनुसूची के साथ जोड़कर प्रावधान किऐ गये।
- 74वाँ संविधान संशोधन द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया जो संपूर्ण देश में विद्यमान है इसमें दो निकाय हैं।
  1. स्वायत्त शासन की संस्थाएं (अनुच्छेद 243 (थ))
  2. योजना संस्थाएं (अनुच्छेद 243 (य) और 243 य. ड.)

इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक राज्य में निम्न तीन प्रकार की नगरपालिकाओं की संरचना प्रदान करता है।

1. **नगर पंचायत** - ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है।
2. **नगर परिषद** - छोटे नगर क्षेत्रों के लिए।
3. **नगर निगम** - बड़े नगर क्षेत्र के लिए।

शहरी शासन के प्रकार-

सातवी अनुसूची की राज्य सूची में शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस संबंध में कानून केवल राज्य द्वारा ही बनाया जा सकता है। इस आधार पर शहरी शासन के निम्न प्रकार है।

1. महानगर पालिका-

राज्यों के बड़े शहरों में राज्य विधान मंडल के कानून द्वारा तथा केन्द्रशासित प्रदेश में भारत की संसद के एक्ट द्वारा तथा केन्द्रशासित प्रदेश में भारत की संसद के एक्ट से गठन होगा।

इसके तीन भाग है जिनमें परिषद् का प्रधान मेयर, स्थायी समिति और आयुक्त होते हैं। जिसमें आयुक्त का पद राज्य सरकार द्वारा नियुक्त I.A.S समूह के अधिकारी द्वारा भरा जाता है।

2. नगर पालिका-

कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए गठित की जाती है। अलग-अलग राज्यों में यह अलग नाम जैसे-नगर पालिका परिषद नगर पालिका समिति, उपनगरीय नगरपालिका, शहरी नगरपालिका नगरपालिका बोर्ड आदि है।

3. सूचीबद्ध क्षेत्र (Notified Area)-

इस प्रकार की समिति का गठन दो प्रकार के क्षेत्र के लिए होता जिसमें -

1. औद्योगिकरण के कारण विकासशील कस्बा जो राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता हों।
2. वह कस्बा जिसने अभी तक नगरपालिका के गठन की आवश्यक शर्ते पूरी न की हों।

इस समिति की शक्तियाँ नगर पालिका शक्तियों के समान है। यह न तों निर्वाचित इकाई और न ही कानूनी इकाई बल्कि नामित इकाई है।

4. नगर क्षेत्र समिति- इसका गठन राज्य विधान मंडल के कानून द्वारा छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए किया जाता है। यह एक उपनगरपालिक आधिकारिक इकाई है।

5. छावनी परिषद-

- इसे 1924 के छावनी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित किया गया है। जो केन्द्र सरकार द्वारा बनाया एक कानून है और केन्द्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- वर्तमान में देश भर में 62 छावनी परिषदें हैं इन्हें 4 भागों में नागरिक जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है।

6. पोर्ट ट्रस्ट-

इस प्रकार के संघ की स्थापना मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए की गई -

1. बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था।
2. नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है।

यह संसद के एक एक्ट के गठन द्वारा किया जाता है।

7. विशेष उद्देश्य के लिए गठित अभिकरण-

राज्यों ने विशेष कार्यों के नियंत्रण हेतु अभिकरणों का गठन किया गया जो कार्यक्रम पर आधारित था। जो एक उद्देशीय या विशेष उद्देशीय इकाई के रूप में कार्य करती है।

जैसे:-नगरीय, शहरी, सुधार, शक्ति, विद्युत आपूर्ति बोर्ड ये स्वायत्त इकाई के रूप में स्थानीय शहरी शासन सौपें गये कार्यों को करती है।

गठन-

- नगर पालिकाओं के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते है।
- राज्य विधान मंडल अपनी विधि द्वारा निम्न व्यक्तियों क प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान कर सकता है।

1. नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति
2. लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य
3. संविधान के अनुच्छेद 243-ध के अन्तर्गत गठित वार्ड समितियों के अध्यक्ष / अध्यक्षों का निर्वाचन विधान मंडल द्वारा निर्मित उपबन्ध

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

द्वारा होगा।

- 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले दो या अधिक वार्डो के लिए वार्ड समितियाँ बनाना आवश्यक है।

कार्यकाल-

नगरीय संस्थाओं की अवधि पाँच वर्ष होगी किन्तु इन संस्थाओं का विघटन 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है। यदि विघटन की अवधि 6 मास से ज्यादा है।

योग्यता-

संविधान के अनुच्छेद 243 -फ के अनुसार राज्यों के विधान मंडल के सदस्यों के लिए निर्धारित योग्यताएं ही नगरपालिका के सदस्यों के लिए निर्धारित योग्यताएं ही नगरपालिका के सदस्यों के निर्धारित की गई है।

किन्तु आयु सीमा की अर्हता नगरपालिका के लिए 21 वर्ष है।

आरक्षण-

नगरपालिका क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में इन वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

- अधिनियम में किसी नगरपालिका क्षेत्र में कुल सीटों की संख्या से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए कुल स्थानों का 30% स्थान आरक्षित होगा।
- नगरपालिकाओं के सभी चुनावों का आयोजन तथा मतदाता सूचियों की तैयारी के कार्य की निगरानी तथा नियंत्रण रखने का अधिकार राज्य को है।
- नगरपालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व का निर्धारण राज्य विधानमंडल कानून बनाकर कर सकती है। इसके अतिरिक्त संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषय शामिल है, के सम्बंध में कानून बनाकर कार्य करेगी।
- संविधान के अनुच्छेद 243म में नगरपालिकाओं के लिए वित्त आयोग के गठन का उपबन्ध है। जिसका गठन प्रत्येक पाँच वर्ष के अन्तराल पर होगा। वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा तथा राज्यपाल से सिफारिश करेगा।

ये निम्न सिद्धान्त हैं-

1. राज्य द्वारा प्रभावित कर, शुल्क, पथकर से प्राप्त शुद्ध राशि को राज्य और नगरपालिकाओं के बीच विभाजित करने पर लागू।
2. नगर पालिकाओं को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों और पथकरों का निर्धारण ।
3. राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान।
4. राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को प्रेषित अन्य कोई विषय।

- राज्यपाल; आयोग की सिफारिशों को अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल में रखवायेगा।
- राज्य विधान मंडल नगरपालिकाओं के लेखा खातों के रख रखाव और लेखा परीक्षा का प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम के प्रावधान जम्मू-कश्मीर, नागालैण्ड, मेघालय और मिजोरम राज्य में कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होगें।

ऐसे क्षेत्र-

(1) अनुच्छेद 244 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र।
(2) पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा हिल कांउसिल का कार्य क्षेत्र।

महानगर योजना-

वह क्षेत्र जिसकी आबादी 10 लाख या इससे अधिक हों जो क्षेत्र एक या अधिक जिलों में पड़ता हों और जिसमें दो या दो से अधिक नगर पालिका या पंचायतें हों।

अनुच्छेद	नगरीय शासन से संवैधानिक उपबंध/भाग - 9 (क)
243 P	परिभाषा
243 Q	नगर पालिकाओं का गठन
243 R	नगर पालिकाओं की संरचना
243 S	वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना
243 T	स्थानों का आरक्षण
243 U	नगर पालिकाओं की अवधि
243 V	सदस्यता के लिए निर्अहर्ताएं
243 W	नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ प्राधिकार और उत्तरदायित्व
243 X	नगरपालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और निधियाँ
243 Y	वित्त आयोग
243 Z	नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरिक्षा
243 ZA	नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन
243 ZB	संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना
243 ZC	कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू न होने वाले भाग
243 ZF	मौजूदा कानूनों एवं पंचायतों की निरंतरता
243 ZG	निर्वाचन सम्बंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन
243 ZD	जिला योजना के लिए समिति

Downloaded From www.studymasterofficial.com

संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन
Union Territary's Administration

अध्याय 21

भारतीय संविधान के भाग आठ में अनुच्छेद 239 से 241 में संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध है।

- सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं और वह केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन के सहभागी है तथा केन्द्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जो केन्द्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है। इन प्रदेशों के प्रशासन को चलाने का दायित्व राष्ट्रपति को सौंपा गया है जो संसद द्वारा निर्मित नियमों पर आधारित होता है।

वर्तमान समय में 9 केन्द्रशासित प्रदेश है-

1. अंडमान निकोबार - 1956
2. दिल्ली - 1956, 1992 से ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली''
3. लक्षद्वीप - 1956
4. दादर एवं नागर हवेली - 1961
5. दमन व दीव - 1962
6. चंडीगढ़ - 1966
7. पुदुचेरी - फ्रांसीसियों से लिया गया क्षेत्र
8. जम्मू-कश्मीर - 2019
9. लद्दाख - 2019

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019- अनुच्छेद 370 को रद्द करने का प्रस्ताव अगस्त, 2019 में भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था साथ ही एक पुनर्गठन अधिनियम भी पारित किया गया था। यह जम्मू कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में परिवर्तित करता है जो 31 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी हो गया।

सभी केंद्रशासित प्रदेश एक ही प्रकार के है लेकिन उनकी प्रशासनिक पद्धति में समानता नहीं है। इन प्रदेशों का संचालन राष्ट्रपति एक प्रशासक के माध्यम से संचालित करता है।

- राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य से सटे केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है।
- संसद केंद्रशासित प्रदेशों के लिए तीनों सूची के विषयों पर कानून बना सकता है।
- पांडिचेरी (1963) और दिल्ली (1992) में विधान सभा का गठन हुआ है जो राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है।
- संघशासित प्रदेशों में राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति है यदि विधान सभा पांडिचेरी और दिल्ली में विघटित हो गई है तो वहाँ राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार है।

दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान

संविधान के 69वें संशोधन 1991 द्वारा अनुच्छेद 239 (क) तथा 239 (क ख) 1 फरवरी, 1992 से प्रवृत्त हुए। इन उपबंधों के आधार पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 का अधिनियम किया गया। जिस पर दिल्ली संघ शासित प्रदेश में 1993 से विधान सभा एवं मंत्रिपरिषद है।

- दिल्ली में विधान सभा की सदस्य संख्या 70 है जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते है। दिल्ली सरकार को राज्य सूची व समवर्ती सूची के तीन विषयों को छोड़कर (जन आदेश या लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि) नियम बनाने का अधिकार है। परन्तु संसद द्वारा बनाई गई विधि विधानसभा द्वारा बनायी गयी विधि से अधिक प्रभावशाली होगी।
- राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
- संवैधानिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस क्षेत्र में अपना शासन लागू कर सकता है। जो अनुच्छेद 356 के समान है।

केन्द्रशासित प्रदेश	प्रशासन करने वाले अधिकारियों के नाम
1. दिल्ली	लेफ्टिनेंट गर्वनर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद
2. पांडिचेरी	लेफ्टिनेंट मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद
3. चंडीगढ़	मुख्य आयुक्त
4. दादर व नागर हवेली	प्रशासक
5. दमन व दीव	प्रशासक
6. लक्षद्वीप	प्रशासक
7. अंडमान व निकोबार द्वीप	लेफ्टिनेंट गर्वनर
8. जम्मू कश्मीर	उपराज्यपाल (31 अक्टूबर, 2019 से नये UTs के रूप में अस्तित्व में आया।)
9. लद्दाख	उपराज्यपाल

संघ राज्य क्षेत्रों का उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय	संघ राज्य क्षेत्र
पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय	चण्डीगढ़
केरल उच्च न्यायालय	लक्षद्वीप
कलकत्ता उच्च न्यायालय	अंडमान तथा निकोबर द्वीप समूह
मद्रास उच्च न्यायालय	पांडिचेरी
बम्बई उच्च न्यायालय	दमन और दीव तथा दादरा नागर हवेली

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय-

- संविधान के अनुच्छेद 241 के उपबंधों के अनुसार, संसद कानून द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। या किसी संघ राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अधीन रख सकती है।
- संसद ने 1966 में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की है। इस प्रकार का ऐसा एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed to Excellence

अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
Administration of the Scheduled and Tribal Area

अध्याय 22

भारतीय संविधान की पांचवी तथा छठवीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार के क्षेत्र राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में से किसी में स्थित हो सकते है।

➢ संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्रों में जिन्हे अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के बारे में उपबंध है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार संविधान द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। ये क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में स्थित है।

संविधान की पांचवी अनुसूची में किये गये प्रावधान-

1. असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के उन क्षेत्रों, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र होना घोषित किया गया है, के प्रशासन के सम्बंध में प्रावधान किया गया है।
2. अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा :- राष्ट्रपति को संसद ने विधि बनाकर यह अधिकार दिया है कि उन्हें किसी अनुसूचित क्षेत्रफल को बढ़ाने घटाने, सीमाओं को रद्द करने तथा बदलने का अधिकार है।
3. जनजतीय सलाहकारी परिषद का गठन।
4. राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधान मंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन के साथ या उसी स्थिति में लागू करें।

➢ संविधान के उपबधों के अनुसार राष्ट्रपति राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एक आयोग का गठन कर सकता है।

➢ प्रथम आयोग का गठन-1960 में यू०एन०धीवर की अध्यक्षता में।

➢ द्वितीय आयोग का गठन-2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में।

जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन-

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 244 (2) के अंतर्गत, असम मेघालय, त्रिपुरा एंव मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के सम्बंध में व्यवस्था की गई हैं और उसे संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है।

➢ राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा इन राज्यों में 9 क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है।

➢ छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी प्रदेश का गठन किया गया।

➢ राज्यपाल जनजातीय क्षेत्रों को स्थापित; बढ़ा या घटा सकता है। जनजातीय क्षेत्रों के नाम तथा सीमाएं निर्धारित कर सकता हैं।

➢ संसद या राज्य विधान मंडल का अधिनियम स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेशों में लागू नहीं हो सकता यदि ऐसा होता है तो कुछ फेर बदल के साथ होगा।

➢ जनजातीय क्षेत्रों के लिए जिला परिषद तथा प्रादेशिक परिषद को कुछ विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विधि बनाने की शक्ति होगी, जो एक पृथक निकाय होगा। जैसे- आरक्षित वन का प्रबन्ध, सम्पत्ति का उत्तराधिकार, सामाजिक रीति रिवाज आदि।

➢ राज्यपाल परिषदों की जांच के लिए आयोग का गठन करेगा। जिसकी सिफारिश पर इन परिषदों को भंग किया जा सकता हैं ।

□□□

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

आपात उपबंध

Emergency Provisions

अध्याय
23

भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया।

भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक राज्य में तीन प्रकार के आपात का उपबंध करता हैं। भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है कि संकट काल के दौरान यह संघात्मक से एकात्मक रूप में आ जाता है। संघीय संविधान में यह शक्ति राष्ट्रपति मे निहित है। जिसके उपयोग में केन्द्रीय मंत्रीमंडल सहायता करते हैं। भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन उपबन्ध है।

1. राष्ट्रीय आपात–

अनुच्छेद 352 के उपबंधों के अन्तर्गत राष्ट्रपति निम्न आधारों में युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से किसी भी आधार पर मंत्रिमण्डल की सलाह से राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है।

44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से मूल संविधान में वर्णित आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है।

2. अनुच्छेद 356–राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में (आपात कालीन उपबंध)।
3. अनुच्छेद 360–वित्तीय आपात के बारे में उपबंध

- 1976 के 42वें संविधान संशोधन कानून ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार दिया है।
- राष्ट्रीय आपात की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से हो सकती है न कि प्रधानमंत्री की सलाह द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
- आपात उद्घोषणा के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन उस समय आहूत किया जाता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना यदि सत्र चल रहा हो तो लोक सभा अध्यक्ष को यदि सत्रावसान हो तो राष्ट्रपति को दी जाती है, तो दोनों में से कोई सूचना प्राप्ति के 14 दिन के अन्दर लोक सभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं।
- राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा खतरे की आशंका मात्र से भी लगाया जा सकता है।
- *उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है।*
- 44वें संविधान संशोधन, 1978 के द्वारा संसद के अनुमोदन पर 6 मास के लिए प्रर्वतन में रहेगी। इस अवधि को बढ़ाने के लिए ससंद का अनुमोदन आवश्यक है।
- 1978 में 44वें संशोधन से पूर्व यह आपातकाल की उद्घोषणा अनिनिश्चत काल के लिए प्रर्वतन में रह सकती थी।
- आपात उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना 2 माह से अधिक समय के लिए प्रवर्तन में नहीं रह सकती है।
- आपात की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा पुन: उद्घोषणा करके किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। इसके लिए संसद से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
- यदि लोक सभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए प्रस्तावित करती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य है।
- यदि लोक सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य आपात उद्घोषणा को वापस लेने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने के अपने आशय की सूचना देते हैं तो ऐसी सूचना प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर लोकसभा की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।
- *मिनर्वा मिल्स 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।*

आपात उद्घोषणा के प्रभाव–

1. राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केन्द्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन कार्य करती है।
2. संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।

नोट:– *अनुच्छेद 250–यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद को शक्ति।*

- आपात उद्घोषणा के दौरान राज्य विधान मंडल की कानून बनाने की शक्ति केवल निलंबित हो जाती है। राज्य विधान मण्डल अनुच्छेद 353 से राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। किन्तु संसद द्वारा पारित विधियों के अधीन होते है।

3. आपात उद्घोषणा प्रवर्तन की अवधि में अनुच्छेद 268 से 279 तक में उपबन्धित केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बंधों में परिवर्तन कर सकता है।
4. संसद विधि द्वारा लोक सभा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती हैं किन्तु एक बार में यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती है।
5. आपात उद्घोषणा की समाप्ति के पश्चात 6 मास बाद स्वयं ही समाप्त हो जायेगी।

नोट:– *अनुच्छेद 83–(3) संसद के सदनों की अवधि)।*

6. आपात उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मौलिक अधिकार स्वत: निलंबित हो जाते है।

- ऐसे किसी कानून या विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकारों का उल्लघंन है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com

- आपात काल में किए गए विधायी या कार्यकारी निर्णयों को आपातकाल के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 358 में दो महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं।

1. अनुच्छेद 358 के अधीन अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को युद्ध या वाह्य आक्रमण से देश को संकट के आधार पर अर्थात युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर उद्घोषणा के दौरान निलम्बित किया जा सकेगा न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
2. उपयुक्त खण्ड (1) की कोई बात किसी विधि या उसके अधीन किये गये किसी कार्यपालिका के कार्य पर लागू नहीं होगी।
3. अनुच्छेद 359 के अनुसार उद्घोषणा प्रर्वतन में है तो अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को निलम्बित किया जा सकता है।

44वें संविधान संशोधन, अधिनियम 1978- अनुच्छेद 359 में दो संशोधन किये गये-

1. अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 (अपराध के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण) तथा अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को निलम्बित करने का अधिकार नहीं होगा। और न्यायलय में जाने के अधिकार को निलम्बित नहीं किया जा सकता है।

नोट- *आपातकाल के उपरांत मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है।*

2. उन विधियों अथवा कार्यपालिका आदेशों को लागू होगा जो आपात उद्घोषणा से सम्बन्धित है।

- राज्य में संविधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)- यह अनुच्छेद यह उपबन्धित करता है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने या ''राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता'' तो राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता हैं।

अवधि-

यह उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी यदि 2 माह की समाप्ति से पूर्व संसद के दोनो सदनों द्वारा संकल्पों से अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी।

यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत दे दी जाती है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है इसे अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है।

- राज्यों में राष्ट्रपति शासन या आपात उद्घोषणा किसी भी दशा में सिवाय चुनाव आयोग के प्रमाण पत्र के आधार पर कि राज्य में आम चुनाव कराने में कठिनाइयाँ है, 3 वर्ष तक से अधिक नहीं होगी।
- **67वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1990**- द्वारा अनुच्छेद 356 के खण्ड (4) में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष 6 माह के स्थान पर 4 वर्ष प्रतिस्थापित की गई।
- **68वाँ संविधान संशोधान अधिनियम 1991**- द्वारा अनुच्छेद 356 के खण्ड (4) में संशोधन कर के समय सीमा 5 वर्ष रखा गया है।

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा-

1. सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को चीन आक्रमण के दौरान की गयी थी।
2. दूसरी बार 13 दिसम्बर 1971 को पाकिस्तान आक्रमण के समय की गयी थी।
3. तीसरी बार 26 जून, 1975 को आन्तरिक गड़बडी की आंशका के आधार पर की गयी थी।

- राज्यों में आपात काल की घोषणा 118 बार की जा चुकी हैं।
- सर्वप्रथम पंजाब में आपातकाल की उद्घोषणा 20-06-1951 को की गयी थी।
- सर्वाधिक बार आपातकाल की उद्घोषणा सर्वाधिक समय पंजाब में तथा सर्वाधिक कम कर्नाटक में रहा।
- राज्य में आपात काल की उद्घोषणा सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश तथा केरल में की गयी।
- **वित्तीय आपात**- वित्तीय आपात की उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 360 के उपबन्ध द्वारा राष्ट्रपति तब करता है जब ऐसी स्थिति विद्यमान हो कि भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में हो।
- राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकता है।
- भारत में अभी तक वित्तीय आपात का प्रयोग नहीं किया गया है।
- उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती हैं।

राज्यों में आपातकाल की स्थिति

प्रमुख राज्य	आपात काल अवधि
उत्तर प्रदेश	10
केरल	9
बिहार	7
पंजाब	8
मणिपुर	7
कर्नाटक	6
उड़ीसा	6
पुडुचेरी	6

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

संविधान संशोधन

Amendment of the Constitution

अध्याय 24

भारतीय संविधान एक लिखित संविधान होते हुए भी पर्याप्त परिवर्तनशील संविधान है। भारतीय संविधान नम्यता-अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। विश्व के संविधानों को प्राय: दो वर्गों में विभाजित किया जाता है।

(i) नम्य संविधान

(ii) अनम्य संविधान

- संघीय संविधान अनम्य होते है इसलिए उनके संशोधन की प्रक्रिया कठिन और जटिल होती है जैसे अमेरिका, आस्ट्रेलिया।
- लिखित संविधान के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत 'औपचारिक संशोधन' ही है।
- संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद-368 में संविधान से संबंधित प्रक्रिया का विस्तृत उपबंध है।
- संशोधन की दृष्टि से संविधान के विभिन्न उपबन्धों को तीन भागों में विभाजित किया गया है।

1. **साधारण बहुमत** – नये राज्यों का निर्माण, राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन आदि 3, 4, 169 और 239.। अनुच्छेद आते है। भारतीय संसद इन धाराओं में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। ये विषय कोई विशेष संवैधानिक महत्व के नहीं होते है। ऐसी संशोधन संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
2. **विशेष बहुमत द्वारा** – इस प्रकार के संविधान संशोधन में वे अनुच्छेद आते है जिन्हें संसद में दो तिहाई (2/3) बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है। पेश विधेयक सदन के विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत से पारित विधेयक दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। जो राष्ट्रपति द्वारा सहमति मिलने पर विधेयक अधिनियम के रूप में हो जाता है।

विशेष बहुमत- अनुच्छेद-368 के उपबन्ध के अनुसार यह विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा अर्थात कुल सदस्य संख्या के 50% तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से कम न हों। अर्थात् आधे से कम नहीं होना चाहिए।

नोट:- *कुल सदस्य संख्या का तात्पर्य है कि संविधान में दी गयी या संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा नियत की गई संख्या।*

- साधारण विधेयक के मामले में जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में असहमति हो जाती है तो अनुच्छेद-108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उपबन्ध है। यह प्रक्रिया संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होती है।
- संविधान संशोधन के दोनों सदनों में प्रस्तुत के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है।
- अनुच्छेद-368 के अन्तर्गत राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अनुमति के लिए बाध्य है। किन्तु अनुच्छेद-111 के अनुसार जब साधारण विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाते है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है।

3. **विशेष बहुमत तथा राज्यों द्वारा अनुसमर्थन-**

- इस प्रकार की विधि में वे महत्वपूर्ण उपबन्ध आते है जो संघीय ढ़ाँचे से सम्बन्धित है। निम्न संशोधन के लिए संसद् के प्रत्येक सदन के दो तिहाई सदस्यों का बहुमत तथा कम से कम 50% राज्यों के विधान मण्डल का अनुसर्मथन आवश्यक है।
- राष्ट्रपति का निर्वाचन – अनु० 54-55।
- संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका-शक्ति का विस्तार – अनु० 73, 162।
- संघ तथा राज्य न्यायपालिका – अनु० 124-147, 214-231, 241।
- संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण – अनु० 245, 255।
- संसद् में राज्यों का प्रतिनिधित्व – अनुसूची 4।
- सातवीं अनुसूची की सूची से संबन्धित।
- अनुच्छेद-368 से संबन्धित उपबन्धों में।
- जिन उपबन्धों का संबंध केन्द्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्रों से है, उनमें संशोधन न तो केन्द्र कर सकता है और न ही राज्य। इस जटिल प्रक्रिया में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अनुमोदित करने के लिए भेजा जाता है। जब राज्यों की विधानसभाओं द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है।
- अनुच्छेद-13 की कोई बात अनु०-368 के अधीन किए गए संशोधन को लागू नहीं होगी।
- भारत में मौलिक अधिकारों को अनु०-368 के अधीन पारित अधिनियम द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
- "न्यायिक पुनर्विलोकन" संविधान का आधारभूत ढ़ाँचा है, इसे संविधान संशोधन द्वारा अपवर्जित नहीं किया जा सकता है। संसद द्वारा पारित कोई भी सांविधानिक संशोधन न्यायालयों को इसकी विधि मान्यता की जाँच के लिए नहीं रोक सकता है।
- अनु०-368 के तहत संसद संविधान के मूल ढ़ाँचे को प्रभावित किए वगैर मूल अधिकारों समेत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आधारिक लक्षणें की संख्या 19 है।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 :-

1. सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए राज्यों को अधिक शक्तिशाली बनाना।
2. कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था।
2. भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को नौवीं सूची में स्थान

पांचवां संशोधन अधिनियम 1955 :-

1. राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल का समय निर्धारण करने और केंद्रीय विधान मंडल के प्रभावी होने पर राज्य के क्षेत्र, सीमा एवं नाम मसले पर अपने विचार प्रकट करने की और अधिक शक्ति।

छठा संशोधन अधिनियम 1956 :-

1. केन्द्रीय सूची में नए विषयों का जुड़ाव, जैसे-अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के तहत वस्तुओं की खरीद-बिक्री पर कर और इसी संबंध में राज्यों की शक्तियों पर पाबंदियां।

7वां संशोधन अधिनियम 1956 :-

1. राज्यों के चार वर्गों की समाप्ति; जैसे-भाग A, भाग B, भाग C और भाग D इनके स्थान पर 14वें एवं छह केंद्रशासित प्रदेशों की स्वीकृति।
2. केंद्रशासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के न्यायक्षेत्र में विस्तार।
3. दो या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना।
4. उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था।

9वां संशोधन अधिनियम 1960 :-

केद्रशासित प्रदेश के रूप में भारत पाक समझौता (1958) के तरत बेरूबारी (पश्चिम बंगाल स्थित) की स्थापना।

11वां संशोधन अधिनियम 1960 :-

1. उपराष्ट्रपति के चयन प्रणाली में परिवर्तन: संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय चुनाव कॉलेज की व्यवथा।
2. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त चुनाव कॉलेज में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

12वां संशोधन अधिनियम 1962 :-

गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल।

15वां संशोधन अधिनियम 1963 :-

2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 में बढ़ाकर 62 वर्ष।
3. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की किसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था।

21वां संशोधन अधिनियम 1967 :-

सिंधी भाषा आठवीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल।

22वां संशोधन अधिनियम 1969 :-

असम में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण।

23वां संशोधन अधिनियम 1969 :-

इसके अर्न्तगत सदनों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और दस वर्षो के लिये बढ़ा दिया गया।

24वां संशोधन अधिनियम 1971 :-

1. संसद को यह अधिकार कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है।
2. राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी।

25वां संशोधन अधिनियम 1971 :-

एक नया अनुच्छेद 31 (ग) जोड़कर प्रावधानित किया गया कि अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में वर्णित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की विधिमान्यता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्देद 14 व अनुच्देद 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों से असंगत हैं या उन्हें कम करती है या छीनती है।

31वां संशोधन अधिनियम 1974 :-

लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545।

36वां संशोधन अधिनियम 1975 :-

सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया।

42वां संशोधन अधिनियम 1976 :-

1. तीन नए शब्द जोड़ गए (समाजवादी, धर्म निरपेक्ष एवं अखंडता)
2. नागरिकों के लिए मूल कर्त्तव्यों को जोड़ा गया (नया भाग IV ए)
3. राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता।
4. लोकसभा एंव विधानसभा के कार्यकाल में बढ़ोत्तरी।
5. तीन नए निर्देशित सिद्धांत जोड़े गए, समान न्याय और नि:शुल्क कानूनी सुविधा, औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी एवं पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा।
6. राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में छह माह से एक साल तक बढ़ोत्तरी।
7. पांच विषयों का राज्य सूची से संयुक्त सूची में स्थानांतरण जैसे - शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों की सुरक्षा, नाप -तौल और न्याय प्रशासन, संविधान एवं उच्चतम और उच्चन्यायालय के आवा सभी न्यायालयों का संगठन।
8. अखिल भारतीय विधि सेवा के निर्माण की व्यवस्था।

Downloaded From www.studymasterofficial.com
Committed to Excellence

9. 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के सीटों को निश्चित किया गया है।

अभी तक उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित ''आधारभूत ढ़ाँचे को मान्यता दी है-

1. विधि शासन
2. समता का अधिकार एवं शक्ति के पृथकरण का सिद्धान्त
3. संविधान की सर्वोच्चता
4. परिसंघवाद
5. पंथ निरपेक्ष
6. देश का प्रभुत्वसम्पन्न, लोकतांत्रिक गणतात्रिक ढाँचा
7. संसदीय प्रणाली की सरकार
8. न्यायपालिका की स्वतंत्रता
9. उच्चतम न्यायालय की अनु॰ 32, 136, 141, और 142 के अधीन शक्ति
10. कतिपय मामलों में मूल अधिकार
11. संसद की संविधान संशोधन की समिति शक्ति।

''न्यायायिक पुनर्विलोकन'' संविधान का आधारभूत ढाँचा है: इसे संविधान संशोधन द्वारा भी अपवर्जित नहीं किया जा सकता।

44वां संशोधन अधिनियम 1978 :-

1. लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया (5 वर्ष)
2. संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता को पूर्ववत रखा
3. राष्ट्रीय आपदा के संबंध में 'आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द रखा गया।
11. मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल कानूनी अधिकार बनाया गया।
12. अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता।

52वां संशोधन अधिनियम 1985 :-

इसके तहत संसद सदस्य एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य को दल-बदल के मामले में अयोग्य ठहराने की व्यवस्था है इसके लिए विस्तार से दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया है।

56वां संविधान संशोधन-

गोवा 25वें राज्य के रूप में 1987 को अस्तित्व में आया।

61वां संशोधन अधिनियम 1989 :-

लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।

70वां संशोधन अधिनियम 1992 :-

राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव कॉलेज के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्यों एवं केद्रशासित राज्य पांडिचेरी को भी जोड़ा गया।

71वां संशोधन अधिनियम 1992 :-

कोंकणी, माणिपुरी और नेपाली भाषा को आठवीं सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़कर 18 हो गई।

73वां संशोधन अधिनियम 1993 :-

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग IX जोड़ा गया जिसे 'पंचायत' नाम दिया गया और नई 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 विषय विषय को जोड़ा गया।

74वां संशोधन अधिनियम 1993 :-

शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग IXA जोड़ा गया जिसे 'नगरपालिकाएं' नाम दिया गया और नई बारहवीं सूची में नगरपालिकाओं में 18 क्रियात्मक चीजें जोड़ी गई।

84वां संशोधन अधिनियम 2001 :-

लोक सभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निधारण पर 25 वर्ष के लिए (2026 तक) पाबंदी बढ़ाई गई। ऐसा जनसंख्या समति मापन के तहत किया गया। दूसरे शब्दों में, लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 तक रहेगी। यह व्यवस्था भी की गई कि केंद्रशासित राज्यों का अनुपात 1991 की जनगणना के आधार पर होगा।

86वां संशोधन अधिनियम 2002 :-

1. प्राथमिकता शिक्षा के मूल अधिकार बनाया गया। नए अनुच्छेद 21 A में घोषणा की गई कि 'राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिकता शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।'
2. नीति निर्धारक सिद्धांतों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। इसे अब पढ़ा गया- 'राज्यों को बचपन में देखभाल एवं उनकी शिक्षा पर उनके छह वर्ष पूरे होने तक देखभाल करनी चाहिए।'
3. अनुच्छेद 51 ए के तह एक नया मूलय कर्त्तव्य जोड़ा गया जिसे पढ़ा गया- ''यह हर भारतीय नागरिक का कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह अपने बच्चे को चाहे वह उसके माता-पिता हो या अभिभावक 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए।

91वां संशोधन अधिनियम 2003 :-

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोक सभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (अनुच्छेद 75 (1ए))
2. संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दलबदल के आधार

Downloaded From www.studymasterofficial.com
GS World Committed To Excellence

पर सदस्यता के अयोग्य करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्या मंत्री होने पर मंत्री पद के भी अयोग्य होगा (अनुच्छेद 75 (1बी))

3. राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। (अनुच्छेद 164क)

6. दसवीं अनुसूची में वर्णित वह प्रावधान जिसके अनुसार यदि किसी दल के एक-तिहाई सदस्य दलबदल करते हैं तो उन्हें आयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

92वां संशोधन अधिनियम 2003 :-

संविधान की आठवीं अनुसूची में चार अन्य भाषायें जोड़ी गयीं। ये भाषायें हैं- बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। इसके साथ अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गयी।

93वां संशोधन अधिनियम 2005 :-

राज्यों को विशेष एवं पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एंव अनुसूचित जनजातियों के लिये शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।

94वां संशोधन अधिनियम 2006 :-

संविधान के अनुच्छेद 164 की धारा 1 के प्रावधान में बिहार के लिए झारखंड को अलग कर दिया गया।

95वां संशोधन अधिनियम 2009 :-

अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण तथा आंग्ल-भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। (2020 तक)

96वां संशोधन अधिनियम 2011:-

आठवीं अनुसूची में संशोधन करके 15वीं प्रविष्ट की भाषा का नाम उड़िया (Oriya) के स्थान पर ओड़िया (Idia) किया गया।

97वां संशोधन अधिनियम 2012:-

ये संशोधन सहकारी समितियों के स्वैच्छिक विनिर्माण, स्वायत्तता, संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में अनुच्छेद 43(ख) जोड़ा गया तथा एक नया भाग 9(ख) भी जोड़ा गया। इसके अंतर्गत कुल 13 अनुच्छेद हैं तथा अनुच्छेद 19(1)(ग) सहकारी समितियां जोड़ा गया।

98वां संशोधन अधिनियम 2013 :-

इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371(झ) कर्नाटक सरकार को कर्नाटक और हैदराबाद क्षेत्र के विकास का अधिकार दिए गए।

99वां संशोधन अधिनियम 2015 :-

इसमें कोलिजियम व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति, स्थानान्तरण एवं पदोन्नति की व्यवस्था थी जिसे 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया।

100वां संशोधन अधिनियम 2015 :-

इनमें भारत के कुछ भूभाग (जिसमें पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा एवं मेघालय राज्य सम्मिलित) को 1974 के समझौते के तहत बांग्लादेश को हस्तान्तरित करने का प्रावधान है।

101वां संशोधन अधिनियम 2016 :-

यह वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) से सम्बन्धित है।

103वां संशोधन अधिनियम 2019 :-

सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से गरीब तबकों को 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसे EWS (Economically Weaker Section) कहा गया।

104वां संशोधन अधिनियम 2019 :-

126वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लोकसभा तथा विधानसभा में एससी व एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है जो कि 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा था। अब इसे आगे 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान इस विधेयक के द्वारा किया गया अर्थात 25 जनवरी, 2030 तक एससी/एसटी के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान की व्यवस्था कर दी गई तथा एंगलो इण्डियन को अब आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया। ऐसा माना गया कि उनकी संख्या काफी कम है उन्हें अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं। अर्थात अब अनुच्छेद 331 तथा अनुच्छेद 333 का अस्तित्व खत्म हो जायेगा।

Downloaded From www.studymasterofficial.com

ये तस्वीरें महज छात्रों की संख्या को नहीं, बल्कि हमारे संस्थान पर उनके विश्वास को दर्शाती हैं...

Batch : 8:30 AM

Batch : 11:45 AM

Batch : 12:05 PM

Batch : 6:30 PM

अतुल शर्मा
SSP, प्रयागराज

GS World संस्थान के पास अनुभवी शिक्षक मंडल जिसमें प्रो. पुष्पेश पंत, मणिकांत सिंह, आलोक रंजन सर जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक मौजूद हैं। अनुभवी शिक्षकों के साथ-साथ बेहतर कक्षा कार्यक्रम, लेखन शैली पर विशेष ध्यान, उत्तर-पुस्तिका का अच्छी तरह से मूल्यांकन, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए समय-समय पर आयोजित परिचर्चाएं GS World संस्थान को सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प बनाता है।

अजय साहनी
SSP, मेरठ

एक विद्यार्थी के लिए सिविल सेवा में अंतिम सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीन चीजें होती हैं- बेहतर अध्ययन सामग्री, अनुभवी शिक्षक एवं प्रबंधन का नजरिया विद्यार्थियों के हितोनुरूप हो। जब मैं GS World संस्थान को देखता हूँ तो इस बात से आश्वस्त हो जाता हूँ कि यहाँ पर एक अभ्यर्थी सिविल सेवा की संपूर्ण तैयारी कर सकता है। निजी तौर पर संस्थान के निदेशक नीरज सिंह के प्रशासनिक अनुभव से मैं भलीभांति परिचित हूँ। मेरे अनुसार GS World संस्थान एक अभ्यर्थी के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।

हेमंत सती
IAS

GS World संस्थान न केवल भावी आईएएस का निर्माण करता है, बल्कि यह एक छात्र के व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायता करता है। सबसे बढ़कर इस संस्थान के गुरूजनों का व्यक्तिगत मार्गदर्शन निःसंदेह बेजोड़ है, जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं होता। इन मानकों पर देखें तो GS World सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे बेहतर अध्यापकों की टीम संस्थान से जुड़ी हुई है। मैं एक बार पुनः जीएस वर्ल्ड की पूरी सहयोगी टीम का धन्यवाद देता हूं।

धवल जायसवाल
(IPS-UP Cader)

सफलता के लिए पढ़ने की सही रणनीति उतनी ही जरूरी है जितनी अध्ययन सामग्री और GS World एक ऐसा संस्थान है जहां पर अभ्यर्थी अध्ययन सामग्री के साथ-साथ उसे किस प्रकार जल्दी और अच्छे ढंग से पढ़े इसकी रणनीति भी सीखता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, संस्थान द्वारा तैयार की गई NCERT पुस्तकों की अध्यायवार रणनीति। इसके अलावा GS World संस्थान को जो बात सबसे अलग बनाती है वह है विद्यार्थियों को मिलने वाला व्यक्तिगत मार्गदर्शन। इस प्रकार मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि GS World सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूर्णतः समर्पित संस्थान है।

सौरभ सिंह
SDM
(UPPCS-2016)
Rank- 8th

मैं अपनी सफलता के लिए GS World संस्थान के सभी शिक्षकगण एवं पूरे प्रबंधन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक विद्यार्थी के तौर पर GS World संस्थान में होने वाले कक्षा कार्यक्रम के साथ नियमित टेस्ट अभ्यास ने मेरी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके लिए मैं GS World संस्थान का धन्यवाद देता हूँ।

नम्रता सिंह
SDM
(UPPCS-2016)
Rank- 9th

एक विद्यार्थी के तौर पर GS World संस्थान में होने वाले कक्षा कार्यक्रम के साथ नियमित टेस्ट एवं संस्थान द्वारा संचालित किए जा रहे टेस्ट सीरिज ने मेरी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके लिए मैं GS World संस्थान को धन्यवाद देती हूँ। GS World संस्थान द्वारा दिए जा रहे व्यक्तिगत मार्ग दर्शन एवं सही गाइडेंस किसी भी अन्य संस्थाओं से इसे अलग करती है।

UPPCS 2017

2 RANK

Anupam Mishra

8 RANK

Anurag Prasad

12 RANK

Anupam Kr. Mishra

13 RANK

Ankit Shukla

20 RANK

Jagmohan Gupta

Chandra Prakash Tiwari (Dy.SP)

Atul Kumar Pandey (Dy.SP)

Shiv Thakur (Dy.SP)

Ritesh Tripathi (Dy.SP)

Usman (Dy.SP)

Prashali Gangwar (Dy.SP)

Ashish Km. Yadav (Dy.SP)

Parmanand Kushwaha (Dy.SP)

Santosh Kumar Singh (Dy.SP)

Vijay Km. Chaudhary (Dy.SP)

Abhishek Patel (Dy.SP)

Amardeep Kumar Mourya (Dy.SP)

Shikha Sankhwar (Dy.SP)

Ravi Kumar (Dy.SP)

Raghu Raj (Dy.SP)

Deepshikha Singh (Dy.SP)

Amit Pratap Singh (Dy.SP)

Suryabali Maurya (Dy.SP)

And Many More

: 011-27658013, 7042772062/63

H.O. : 629, Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-09!! Class Venue : Vardhman Plaza, Nehru Vihar

http://www.gsworldias.com http://www.facebook.com/gsworld1 : gsworldias@gmail.com

9654349902

Visit us our You Tube Channel GS World & Subscribe...	DELHI CENTRE	ALLAHABAD CENTRE	LUCKNOW CENTRE
	629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09 Ph.: 7042772062/63, 9868365322	GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha, Allahabad Ph.: 0532-2266079, 8726027579	A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha Aliganj, Lucknow Ph.: 0522-4003197, 8756450894

Downloaded From www.studymasterofficial.com